लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५१, १९६१ / १८८२ (शक)

[२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१ / ९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

तेरहवां सत्र, १९६१ / १८८२ (शक)

(खण्ड ५१ में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ५१—अंक ११ से २०—२८ फरवरी से १३ मार्च १९६१/९ से २२ फाल्गुन १८८२ (शक)

अंक ११—मंगलवार, २८ फरवरी, १९६१/९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७३ से ३७९, ३८१ से ३८३ और ४०३ . . . ९९७–१०१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१८ से ३७२, ३८०, ३८४ से ४०२ और ४०४ से ४२५ . . . १०१८–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४५ से ५५७, ५५९ से ६१२ और ६१४ से ६८३ . . . १०६७–११३१

स्थगन प्रस्ताव—

कराची में भारतीय उच्च आयोग पर आक्रमण . . . ११३१—३३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ११३४

राष्ट्रपति से सन्देश . . . ११३६–३७

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कलकत्ते की गोदियों में खुरचने और रंग करने वालों की हड़ताल . . . ११३७

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ११३८

विधेयक प्रस्तुत किये गये— . . . ११३८–३९

१. रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक १९६१

२. विनियोग विधेयक, १९६१

३. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१

रेलवे आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . ११३९–४१

श्री तंगामणि . . . ११३९–४०

श्री विमल घोष . . . ११४०–४१

सामान्य आय व्ययक (१९६१–६२)—उपस्थापित . . . ११४१–६६

वित्त विधेयक, १९६१—पुरःस्थापित . . . ११६६

निक संक्षेपिका . . . ११६७–७८

विषय सूची

पृष्ठ

अंक १२—बुधवार, १ मार्च, १९६१/१० फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ से ४३० और ४३२ से ४३५ . . ११७९—१२०१

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४३१ और ४३६ से ४७२ . . . १२०१—१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८४ से ७०६, ७०८ से ७७७ और ७७९ से ७९८ १२२०—७३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १२७३

राज्य सभा से सन्देश १२७३

दिल्ली दुकान और प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया १२७४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय . . . १२७४—७६

सदस्य द्वारा त्याग पत्र १२७६

तारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर में शुद्धि . . १२७६—७७

विनियोग विधेयक १९६१—पारित किया गया . . . १२७७

आय व्ययक (रेलवे)—सामान्य चर्चा . . . . १२७७—१३०२

आदिवासियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा . . . १३०२—०७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—

सतत्तरवां प्रतिवेदन १३०७

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . १३०८—१५

अंक १३—गुरुवार, २ मार्च, १९६१/११ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४७४ से ४८३ . . . . १३१७—४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . १३४०—४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ और ४८४ से ५१५ . . . १३४३—५९

अतारांकित प्रश्न संख्या ७९९ से ८९१ . . . . १३५९—९९

सदन में शिष्टाचार का पालन . . . . . १३९९—१४००

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४००

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आसाम में रहने वाले बंगालियों को मतदाता सूचियों में दर्ज करना १४०१—०२

विषय सूची पृष्ठ

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा . १४०२–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४--शनिवार, ४ मार्च, १९६१/१३ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५१६ से ५१९, ५२१, ५२२, ५२४, ५४३ और ५२५ १४४१–६४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या . . . १४६४–६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५२०, ५२३, ५२६ से ५४२ और ५४४ से ५६१ १४६६–८५

अतारांकित प्रश्न संख्या ८९२ से ९३७, ९३९ से ९६२ और ९६४ से ९७३ १४८५–१५२२

स्थगन प्रस्ताव--

उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश . १५२२-२४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५२४–२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

पटसन के मूल्यों में वृद्धि १५२५

सरकारी कार्य के लिये समय नियत करना . १५२६

सभा का कार्य १५२७

रेलवे आय-व्ययक --सामान्य चर्चा . . . १५२७–४१

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

सतत्तरवां प्रतवेदन . . . १५४१

धार्मिक पूजा स्थानों के राजनैतिक प्रचार के लिये प्रयोग पर प्रतिबन्ध संबंधी--संकल्प . . १५४१–५४

सरकारी कर्मचारियों की कार्मिक संघ की कार्यवाहियों संबंधी संकल्प . १५५४–५९

दैनिक संक्षेपिका . १५६०–६६

अंक १५--सोमवार, ६ मार्च, १९६१/१५ फाल्गुन १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ५६८, ५७०, ५७१, ५७४, ५७६ से ५८० और ५८२ से ५८७ १५६७–९५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ १५९५–१६००

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९, ५७२, ५७३, ५७५, ५८१ और ५८८ से ६०४ १६०१—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७४ से ११०६ १६१२—७६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १६७६–७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

कांगों के लिये भारतीय सैनिक १६७७—७९

अनूदानों की अनूपूरक मांगें (उड़ीसा) १९६०–६१ १६७९

राज्य सभा से सन्देश १६७९

समिति के लिये निर्वाचन——

दिल्ली विकास प्राधिकार की परामर्श परिषद १६७९

रेलवे आय व्ययक——सामान्य चर्चा . . १६८०–१७०१

उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (मान्यतादान) विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव १७०१–१७

खंड २ से ४ तथा १ . १७१७

पारित करने का प्रस्ताव . . १७१७

दैनिक समवाय (संशोधन) विधेयक . . १७१७–२३

विचार करने का प्रस्ताव १७१७–२२

खंड २ से ९ तथा १ . . १७२२

पारित करने का प्रस्ताव १७२२–२३

अनुदानों की अनूपूरक मांगें——रेलवे १९६०–६१ . . १७२३–२५

सभा का कार्य . . . १७२५–२६

दैनिक संक्षेपिका . . १७२७–३५

अंक १६——मंगलवार, ७ मार्च, १९६१/१६ फाल्गुन, १८८२ (शक)

निधन संबंधी उल्लेख १७३७–४३

दैनिक संक्षपिका १७४४

अंक १७——बुधवार, ८ मार्च, १९९६१/१७ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ से ६६२, ६६४ से ६६६, ६६८ से ६७२, ६७४, ६७५, ६७८ और ६७९ १७४५–६९

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६४९, ६५१ से ६५८, ६६३, ६६७, ६७३, ६७६, ६७७ और ६८० से ६९० . . . . १७७०–१८०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ११०७ से १२१८ और १२२० से १३०१ . १८०४–८३

स्थगन प्रस्ताव

सिमलाबहल और बद्रचक कोयला खानों में हुई दुर्घटनायें . १८८३–८६

पंडित गोविन्द बल्लभ के निधन पर प्रधान मंत्री का सन्देश . १८८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति--

अठत्तरवां प्रतिवेदन . . . १८८८

पूर्वी पाकिस्तान में अल्प संख्यकों पर आक्रमण के संबंध में वक्तव्य . . १८८८

रेलवे दुर्घटना के संबंध में वक्तव्य १८८८–८९

औषधीय तथा प्रसाधन (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित १८८९

सभा का कार्य १८८९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६०–६१ . . . १८९०–९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा संबंधी संकल्प . . १८९६–१९०४

दैनिक संक्षेपिका . १९०५–१६

अंक १८--गुरुवार, ९ मार्च, १९६१/१८ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९२, ६९४ से ७००, ७०४, ७०६, ७०९ और ७११ १९१७–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७०१ से ७०३, ७०५, ७२० और ७१२ से ७२८ . . . १९४३–५५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३०२ से १३९९ . . . १९५५–९४

स्थगन प्रस्ताव के बारे में १९९४–९५

आंध्र प्रदेश में गुड़ के भाव में गिरावट के बारे में वक्तव्य . . १९९५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १९९५

राज्य सभा से सन्देश १९९५

विनियोग (रेलवे) विधेयक--पुरस्थापित १९९६

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा--संबंधी संकल्प . . . १९९६–२००६

आतिशबाजी के सामान के कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . . १९९९

विषय सूची	पृष्ठ
उड़ीसा के बारे में अनुदानो की अनुपूरक मांगें . . .	२००७—२२
अनुदानों की मांग (रेलवे) १९६१–६२ . . .	२०२३—६०
दैनिक संक्षेपिका . . .	२०६१—६७

अंक १९—शुक्रवार, १० मार्च, १९६१/१९ फाल्गुन, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२९ से ७३७	२०६९—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३८ से ७६५ और ६५० . . .	२०९०—२१०२
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०० से १४९३ . . .	२१०२—४१

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

रेलगाड़ी से गिर जाने के कारण मृत्यु	२१४१
तारांकित प्रश्न संख्या ७३३ के अनुपूरक प्रश्नों के बारे में . .	२१४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

धागर नदी में बाढ़ . . .	२१४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१४३—४५
सभा का कार्य	२१४५
उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरस्थापन स्थगित . . .	२१४५–४६
विनियोग (रेलवे) विधेयक १९६१—पारित . . .	२१४७
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२	२१४७—७२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

अठत्तरवां प्रतिवेदन	२१७२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित—

(१) श्री नारायणन् कुट्टि मेनन का अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण) विधेयक, १९६१ . . .	२१७२
(२) श्री केशव का भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६१ (धारा ४ का संशोधन)	२१७३
(३) श्री अरविन्द घोषाल का राजनैतिक पीड़ित सहायता विधेयक, १९६१ श्री अरविन्द घोषाल का ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के संभरण का अन्त विधेयक	२१७३
प्रस्ताव करने का विचार (अस्वीकृत) . .	२१७३—८५

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	२१८६
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा (नये अध्याय ५क का रखा जाना) . . .	२१८६
विचार करने का प्रस्ताव	२१८६
दैनिक संक्षेपिका	२१८७—९४
अंक २०—सोमवार, १३ मार्च, १९६१/२२ फाल्गुन, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७६६, ७७८, ७६७ से ७६९, ७७३ से ७७७, ७७९, ७८३ से ७८५, ७८७ और ७९२ . . .	२१९५—२२२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७० से ७७२, ७८० से ७८२, ७८६, ७८८ से ७९१ और ७९३ से ८०३	२२२०—३०
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९४ से १५४०, १५४२ से १५५६, १५५८ और १५५९ .	२२३०—६०
स्थगन प्रस्ताव—	
१. चलती रेलगाड़ी से गिरने के कारण श्री के० रामाराव की मृत्यु .	२२६०—६२
२. रुद्रसागर में कथित दुर्घटना . .	२२६२–६३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
अदीस अबाबा में रहने वाले भारतीय नागरिकों की शिकायतें .	२२६३–६४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२६५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ आठवां प्रतिवेदन . . .	२२६५
लोक लेखा समिति—	
चौतीसवां प्रतिवेदन .	२२६६
समिति के लिये निर्वाचन—	
लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति . . .	२२६६
उड़ीसा विनियोग विधेयक—पुरःस्थापित .	२२६६–६७
कार्य मंत्रणा समिति—	
बासठवां प्रतिवेदन	२२६७
अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९६१–६२	२२६७—२३२२

विषय	पृष्ठ
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित . . .	२३२२
रेलवे यात्री किराया (निरसन) विधेयक—	
विचार के लिये प्रस्ताव	२३२२—२४
दैनिक संक्षेपिका	२३२५—३०

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LSIII—2292(Ai) LS—15-4-61—125

लोक-सभा

बुधवार, ८ मार्च, १९६१

१७ फाल्गुन, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नये उद्योगों के कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान

+

†*६५९. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री कोडियान :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार नये उद्योगों के लिये इस बात को अनिवार्य करने की किसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है कि उद्योगों को प्रारम्भ करते समय ही उन में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत रहने के स्थान की व्यवस्था की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) से (ग). इस प्रश्न पर कि क्या नये उद्योगों की स्थापना करने वाले नियोजकों के लिये अपने कर्मचारियों के लिये रहने की स्थान की व्यवस्था करने के लिये कोई संविहित अनुबन्ध होना चाहिये, चाहे राजसहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना के उपबन्धों को कितना भी उदार बना दिया गया हो, और ऐसे संविहित दायित्व का क्या रूप देना चाहिये, शीघ्र ही योजना आयोग के साथ चर्चा करने का विचार किया जा रहा है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या मैं जान सकती हूं कि कौन कौन से उपबन्धों को उदार बनाया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

2225 (Ai) LSD—1.

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : पिछले तीन चार वर्षों में मुख्यत: निम्नलिखित उपबन्धों को उदार बनाया गया है । ऋण की मात्रा ३७।। प्रतिशत से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दी गई है । लागत की अधिकतम सीमा भी बढ़ाने का विचार है क्योंकि पिछले तीन या चार वर्षों में निर्माण की लागत में वृद्धि हुई है । इस मामले की योजना आयोग के साथ मिल कर जांच की जायगी । यह भी वांछनीय समझा जाता है कि बीमा केवल आग के लिये होना चाहिये, विभिन्न अन्य प्रयोजनों के लिये नहीं । फिर माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि वित्त मंत्री ने सभा में जो बजट प्रस्ताव पेश किये थे उन में नियोजकों को अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये कुछ रियायतें दी गई थीं ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : चूंकि सुविधायें देने का विचार किया जा रहा है क्या मैं जान सकती हूं कि क्या इस्पात, सीमेंट आदि मकान बनाने की सामग्री नियोजकों को सहज उपलब्ध की जायगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे इस का उल्लेख उदार बनाने की योजना के संबंध में करना चाहिये था । पिछले आवास मंत्री सम्मेलन में एक प्रस्ताव यह रखा गया था कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से औद्योगिक मकानों के निर्माण के लिये सामग्री और भूमि के विकास के सम्बन्ध में भी समस्त संभव सहायता देने का अनुरोध किया जाना चाहिये ।

†**श्री कोडियान** : मैं जानना चाहता हूं कि राजसहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के मामले में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मोटे तौर से अभी तक जिन १,०९,००० मकानों की मजूरी दी गई है उन से ८० प्रतिशत राज्यों द्वारा बनाये गये हैं, १७ प्रतिशत नियोजकों द्वारा और ३ प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा । परन्तु हाल में कुछ समय से नियोजक अपने कर्मचारियों के लिये मकान बनाने में उत्साह दिखा रहे हैं, उदाहरण के लिये १९५२–५३ में, जब हम ने यह कार्य पहली बार शुरू किया था, उन की संख्या केवल १८०० थी जो १९५७-५८ में ५८६ और १९५८-५९ में ३०२ रह गई थी परन्तु पिछले दो वर्षों में वह बढ़ कर ६,०३४ और ६,९५३ हो गई है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या सरकार ने औद्योगिक एककों की आपने कर्मचारियों के लिये मकान बनाने की कठिनाइयों का विचार किया है और उस में कितनी लागत लगेगी ? चूंकि सरकार स्वयं अपने समस्त कर्मचारियों के लिये रहने के स्थान का उपबन्ध करने में असमर्थ है इसलिये क्या इन कठिनाइयों का विचार किया गया है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : हमें इन कठिनाइयों का ज्ञान है । वास्तव में हम विभिन्न नियोजक-संगठनों से अनेक बार विचार-विमर्श कर चुके हैं ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : मैं इतना और बता देना चाहता हूं कि जहां तक सरकारी औद्योगिक संस्थानों का संबंध है, सरकार श्रमिकों के लिये मकान बनाने पर विशेष ध्यान देती है और प्राय: समस्त संस्थानों में, जो हाल के वर्षों में पूर्ण हुए हैं, आवास योजनायें उद्योगों की स्थापना के साथ साथ ही प्रारंभ की गई हैं ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : पिछले कुछ वर्षों में अनेक संस्थानों ने अपनी पूंजी के संबंध में ३ करोड़ रुपये से ५ करोड़ रुपये तक इकट्ठा कर लिये हैं परन्तु ५ लाख रुपये से भी कम कर्मचारियों के लिये मकान बनाने के लिये निर्धारित किये गये हैं । सरकार नियोजकों के लिये अपने समस्त कर्मचारियों के लिये मकान की व्यवस्था अनिवार्य बनाने में कितना समय लेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा** :जहां तक नियोजकों द्वारा पूंजी के संचयन का प्रश्न है मेरे पास कोई ब्यौरा नहीं है। जहां तक उन को अपने श्रमिकों के लिये मकान बनाने के लिये विवश करने का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या है जिस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करना होगा और इस मामले पर, जैसाकि मैं ने अपने उत्तर में कहा था, सरकार पिछले कुछ समय से बहुत सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : पिछले आवास मंत्री सम्मेलन में यह प्रायः तय सा हो गया था कि विधान बनाया जाना चाहिये। ऐसे सम्मेलनों में योजना आयोग के प्रतिनिधि हमेशा उपस्थित रहते हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन प्रस्तावों के संबंध में अन्तिम निर्णय करने में देर क्यों हो रही है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : अनिवार्य बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं था। इस समस्या के साथ अनेक जटिलतायें सम्बद्ध हैं। हमें यह भी विचार करना होगा कि अनिवार्य बना देने का औद्योगीकरण की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम शीघ्र ही योजना आयोग द्वारा एक अन्त-मंत्रालय सम्मेलन आयोजित करा रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** :क्या माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात आई है कि राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत निर्धारित किराया श्रमिकों की सामर्थ्य से बहुत अधिक है और इस के परिणामस्वरूप श्रमिक इस योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये क्वार्टरों का पूरा फायदा उठाने में असमर्थ हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : इस समय स्थिति यह है कि लागत का ५० प्रतिशत राजसहायता है। किराये का आकलन निर्माण में हुए कुल व्यय के ५० प्रतिशत के आधार पर किया जाता है। मेरा विचार है कि अपने संसाधनों को देखते हुए हमारे लिये किराये को और भी कम करना संभव नहीं है। परन्तु हम ने राज्यों को यह छूट दी है कि यदि वे वैसा करने की स्थिति में हों तो वे किराये की मात्रा कम कर सकते हैं। मैं यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि प्रत्येक मामले में श्रमिक मकानों का किराया भुगतान करने में असमर्थ हैं क्योंकि अन्य क्षेत्रों में बनाये गये मकानों की तुलना में यह किराया वास्तव में बहुत कम है। खुले प्लाट की प्रणाली के संबंध में तो किराया केवल ३ रुपये ही है।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : जहां तक इस योजना का सम्बन्ध है, यह औद्योगिक श्रमिकों के लिये शुरू की गई है। लेकिन अधिकांश स्थानों पर यह देखा गया है कि सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये ये मकान दे दिये गये हैं और श्रमिकों को नहीं मिले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि **इस सम्बन्ध में क्या सरकार कुछ करेगी ?**

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : यह सर्वथा सही नहीं है। परन्तु विशेष मामलों में हम ने उन मकानों के अस्थायी तौर से राज्य के कर्मचारियों को आवंटित किये जाने की अनुमति दी है। उदाहरण के लिये, अहमदाबाद में, जो अब गुजरात के नये राज्य की राजधानी बन गया है, कई हजार अधिकारियों के लिये मकान की व्यवस्था की जानी है। इस के कारण हम ने कुछ क्वार्टरों के सरकारी कर्मचारियों के लिये व्यपवर्तन की अनुमति दे दी है। इसी प्रकार की कार्यवाही हमें हैदराबाद के सम्बन्ध में करनी पड़ी। हम किराये के बारे में कोई सहायता नहीं देते हैं क्योंकि हम किराया ही कम लेते हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : श्रमिकों को आवण्टित किए गए बहुत से मकान उन्होंने अशतः किराए पर उठा रखे हैं। क्या इसको किसी प्रकार रोका जा सकता है ? क्या सरकार ने इसके सुधार के लिए श्रमिक संघों से बात चीत की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अनिल कु० चन्दा : नियोजकों ने यह मामला हमारे सामने रखा था। यदि कोई औद्योगिक श्रमिक श्रमिक नहीं रहता है तब उसे मकान से कैसे निकाला जा सकता है ? हमने राज्य सरकार से इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा है। जहां तक राज्य क्षेत्र के मकानों का सम्बन्ध है, राज्यों को उन्हें निकालने की पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं ।

ग्यान्त्से में भारतीय व्यापार एजेंसी

†*९९०. { + श्री भक्त दर्शन :
श्री बाजपेयी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** ३० नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५९५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ग्यान्त्से (तिब्बत) में भारतीय व्यापार एजेंसी भवन की जमीन के पट्टे के दस्तावेज पर इस बीच हस्ताक्षर हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो भवन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) भवन के निर्माण पर कितनी लागत का अनुमान है; और

(घ) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). प्रस्तावित निर्माण-कार्य का पूरा ब्यौरा यथासमय तय हो जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : जब कि पट्टे की शर्तें तै हो गयी हैं तब हस्ताक्षर करने में इतनी देरी क्यों हो रही है। चीनी अधिकारियों ने क्या कारण बताया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** इन लोगों के साथ बन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने के संबंध में समय समय पर बात चीत की गई है। अनेक कठिनाइयां हैं और जहां तक इसका संबंध है वे अत्यन्त असहयोगी हैं। अब वे बन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने को राजी हैं यदि सीमायें निश्चित कर दी जायें और अन्य शर्तें मान ली जाये ।

श्री भक्त दर्शन : चीनी अधिकारियों ने क्या कोई संकेत दिया है कि कब तक इस बारे में वह अपने रुख के बारे में पूरा निर्णय कर लेंगे और कब तक इस बारे में काम शुरू किया जा सकेगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** १९५४ से अब तक जो देर हुई है उसको देखते हुए मैं कोई निश्चित तारीख नहीं बता सकती हूं। मैं समझती हूं कि यह बताना संभव नहीं है कि बन्ध पत्र कब पूरा हो जाएगा ।

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें

+

†*६६१. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रधान मंत्री** १४ नवम्बर १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में विशेष शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). सरकार ने विशेष शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन पर विचार करके निम्नलिखित निर्णय किए ह :

(१) नर्सरी स्कूलों की स्थापना : दलाई लामा द्वारा धर्मशाला में ६ वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए चालू किए गए नर्सरी स्कूल का वित्तपोषण करना जो अधिक से अधिक २००——२५० ऐसे बच्चों तक सीमित होगा जिनके मां बाप सड़क अथवा जंगल का कार्य करने चले गए हैं।

(२) प्रारंभिक स्कूलों की स्थापना : सरकार ने ऐसे समस्त कार्य केन्द्रों और पुनर्वास केन्द्रों में, जहां तिब्बती शरणार्थी हैं, प्रारंभिक स्कूल खोले जाने के आदेश जारी किए हैं। तथा विभिन्न स्थानों में ऐसे सत्रह स्कूल खोले हैं।

(३) रेजीडेन्शल स्कूलों की स्थापना : फिलहाल दो रेजीडेन्शल स्कूल खोलने का निर्णय किया गया है। इनमें से एक स्कूल दलाई लामा द्वारा मसूरी में खोला जा चुका है और दूसरा शिमला में स्थापित करने का विचार किया जा रहा है। तीसरा स्कूल खोलने के प्रश्न पर कालान्तर में विचार किया जाएगा तथा वह १६ वर्ष से कम की आयु के तिब्बती बच्चों की संख्या पर निर्भर होगा जिन्हें स्कूली शिक्षा की आवश्यकता होगी। उपरोक्त स्कूलों के अतिरिक्त गंगतोक (सिक्किम) स्थित इन्चे स्कूल के १५० बच्चे की शिक्षा की राजसहाता जारी रखने का निर्णय किया गया है।

†**श्री वी० चं० शर्मा :** चूंकि तिब्बती शरणार्थियों का आना अभी भी जारी है इसलिए क्या ऐसा कोई विचार किया जा रहा है कि जहां कहीं भी तिब्बती शरणार्थी पर्याप्त संख्या में हों वहां एक स्कूल खोला जाना चाहिए और यदि हां, तो ऐसे कितने स्कूलों की आवश्यकता होगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** विचार यह है कि जहां कहीं भी स्कूल के बच्चे पर्याप्त संख्या में हों वहां एक स्कूल खोला जाएगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** इन स्कूलों पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** श्रीमान् मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० मा० श्री अणे** : इन बच्चों को जो शिक्षा दी जायेगी वह तिब्बती भाषा में होगी अथवा भारतीय भाषा में ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं का प्रयोग होगा। प्राइमरी स्कूलों में मातृभाषा अर्थात् तिब्बती होगी और फिर माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी होगी।

श्री भक्त द 'न : तिब्बती शरणार्थी विभिन्न दलों में भांति में आते हैं और अभी तक भी आशंका है कि बहुत से तिब्बती शरणार्थी आएंगे। क्या कोई व्यवस्था उनकी शिक्षा के लिए कैम्पों में की जा रही है जहां उनको महीनों रहना पड़ता है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं नहीं जानती क्योंकि प्रारंभिक स्कूल कार्य के स्थानों में स्थापित किये जाते हैं, कैम्पों में नहीं।

घड़ियों के निर्माण के लिये प्रविधिज्ञ

+

†*६६२. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ९९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखाना प्राधिकारियों में घड़ियों के निर्माण के लिए जापान में प्रशिक्षण के वास्ते भारतीय प्रविधिज्ञों का चुनाव कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने घड़ी के कारखाने के लिए आवश्यक विभिन्न श्रेणियों के प्रविधिक कर्मचारियों के लिए समाचारपत्रों में विज्ञापन दिया था। प्राप्त प्रार्थनापत्रों की विज्ञापन में निर्दिष्ट आयु, योग्यताओं और अनुभव के आधार पर छानबीन करके योग्य अभ्यर्थियों को परीक्षा और इन्टरव्यू के लिए बुलाया गया था। इस परीक्षा और इन्टरव्यू संयुक्त परिणामों के आधार पर ८४ अभ्यर्थी चुने गए थे। उनमें से ४७ को तुरन्त ही प्रशिक्षण के लिए जापान भेजा जाएगा। शेष ३७ अभ्यर्थी जापान भेजे जाने के पूर्व बंगलौर स्थित सरकारी मशीनी औजार प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इस सम्बन्ध में कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : १,५६६।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : इन अभ्यर्थियों पर किए जाने वाले व्यय का भुगतान जापान करेगा अथवा भारत सरकार और, यदि दोनों तो किस अनुपात में ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जापान में भारतीयों के प्रशिक्षण का समस्त व्यय भारत सरकार अर्थात् हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा वहन किया जाएगा तथा वह लगभग ६६,००० पौंड होगा अर्थात् लगभग ८ लाख रुपए ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : इन प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव किस प्रकार किया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह** : इन १०० इंजीनियर, फोरमैन, सुपरवाइजर आदि प्राविधिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए समस्त भारत में विज्ञापन निकाला गया था । १,५६६ प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से ८४ को चुना गया था ।

†**श्री वें० ईयाचरण** : कोर्स की अवधि क्या है और योग्यतायें क्या निर्धारित की गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विभिन्न श्रेणियों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो परीक्षायें हुई थीं एक मौखिक और एक लिखित प्रशिक्षण की अवधि भिन्न भिन्न होगी परन्तु अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों के लिए यह अवधि मोटे तौर पर से १८ महीने होगी ।

†**श्री आचार** : विवरण से मालूम होता है कि कुछ प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के लिए जापान भेजा जा रहा है और कुछ को नहीं भेजा जा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि उन्हें किस आधार पर चुना गया था और कुछ लोगों को जापान क्यों नहीं भेजा जा रहा है?

†**श्री मनुभाई शाह** : उन सभी को जापान भेजा जा रहा है । जैसा कि मैं ने बताया उच्च योग्यता वाले ४७ प्राविधिज्ञों का पहला दल भेजे जाने के लिए तैयार है और ३७ को पहले यहीं प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उनकी जो कमियां हैं वे जापान जाने तक पूरी हो जायें ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : भारत के कितने कारखाने जापान में प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्राविधिज्ञों का चुनाव करने जा रहे हैं और वे सरकारी खर्च पर भेजे जा रहे हैं अथवा कारखानों के ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है । संभवतः माननीय सदस्य समझ नहीं सके ।

कुछ माननीय सदस्य उठे —

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रत्येक प्रश्न पर सैकड़ों अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । मैं प्रत्येक प्रश्न के महत्व के अनुसार अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देता हूं और जब काफी जानकारी मिल चुकती है तब अगला प्रश्न लेता हूं । जिन माननीय सदस्यों को अभी अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिला उन्हें मैं अन्य प्रश्नों के संबंध में मौका दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेपिओका के आटे की कीमत

+

†*६६४. श्री अ० क० गोपालन :
श्री मे० क० कुमारन् :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई आयात नीति के परिणामस्वरूप, जिसकी घोषणा ८ दिसम्बर, १९६० को की गयी थी, टेपिओका के आटे की कीमतों में वृद्धि हो गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री कोडियान : क्या पिछले दिसम्बर में घोषित आयात नीति के परिणामस्वरूप टेपिओका के आटे के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

†श्री मनुभाई शाह : जी नहीं, वास्तव में मूल्य कम हो गया है ।

†श्री कोडियान : क्या केरल सरकार ने केन्द्र सरकार से आयात नीति का इस प्रकार का पुनरीक्षण करने का अनुरोध किया है कि केरल के व्यापारियों और उत्पादकों को लाभ हो सके और यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री मनुभाई शाह : केरल सरकार से कोई निर्दिष्ट अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है परन्तु कुछ निर्यातकों ने स्वयं कुछ अभ्यावेदन किया था और निर्यात में हमेशा इतनी गुंजाइश रही है कि हम उन लोगों को अवसर दे सकते हैं जो निर्यात करना चाहते हैं ।

†श्री कोडियान : क्या टेपिओका के आटे का मूल्य कम हो जाने का कोई विशेष कारण है ?

†श्री मनुभाई शाह : यह मौसमी गिरावट है । माननीय सदस्य का विचार था कि मूल्य बढ़ गए हैं । अब मैंने उन्हें बताया कि वे कम हो गए हैं । यह बाजार की स्थिति पर निर्भर रहता है ।

संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि

†*६६५. श्री कोडियान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प-विकसित देशों की सहायता के लिये संयुक्त राष्ट्र पूंजी-विकास-निधि स्थापित करने की एक प्रस्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा के सामने है ;

(ख) क्या भारत ने इस प्रस्थापना का समर्थन किया है ;

(ग) इस प्रस्थापना के बारे में बड़े देशों का रवैया क्या है ; और

(घ) क्या इस निधि की स्थापना निकट भविष्य में हो जाने की कोई संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (घ). १९ दिसम्बर, १९६० को राष्ट्रसंघ की महासभा ने संयुक्तराष्ट्र संघ पूंजी विकास निधि की स्थापना को सिद्धान्ततः स्वीकार करने और उसके लिए ठोस तैयारी के उपायों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के आशय का एक संकल्प पारित किया जिसका भारत ने भी समर्थन किया था। अनेक औद्योगिक शक्तियों ने इस संकल्प का इस आधार पर विरोध किया अथवा उस पर मत नहीं दिया कि आर्थिक सहायता देने के जितने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें कोई वृद्धि करना तब तक व्यर्थ होगा जब तक कि नये संगठन के उपयोग के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने की आशा न हो। जिन देशों से इस निधि में अंशदान करने की आशा की जाएगी उनमें से अनेक का ऐसा विचार था और उनके सहयोग के बिना यह प्रस्ताव बहुत प्रभावपूर्ण नहीं होगा। इस प्रस्ताव पर इस वर्ष आगे चल कर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एवं सामान्य सभा द्वारा विचार किया जाएगा। भारत सरकार को आशा है कि जो सिद्धान्ततः निर्णय किया गया है उसकी शीघ्र ही वास्तविक स्थापना भी हो जाएगी परन्तु अभी यह बताना कठिन है कि ऐसा कब तक संभव हो सकेगा।

†श्री कोडियान : वे कौन से देश हैं जिन्होंने इस प्रस्ताव पर मतदान में विरोधी मत दिया अथवा मत नहीं दिया ?

†श्री सादत अली खां : सामान्य सभा के १५वें सत्र में ४५ देशों ने, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, राष्ट्र संघ पूंजी विकास निधि की स्थापना के लिए एक संकल्प पेश किया था। संकल्प पर मतदान के पक्ष में ६८ मत आए जिनमें अफ्रेशियाई, पूर्वी योरपीय एवं लेटिन अमेरिकी देशों के अतिरिक्त छै पश्चिमी योरपीय देशों, अर्थात् डेन्मार्क, इटली, नीदरलैंड्स, नार्वे, पुर्तगाल और स्पेन के मत भी सम्मिलित हैं ; विपक्ष में चार मत अर्थात् आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन और अमेरिका के आए और आठ देशों अर्थात् बेलजियम, कनाडा, फिनलैंड, फ्रान्स, आयरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड और स्वीडन ने मतदान में भाग नहीं लिया।

†श्री कोडियान : चूंकि प्रस्तावित पूंजी विकास निधि की सफलता बहुत हद तक प्रमुख औद्योगिक शक्तियों पर निर्भर होगी इसलिए क्या सरकार इन प्रमुख शक्तियों से इस प्रस्ताव का समर्थन करने का अनुरोध करना वांछनीय समझती है ?

†अध्यक्ष महोदय : सुझाव क्या है ? भारत उस संकल्प के प्रस्तावकों में था और संकल्प पारित हो गया है। क्या वे उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे ? श्री दी० चं० शर्मा।

†श्री दी० चं० शर्मा : 'सनफेड' नामक निधि अभी मौजूद है जो राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में चल रही है। यह नई निधि उस निधि से किस प्रकार भिन्न होगी और जब कम विकसित देशों की सहायता के लिए राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में एक निधि मौजूद है तो क्या एक नई निधि का निर्णय आवश्यक है ?

†श्री सादत अली खां : इस निधि के अतिरिक्त भी कुछ अन्य संस्थायें हैं। परन्तु इन समस्त संसाधनों का योग भी कम विकसित देशों की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है। इसलिए एक और निधि स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है जिससे इन देशों को सहायता मिलेगी।

†श्री ब्रज राज सिंह : माननीय सभा सचिव ने कहा कि संकल्प के राष्ट्रसंघ में पारित होने के पश्चात् एक विशेष तैयारी समिति का निर्माण किया गया था। इस समिति ने अभी तक क्या प्रगति की है और जिन शक्तियों ने संकल्प के विरोध में मत दिया था अथवा मत नहीं दिया था क्या उन्होंने अग्रेतर विरोध छोड़ कर इस निधि में योगदान करना स्वीकार कर लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सादत अली खां** : हां, श्रीमान् । जैसा मैंने बताया था आर्थिक एवं सामाजिक परिषद राष्ट्रसंघ के अगले सत्र में इस मामले के सम्बन्ध में अग्रेतर चर्चा करेगी ।

तिब्बत में भारतीय व्यापारी

†*६६६. **श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या प्रधान मंत्री १४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन सरकार ने तिब्बत के भारतीय व्यापारियों की, जिन पर भूतलक्षी प्रभाव वाले असाधारण कर लगा दिये गये हैं, कठिनाइयों सम्बन्धी अभ्यावेदनों का कोई प्रत्युत्तर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग): जी नहीं । हमारे अभ्यावेदनों के अभी तक कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं क्योंकि चीन सरकार का यही कहना है कि तिब्बत में नई कार्यवाही करना उनके देश के अन्दरूनी काम हैं । तिब्बत में हमारा दूतावास अब भी स्थानीय अधिकारियों को भारतीय व्यापारियों की कठिनाई बताता रहता है जिससे १९५४ के समझौते के अनुसार दिए गए व्यापार में और कुछ गड़बड़ी न हो ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि चीनी सरकार की यह घोषित नीति है कि भारतीय व्यापारियों को वहां पर न रुकने दे और इसका ध्यान रखें कि वह वापस भारत चले गये हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यदि ऐसी कठिनाइयां होती रही तो निश्चित रूप से हमारे व्यापारी वहां पर अपना व्यापार नहीं चला पायेंगे ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : चीनी सरकार की इस नीति के कारण क्या सरकार वहां पर बनाये गये व्यापार अभिकरण को बन्द कर देना चाहती है और उस स्थान पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहती है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह एक सुझाव है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने समझा था कि माननीय सदस्य इसके बारे में प्रतिक्रिया के सुझाव देंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अगला व्यापार का सीजन इसी अप्रैल या मई से प्रारम्भ होने वाला है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट इस बात का निश्चय कर रही है कि भारतीय व्यापारियों को इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी जाय कि उनका क्या रवैया होना चाहिये ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने मूल उत्तर में बताया है कि चीनी अधिकारियों से इन मामलों पर बातचीत की जा रही है । उनका यह कहना है कि जो भी कानून अथवा कर वह लगाते हैं, वह अन्दरूनी प्रशासन को ठीक करने के लिए लगाते हैं । इसलिये उनमें हमारा हस्तक्षेप ठीक नहीं है । इसके विपरीत हमारा यह कहना है कि १९५४ के समझौते के अनुसार निश्चित व्यापारिक ढांचे को नहीं बदला जाना चाहियें । परन्तु वह हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुनाथ सिंह : दलाई लामा के शासन काल में कितने भारतीय व्यापारी वहां थे तथा इस समय वहां पर कितने हैं ?

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†श्री रंगा : १९५४ के समझौते के अनुसार विशेषाधिकारों का उपयोग करने वाले इस देश में कितने चीनी व्यापारी हैं ? १९५४ के समझौते के अधीन भारत में चीनी व्यापारियों के साथ भारत सरकार के वैसे ही कार्यों के द्वारा चीन सरकार पर दबाव डालने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या वह समझौता उसी रूप में भारत में भी लागू नहीं किया जा सकता जिस रूप में वह तिब्बत में लागू है ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हमें उसी समझौते के अनुसार काम करना है ।

†श्री रंगा : क्या इस का यह मतलब है कि हम भारत में चीनी व्यापारियों को सभी प्रकार के विशेषाधिकार दे रहे हैं जबकि चीन सरकार समझौते के अनुसार हमारे नागरिकों को वही सुविधायें नहीं दे रही हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : ऐसा ही होता आ रहा है ।

†श्री नरसिंहन : इस के लिये कोई पारस्परिक सहयोग नहीं है ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : पारस्परिक सहयोग है क्योंकि यह समझौता दो देशों के बीच हुआ है । परन्तु खेद है कि चीन सरकार इस को उस रूप में लागू नहीं कर रही है जिस रूप में उस को इसे लागू करना चाहिये था । १९५४ के समझौते में उन्होंने कहा था कि व्यापार का तरीका नहीं बदला जायेगा परन्तु अब इस को कई प्रकार से बदला जा रहा है । हम उन्हें इस की सूचना दे रहे हैं परन्तु वह इस की ओर ध्यान नहीं देते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता आ रहा है ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : यह नीति का मामला है कि सरकार को प्रतिकार स्वरूप कुछ करना चाहिये अथवा नहीं ।

†श्री अ० मु० तारिक : मामले में विलम्ब करने की क्या कोई नीति है ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं मानता हूं कि इस समय नीति विषय चर्चा नहीं होती है परन्तु यह प्रश्न तो अवश्य उठता है कि समझौता दो पक्षों में हुआ है और यदि एक पक्ष उसे तोड़ देता है तो क्या यह आवश्यक है कि दूसरा पक्ष समझौते के अनुसार ही काम करता रहे ।

†श्रीमती लक्ष्मी मेनन : हम ने कई बार विरोध प्रकट किया है । वह सभी विरोध पत्र श्वेतपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : इसी कारण माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि हमें केवल विरोध पत्रों तक ही अपनी कार्यवाही सीमित नहीं रखनी चाहिये ।

†श्री वाजपेयी : प्रधान मंत्री के आने तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†श्री ब्रजराज सिंह : विरोध पत्रों के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारतीय व्यापारियों की रक्षा किस प्रकार की जा रही है ?

†**श्री विश्वनाथ राय** : नये प्रतिबन्ध तथा करों के कारण तिब्बत में भारतीय व्यापारियों को कितनी हानि हुई है क्या सरकार को इस का कुछ ज्ञान है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : उपलब्ध आंकड़ों से यह पता लगा है कि १९६० में केवल ५८ लाख रुपये का व्यापार हुआ है जबकि १९५८ में ३६३ लाख रुपये और १९५९ में १९८ लाख रुपये का व्यापार हुआ था ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं जानना चाहता हूं कि इस ट्रेड रैस्ट्रिक्शन्स से कितने हमारे व्यापारी लोगों के व्यापार को धक्का लगा है और सरकार उन के लिये क्या कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री ने बताया उन के पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मामले पर सभा में चर्चा हो चुकी है और प्रधान मंत्री सभा में बता चुके हैं कि हमारे व्यापारियों को वहां पर व्यापार करने में बड़ी कठिनाई हो रही है । मैं व्यापार में कमी के आंकड़े बता चुकी हूं । इन व्यापारियों के पुनर्वास के लिये सरकार किसी प्रकार की सहायता देना नहीं चाहती है क्योंकि पुनर्वास करने के लिये इन के पास स्वयं पर्याप्त साधन हैं ।

बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघे

†*६६८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६० में बिजली से चलने वाले कितने करघों का पता चला और इस अवधि में इन अनधिकृत करघों से कितना उत्पादन हुआ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सरकार को ठीक अथवा लगभग किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है । जानकारी इकट्ठा करना भी संभव नहीं है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि उत्पादन शुल्क के कारण अमृतसर में तथा भारत के अन्य भागों में कितने ही बिजली से चलने वाले करघे बन्द हो गये हैं । इस के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न की सूचना दी थी, यह प्रश्न उस प्रश्न से भिन्न है । हम अमृतसर के करघों के प्रश्न पर बड़ी सावधानी से विचार कर रहे हैं । हाल में ही एक प्रतिनिधिमण्डल मुझ से मिला था । हम प्रयत्न कर रहे हैं कि उन को ऊनी धागा दें । परन्तु यह प्रश्न पूछे गये प्रश्न से भिन्न है ।

†**श्री तिम्मय्या** : अनधिकृत बिजली के करघों का विनियमन करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को मालूम है कि हम ने आवश्यक अधिसूचना जारी कर दी है । हम ने कहा है कि सभी बिजली के करघों का पंजीयन हो जाना चाहिये और कम चौड़े करघों को हम ने कुछ रियायतें भी दी हैं । हमें आशा है कि एक वर्ष में अधिकांश करघे पंजीबद्ध हो जायेंगे ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : अनधिकृत करघों का पता लगाने में प्रशासन को क्या असाधारण कठिनाई आती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : यही तो कठिनाई है । पिछले कई वर्षों से पूंजीयन पद्धित लागू न होने के कारण इस का पता लगाना कठिन हो रह है कि कौन सा करघा अधिकृत है तथा कौन सा अनधिकृत है । इसी कारण नये पंजीयन आदेश जारी किये गये हैं कि जिस से पता लग सके कि सही सांख्यकी क्या है तथा वह क्रमवार प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं । इस से हमें जानकारी इकट्ठा करने में सहायता मिलेगी ।

†श्री सिंहासन सिंह : बिजली के करघे बिजली से चलाये जाते हैं । बिजली सरकार अथवा अन्य कोई अभिकरण देता है । जब बिजली के करघों को बिजली दी जाती है तो इन का पंजीयन बड़ा आसान काम है और आंकड़े भी आसानी से जाने जा सकते हैं । जानकारी हासिल करने में सरकार को कठिनाई किस प्रकार आती है ?

†श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात नहीं है । देश की विशालता के कारण बिजली के करघे स्थापित करने के बारे में कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है । सभा जानती है कि सरकार की नीति बिजली के करघों को प्रोत्साहित करने की नहीं थी । स्थानीय अधिकारी नियमों को नहीं जानते थे और करघे लगाने वालों ने बहाना किया कि वह नियमों को जानते नहीं हैं । इसीलिये इन करघों की संख्या बढ़ती गई । अब सरकार ने यह कह कर कि उन का पंजीयन हो, उन को कानूनी बनाने का प्रयत्न किया है ।

†श्री मो० ब० ठाकुर : क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में बहुत सी मिलों में करघे अनधिकृत हैं और यदि हां, तो क्या सरकार इस के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : मिलों में करघों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । मिलों को अधिकार नहीं दिया गया है । समस्त देश में एक अथवा दो बिजली के करघे हैं ।

†श्री तिम्मय्या : सरकार ने इस की जांच करने के बारे में क्या कार्यवाही की है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा वस्त्र आयुक्त की अनुमति के बगैर बिजली के करघे नहीं बनाये जायेंगे और न ही सरकार इन के लिये बिजली देगी ।

†अध्यक्ष महोदय : भविष्य में ।

†श्री मनुभाई शाह : यह प्रश्न ही नहीं है । अब वस्त्र आयुक्त द्वारा पंजीयन आवश्यक होगा । केन्द्रीय कानून द्वारा देश के नगरों तथा गांवों में बिजली का आवंटन अथवा नियंत्रण संभव नहीं है । क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने ही कार्यों के लिए बिजली ले सकता है । वह अनधिकृत करघे लगा सकता है । अब हम उसी पर नियंत्रण लगा रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों में लागत लेखापालन

+

†*६६९. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी औद्योगिक एककों में लागत लेखापालन की पद्धति चालू कर दी गई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक चालू कर दिया जायेगा ; और

(ग) जिन एककों में इसे लागू कर दिया गया है, क्या वहां पर यथोचित रूप से लागत निकाली जाती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) जी हां । सरकारी क्षेत्र के उन औद्योगिक एककों में लागत लेखापालन पद्धति चालू है जिन में उत्पादन हो रहा है । समय समय पर संशोधन करने के लिये पद्धति का पुनरीक्षण वित्त मंत्रालय के मुख्य लागत लेखा पदाधिकारी के परामर्श से किया जाता है । सक्षम लेखा पदाधिकारियों तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों तथा आडिटरों के अधीन सामान्य लेखापालन करने के तथा उस की जांच के बाद लागत लेखापालन किया जाता है ।

†**श्री मुरारका** : जब सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के एककों में लागत लेखापालन है तो क्या सरकार उत्पादन लागत से भी कम मूल्य पर किसी वस्तु को बेचती है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यतः ऐसा नहीं होता है परन्तु राष्ट्रीय यंत्र कारखाने के पुर्जों के मामले में ऐसा होता है क्योंकि दिन प्रति दिन लागत और बाजार भाव की जानकारी करना बड़ा कठिन होता है । अन्यथा सामान्यतः यह मूल्य लागत लेखापालन के अनुसार ही होते हैं ।

†**श्री मुरारका** : हाल ही में दिये गये बजट पत्रों से पता लगा कि इस्पात संयंत्रों में ५ करोड़ रुपये से अधिक हानि हुई है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की यह नीति थी कि उस इस्पात को लागत से कम पर बेचा जाये अथवा अन्य कोई विशेष कारण था ?

†**श्री मनुभाशई शाह** : इस्पात बनाया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य एक अथवा दो वर्ष, जब तक संयंत्रों के सभी यंत्र उत्पादन आरंभ न कर दें तो हम सभी उत्पादों के उचित मूल्य बता सकने योग्य हो जाते ।

†**श्री मुरारका** : प्रश्न आयोजन का है । उत्पादन आरम्भ हो चुका है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये । परन्तु इस समय नहीं ।

†**श्री मुरारका** : प्रश्न सरकारी क्षेत्र के एककों में लागत लेखापालन के बारे में है । उसमें इस्पात संयन्त्र भी आ जाते हैं । आप यदि कृपा करके देखें तो आपको मालूम होगा कि मेरा प्रश्न केवल वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय के अधीन आने वाले सरकारी उपक्रमों के बारे में न होकर सभी सरकारी उपक्रमों के बारे में है । जब मन्त्री महोदय उत्तर दे रहे हैं तो मुझे अधिकार है कि मैं इस्पात संयंत्रों के बारे में भी प्रश्न पूछूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री को जो जानकारी थी उन्होंने बता दी । दूसरे मन्त्री महोदय के आने तक माननीय सदस्य प्रतीक्षा करें ।

†**श्री मनुभाई शाह** : उन्होंने पूछा कि लागत लेखापालन पद्धति चालू की गई है अथवा नहीं । यह इस्पात संयंत्रों में भी लागू कर दी गई है । किसी वस्तु की बिक्री लागत लेखापालन के अनुसार हुई है अथवा नहीं, इस प्रश्न का उत्तर तभी दिया जा सकता है जब उस उपक्रम के सभी उत्पादन एककों में उत्पादन होने लगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि इस समय उनकी बिक्री होती है तो माननीय सदस्य 'हां' कह सकते हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने यही कहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : लागत मूल्य से कम ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इस प्रकार नहीं । मैंने यही बताया था कि लागत लेखापालन लागू कर दिया गया है । उत्पादन लागत का पता तभी लग सकता है जब सभी परिस्थितियां अनुकूल हो जायें । तभी सामान्य कार्यवहन कहा जा सकता है । अभी निर्माण हो रहा है । माननीय सदस्य स्वयं व्यापारी हैं और जानते हैं कि निर्माण के समय, लागत के विश्लेषण के बारे में यह कहना सम्भव नहीं होता कि उस समय किसी वस्तु का मूल्य क्या होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि अब तक लागत का निर्धारण नहीं किया गया है । जब सभी इस्पात संयंत्र काम करना आरम्भ कर देंगे तभी इसका निर्धारण हो पायेगा । तब तक सहायता मिले अथवा सहायता न मिले, उनको वस्तुओं को उसी मूल्य पर बेचना है जो वह उचित समझें । क्या मैंने ठीक बताया है ।

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां ।

†**कई माननीय सदस्य** : जी हां ।

प्रोफेसर गालब्रेथ की रिपोर्ट

+

†*६७०. { **श्री मुरारका** : / **श्री नथवानी** : }

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रोफेसर गालब्रेथ की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है, जिसमें यह सिफारिश की गयी है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को, जबकि वह सरकार की सेवा में हो, किसी सरकारी निगम का निदेशक नियुक्त नहीं करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : (क) और (ख). प्रोफेसर गालब्रेथ के सुझाव विचाराधीन हैं । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री मुरारका** : क्या सरकार ने निगमों की संख्या सीमित कर दी है जिनका निदेशक सरकारी कर्मचारी हो सकता है ?

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैंने उत्तर में बताया है कि मामला विचाराधीन है । इसका यह मतलब तो नहीं है कि इस मामले पर विचार नहीं किया गया है । सरकारी उपक्रमों के उचित तथा उत्तम कार्यवहन की सभी समस्याओं पर विचार किया जा रहा है । इस मामले पर भी इसके लिये बनाये गये केन्द्र में विचार किया जा रहा है ।

†**श्री मुरारका** : इस प्रश्न पर पिछले तीन वर्षों से विचार किया जा रहा है । सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की है ? यह गालब्रेथ के सुझाव का प्रश्न नहीं है । इस सभा की समिति—प्राक्कलन समिति तथा मेनन समिति ने बार बार यह सिफारिश की है । इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस बारे में क्या प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : यदि औचित्य देखा जाये तो इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मुख्य समस्या अनुभवी तथा योग्य प्रबन्ध कर्मचारियों की अनुपलब्धता है।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : सरकारी क्षेत्र में इतनी कमी नहीं है।

†**श्री अ० चं० गुह** : प्रश्न निदेशक के बारे में है। प्रबन्ध कर्मचारियों के बारे में नहीं हैं। माननीय उपमन्त्री ने प्रबन्ध कर्मचारियों की कमी बताई है। मैं नहीं जानता कि माननीय मन्त्री को यह कहां से पता लगा है कि देश में प्रबन्ध कर्मचारियों की कमी है।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैंने समस्त समस्या के सम्बन्ध में बताया था। मैंने व्यक्तियों की योग्यता के बारे में भी बताया था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि सरकारी उपक्रमों के लिये जितने योग्य व्यक्ति चाहियें उतने इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : नहीं, नहीं।

†**श्री अ० चं० गुह** : मैं तो इसे गम्भीर आरोप समझता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री जानते होंगे कि विभिन्न समवायों का भार एक प्रबन्ध अभिकर्त्ता पर होने के बारे में आपत्ति उठाई गई थी और इसीलिये समवाय विधि का संशोधन किया गया था। गैर सरकारी क्षेत्र भी यह कह सकता है कि विभिन्न उद्योगों को आरम्भ करने के लिये प्रबन्धक उपलब्ध नहीं है इसलिये एक प्रबन्ध अभिकरण के द्वारा समस्त देश के उद्योगों का काम चलाया जा सकता है और इसी प्रकार सरकारी क्षेत्र में भी प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं का वर्ग नियुक्त कर दिया जाये। वह यही तो चाहते थे।

†**श्री श्या० नं० मिश्र** : मैं स्पष्ट करता हूं। प्रश्न यह उठाया गया कि इन सरकारी उपक्रमों के निदेशक सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहियें। मैं यह बताना चाहता था कि सरकारी उपक्रम अपेक्षित योग्यता के व्यक्तियों को योग्य नहीं बना पाये हैं। दूसरे मंत्रालय तथा उपक्रम के बीच एक सम्पर्क भी बना रहना चाहिए।

†**कुछ माननीय सदस्य** : नहीं, नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। माननीय सदस्यों को इस पर चर्चा का अवसर मिलेगा।

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : आपकी अनुमति से मैं मित्र द्वारा कही गई बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। सरकार प्रोफेसर गालब्रेथ के सुझावों पर विचार कर रही है। सरकार ने अभी उनके इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया है कि सरकारी उपक्रम का निदेशक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं बनाया जाना चाहिये। मैं सभा को बता चुका हूं कि मेनन समिति के प्रतिवेदन, प्राक्कलन समिति की सिफारिशों तथा प्रोफेसरों गालब्रेथ के अध्ययनों पर मन्त्रिमण्डल सक्रिय रूप में विचार कर रहा है। जैसा कि गत अवसर पर प्रधान मन्त्री ने वायदा किया था, निर्णय शीघ्र ही सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। हम प्रोफेसर गालब्रेथ के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि जो सरकारी कर्मचारी सरकारी उपक्रमों में अपना समय लगा सकते हैं उनको समवाय का निदेशक नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये। इन सभी मामलों पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह भी था कि एक कर्मचारी कितनी संस्थाओं का निदेशक हो सकता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह श्री मुरारका ने एक अनुपूरक प्रश्न में पूछा था ।

†**श्री मनुभाई शाह** : बहुत अच्छा । वित्त मन्त्रालय के एक संयुक्त सचिव इस प्रकार के चार पदों पर नियुक्त हैं । मने पहले बताया था कि ज्यूंही और वित्तीय सलाहकार नियुक्त होंगे यह संख्या कम कर दी जायेगी । सामान्यतः हमारी नीति यह है कि अन्तरिम काल में जब तक सरकार नीति स्पष्ट नहीं कर देती है, एक पदाधिकारी दो उपक्रमों से अधिक में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिये ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**श्री मुरारका** : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर से मैं सन्तुष्ट हो गया हूं । या तो माननीय सदस्य यह निर्णय करें कि यह प्रश्न कितनी देर तक चलाया जाये अथवा इसका निर्णय मुझे करने दिया जाये । मेरा निर्णय है कि इस प्रश्न का पर्याप्त उत्तर दे दिया गया है ।

†**श्री अन्सार हरवानी** : इस पर आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभी माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं । मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि वित्त विधेयक पर चर्चा के समय अथवा सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा के समय इन बातों को उठाया जाये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : एक औचित्य प्रश्न है ? योजना उपमन्त्री ने बताया कि सरकार ने प्रोफेसर गालब्रेथ की सिफारिशों को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया हैं । परन्तू उद्योग मंत्री ने बताया है कि वह सिफारिशों से सहमत नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने माननीय मन्त्री की बात को गलत समझा है । उन्होंने ऐसा नहीं कहा है ।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से आये शरणार्थियों का पुनर्वास

†*६७१९. **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्रीप्रकाशवीर शास्त्री :
शेख मुहम्मद अकबर :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से आने वाले शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये कोई राशि मंजूर की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च की जायेगी; और

(ग) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से कितने शरणार्थी आये हैं जिनके लिये यह राशि मंजूर की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) कोई रकम मंजूर नहीं की गयी है। परन्तु जैसा कि २५ फरवरी, १९६० के स्टार्ड सवाल नम्बर ४०३ के उत्तर में बताया जा चुका है कि जम्मू व काश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे में इलाके से आने वाले शरणार्थियों को सहायता दिये जाने की एक योजना की घोषणा ७ जनवरी, १९६० को की गई थी। इस योजना की तफसील वाले प्रैस नोट की एक कापी भी सभा की मेज पर रख दी गयी थी।

(ख) इस काम के लिये नियुक्त किये गये केन्द्रीय सरकार के एक अधिकारी द्वारा यह रकम बांटी जा रही है।

(ग) जैसा कि २२ मार्च, १९६० के स्टार्ड सवाल नम्बर १०३५ के उत्तर में बताया जा चुका है इन लोगों के परिवारों की संख्या ३५,००० है।

श्री अ० मु० तारिक : आपने फरमाया कि रिफ्यूजियों की तादाद ३५,००० है। मैं जानना चाहता हूं कि इस ३५,००० में से कितने जम्मू काश्मीर में बसा दिये गये हैं और कितने जम्मू काश्मीर से बाहर हैं। और जो जम्मू काश्मीर से बाहर हैं उनके साथ आपका क्या राब्ता है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : ३५,००० फैमिलीज की तादाद है। २१,००० के करीब देहाती हैं और १४,००० के करीब उन में से शहरी हैं। उनमें से बहुत बड़ी तादाद जम्मू काश्मीर के इलाके में है और शायद १,००० या २,००० हिन्दुस्तान के बकाया इलाके में हैं। हमारी स्कीम सब के लिये एक सां है।

†**श्री अ० मु० तारिक** : जो लोग जम्मू काश्मीर में हैं जैसे आपने उनके लिये एक अफसर मुकर्रर किया है, उनको जमीन देने के लिये, उसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू काश्मीर के बाहर क्या तरीका है तमाम रिफ्यूजीज़ को माली इमदाद देने का।

श्री मेहर चन्द खन्ना : जम्मू का जो अफसर है हमने वह मुकर्रर किया है प्राइम मिनिस्टर, काश्मीर के कहने पर, फार्म हमने छपवाये और उनको तकसीम किया। ३५,००० में से अभी हमारे हाथ में ७,००० या ८,००० फार्म हैं। ५,००० या ६,००० फार्म हम देख चुके हैं और ४,००० या ५,००० के मुताल्लिक फैसला भी हो चुका है। हमारा इरादा आज तक तो यह है कि जालंधर में जो रीजनल सेटलमेंट कमिश्नर हैं उनकी मार्फत उन लोगों को रुपया दिया जाय। अगर कोई खास तकलीफात हमारे सामने आयें तो हम गौर करेंगे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : अब काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों की वापस मिलने की कम आशा होने के कारण क्या इन ३५,००० व्यक्तियों से सम्पत्ति आदि के दावे उसी प्रकार मांगे गये हैं जिस प्रकार पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थियों से मांगे गये थे ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस प्रश्न का उत्तर मैंने सभा में कई बार दिया है। मैं भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। यह भारत का भाग है और हम इस बात को कभी भी नहीं भूलेंगे।

†**श्री अन्सार हरवानी** : क्या यह सच नहीं है कि श्रीनगर तथा इसके आसपास की वह सम्पत्तियां जिनको पाकिस्तान जाने वाले लोग खाली कर गए थे, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आने वाले लोगों को देने के बजाये उन लोगों को दी गई हैं जो पहले से ही काश्मीर में रह रहे हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : सम्भवतया माननीय सदस्य जम्मू तथा काश्मीर के अभिरक्षक[1] कानून का जिक्र कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि वह भारत सरकार के अधीन नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Custodian

श्री बाजपेयी : जो रिफ्यूजीज़ जम्मू काश्मीर से बाहर भारत के अन्य भागों में बसे हुए हैं, क्या उनको रुपया देने की व्यवस्था दिल्ली में करने के सम्बन्ध में कोई विचार हो रहा है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : अगर थोड़े आदमी हों तो उनके लिये मैं नया अमला मुकर्रर करने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर आदमी ज्यादा हुए तो शायद हम इस बात को सोचने के लिये तैयार हों क्योंकि हम बहुत रुपया देंगे और काफी तादाद में लोगों को दे रहे हैं और हर जगह दफ्तर खोलना हमारे लिये आसान नहीं है।

श्री ब्रज राज सिंह : अभी मिनिस्टर महोदय ने कहा कि जो जम्मू काश्मीर का कस्टोडियन ला है वह भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसके बावजूद भारत सरकार जो पाकिस्तान आकुपाइड काश्मीर है उसके लोगों को सहायता देने जा रही है। मैं जानना चाहूंगा कि जम्मू काश्मीर के कस्टोडियन ला को भारत सरकार के मातहत लाने के लिये क्या भारत सरकार ने जम्मू काश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को कोई सुझाव दिये हैं, और अगर दिये हैं तो उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह बात तो बहुत पुरानी है। लेकिन एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि बहुत सी जमीन जो हमारे शरणार्थी भाइयों को दी गई है वह उन मुसलमान भाइयों की है जो पाकिस्तान चले गये हैं, और जम्मू और काश्मीर के वजीर आजम ने मेरी इस मामले में बहुत सहायता की है। उन्होंने मुझ से कहा कि जमीन उन के पास है और वे बिल्कुल उन को मालिक बना देने के लिये तैयार है। मैं उनका मश्कूर हूं।

श्री ब्रज राज सिंह : काश्मीर के कानून को भारत सरकार के मातहत लाने के लिये आपने क्या किया है ? मश्कूर तो आप बने रहिये।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैंने उत्तर दे दिया है; सम्भवत: माननीय सदस्य समझ नहीं सके।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या पाकिस्तान द्वारा अधिकृत काश्मीरी क्षेत्र के विस्थापित व्यक्ति जो भारत में जम्मू तथा काश्मीर से अन्यत्र बसे हुए हैं, सरकारी सम्पत्तियों के आवण्टन के सम्बन्ध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के हकदार हैं जिनके कि पश्चिम पाकिस्तान के अन्य शरणार्थी हकदार हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं घोषणायें कर चुका हूं और फिर बताए देता हूं कि जो प्रव्रजक हमलावरों द्वारा अधिकृत जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्रों से आए हैं वे प्रतिकर योजना के अन्तर्गत विक्रय योग्य सम्पत्तियों और आवण्टन योग्य सम्पत्तियों दोनों के मामले में कुछ सुविधाओं के हकदार हैं। उस हद तक मैं उन्हें सरकारी बकायों के समायोजन के मामले में कुछ रियायत देने के लिये तैयार हूं।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या यह सच नहीं है कि विस्थापित व्यक्ति प्रतिकर तथा पुनर्वास अधिनियम के अन्तर्गत नियमों में उस ओर के विस्थापित व्यक्तियों को ये अधिकार और विशेषाधिकार नहीं मिलते हैं और यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री उनको वे अधिकार देने के लिये कोई विधान उपस्थित करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जी नहीं, किसी प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं है। नियमों के अन्तर्गत मुझे काबिज व्यक्ति को आवण्टन योग्य सम्पत्ति आवण्टित करने का अधिकार है। जहां तक उन व्यक्तियों का सम्बन्ध है जो १०,००० रुपए से कम के मूल्य की सम्पत्ति पर काबिज हैं, मैं उन्हें अपनी योजना के अन्तर्गत कुछ रियायतें देने के लिये तैयार हूं।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : माननीय मन्त्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। माननीय मन्त्री ने यह कहा था कि जम्मू तथा काश्मीर के कस्टोडियन का कानून भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने उस कानून को अपने क्षेत्राधिकार में लाने के लिये क्या कदम उठाए हैं? कुछ समय से हम देख रहे हैं कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार यह चाहती है कि केन्द्रीय सरकार के समस्त कानून, कुछ को छोड़ कर, उनके राज्य में भी लागू होने चाहियें। अतः मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री ने क्या कदम उठाए हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि वह कानून भी सरकार ने अपने हाथ में क्यों नहीं ले लिया है?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं उत्तर दे चुका हूं और फिर बताए देता हूं कि हमारी ओर कुछ दायित्व और हानियां भी अन्तर्ग्रस्त थीं और मेरा इस प्रश्न से केवल सीमित सम्बन्ध है अर्थात् केवल उन प्रव्रजकों से जो वहां आए हैं और जिन्हें भूमियां आवण्टित की गई हैं। उन भूमियों के सम्बन्ध में, यद्यपि वे निष्क्रान्त हैं और उन लोगों की हैं जो पाकिस्तान चले गए हैं, उन्हें जम्मू तथा काश्मीर के प्रधान मन्त्री ने यह आश्वासन दिया है कि मेरी योजना के अन्तर्गत इन प्रव्रजकों को उन भूमियों का हक देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

उर्वरकों का उत्पादन

\+

†*६७२. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दामानी :
श्री सोमानी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २२ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरकों के उत्पादन सम्बन्धी प्रविधिक समिति ने अपने काम में अब तक क्या प्रगति की है?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैसूर के सम्बन्ध में प्रतिवेदन दिये जाने के साथ समिति का कार्य समाप्त हो गया है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में वह प्रतिवेदन अत्यधिक प्रविधिक है जिसमें विभिन्न स्थानों की चर्चा की गई है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष स्थान के बारे में जानकारी चाहते हैं तो सिफारिशों का संक्षेप उनको दिया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। जहां तक उर्वरक के सम्भरण का सम्बन्ध है, प्रत्येक राज्य उसके बारे में जानना चाहता है। इसलिये यदि सम्भव हो तो एक या दो प्रतियां पुस्तकालय में रख दी जानी चाहियें जिनसे माननीय सदस्यों को बहुत मदद मिलेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे कोई खास आपत्ति तो नहीं है परन्तु बात यह है कि यह समिति ऐसी थी जिसने विभिन्न स्थानों के गुणावगुणों पर विचार किया था । उसके परिणामस्वरुप सरकार को अभी प्रतिवेदन के समस्त पहलुओं पर विचार करना है । सरकार ने अभी तक प्रतिवेदन पर पूरी तरह विचार नहीं किया है । जब विचार कर लिया जाएगा और प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा और सरकार अन्तिम निर्णय कर लेगी तब हम आपकी अनुमति से प्रतिवेदनों में सन्निहित प्रविधिक ब्यौरे के बदले में समस्त प्रमुख सिफारिशें सभा के सामने रख देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दो रास्ते हो सकते हैं । यदि माननीय मंत्री या सरकार इन विभिन्न स्थानों पर विचार करती है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है तो माननीय सदस्यों के लिए कुछ करना कठिन होगा । यह मामला ऐसा गोपनीय नहीं है । ऐसा नहीं है कि अन्य देशों के साथ गुप्त वार्ता की जा रही हो और उसकी समाप्ति के पूर्व उनको प्रकट कर देना खतरनाक होगा । यह विषय उस प्रकार का नहीं है । माननीय सदस्य विभिन्न स्थानों में रुचि रखते हैं और भिन्न-भिन्न स्थानों से आने के कारण उनके बारे में सुझाव दे सकते हैं । इसलिए यदि सरकार के किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पूर्व ही माननीय सदस्यों को प्रतियां दे दी जाती हैं अथवा पुस्तकालय में रख दी जाती हैं ताकि उनके सुझाव भी सरकार को उपलब्ध हो सकें तो कोई हानि नहीं है । माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए । अगला प्रश्न ।

श्री दी० चं० शर्मा उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : आगे से जब मैं अगला प्रश्न लेने के लिए कह दूंगा तो पिछले प्रश्न पर किन्हीं भी अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : हमने इस प्रश्न पर कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

बर्मा के साथ स्थल मार्ग द्वारा व्यापार

†*६७४. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोरेह में अभी हाल में हुए भारत–बर्मा सम्मेलन में भारत और बर्मा के बीच स्थल मार्ग द्वारा व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विभिन्न नियमों के गलत तरीके से लाग किये जाने और प्रामाणिक व्यापारियों को तंग किये जाने के कारण इस सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार होता है और गैर-कानूनी लेन-देन होता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) इस वर्ष के प्रारम्भ में भारत और बर्मा के बीच जिला अधिकारी स्तर पर मोरहे में जब बैठक हुई थी उसमें जिन प्रश्नों पर चर्चा हुई थी उनमें से एक प्रश्न यह भी था । यह तय हुआ था कि जिला अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सर्वेक्षण कराना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि भूमि के रास्ते से विभिन्न चीजों का व्यापार किस हद तक संभव है । सिफारिश विचाराधीन है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ले० अचौ सिंह** : चूंकि नेकनियत व्यापारियों को इस सीमान्त से होकर व्यापार करने में बहुत कठिनाई होती है इसलिए क्या ऐसे व्यापार को सहज बनाने के लिए सरकार ने कोई खास कदम उठाए हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : सरकार का इरादा यही है। बर्मा और भारत के ये दो उच्च स्तर के जिला अधिकारी एक दूसरे से इसीलिए मिले थे कि यह विचार किया जाए कि इम्फाल-मनीपुर सीमान्त का व्यापार किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है।

†**श्री विश्वनाथ राय** : वे कौन सी चीजें हैं जिनके संबंध में बर्मा के साथ अन्तर्देशीय व्यापार की व्यवस्था की आवश्यकता है?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्यतः चाय और अन्य चीजें हैं कुछ इंजीनियरिंग उत्पाद और कुछ अन्य चीजें जैसे कहवा, साइकिलें, सिलाई मशीनें आदि।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार इस व्यापार के संवर्धन के लिए उस क्षेत्र में संचार साधनों के सुधार के लिए कोई कदम उठा रही है?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे इस प्रश्न के पूछे जाने की खुशी है। मुख्य प्रश्न तामू-इम्फाल और तामू-मोरेह सड़कों पर भूमि मार्ग खोलने का था। वह विचाराधीन है।

ओरिएन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता को संयुक्त राज्य अमरीका से ऋण

+

†*६७५. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने कलकत्ता की ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड को ऋण देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की राशि कितनी है और ऋण का रूप क्या है; और

(ग) यह ऋण किस अभिकरण के माध्यम से दिया जायेगा?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: अमरीका का निर्यात-आयात बैंक ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड को कागज तथा लुग्द के निर्माण के लिए आयात की गई संयंत्र और मशीनों की लागत के भुगतान के लिए १८५ लाख डालर का प्रत्यक्ष ऋण मंजूर करने को सहमत हो गया है। ऋण की शर्तों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ये लोन टर्म्स कब तक फाइनेलाइज करेगी और क्या गवर्नमेंट ने कोई अपनी तरफ से निर्देश दिए हैं कि लोन की ये टर्म्स होनी चाहियें?

श्री मनुभाई शाह : वैसे तो एग्जेमीनेशन खाली फार्मल है। जिस टर्म्स से भारत सरकार को सीधे लोन डी० एल० एफ० से मिलते हैं और एक्सीम बैंक से मिलते हैं उसी टर्म्स से यह भी मिलेगा। लेकिन एक फार्मल एग्जेमीनेशन बाकी है और वह थोड़े दिनों में हो जाएगा।

श्री विभूति मिश्र : लोन की टर्म्स तो बताइये कि क्या टर्म्स हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : जब तक सरकार उन टर्म्स को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है तब तक यह ठीक नहीं होगा, न हमारे इंटिरेस्ट में होगा और न ही डी० एल० एफ० के इंटिरेस्ट में होगा कि उनको मैं जाहिर करूं। जैसे ही सरकार उसको एप्रूव कर देगी माननीय सदस्य को उन टर्म्स के बारे में बता दिया जाएगा, उनको टर्म्स को दिखा दिया जाएगा।

श्री विभूति मिश्र : सरकार क्या चाहती है और वे क्या कहते हैं। इसके बारे में कुछ तो बताइये। यह कोई सीक्रिट बात नहीं है . . .

अध्यक्ष महोदय : आपस में बातचीत नहीं करनी चाहिये।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहता हूं कि इसमें कौन सी सीक्रिट बात है कि सरकार बता नहीं सकती है। वे किन टर्म्स पर चाहते हैं, आप किन पर दिलाना चाहते हैं और डी० एल० एफ० किन टर्म्स पर देती है, इसमें क्या सीक्रिट बात है। यह राजकाज का मामला है, सीधा सादा मामला है जो कि बताया जाना चाहिये। हम जो एम० पी० लोग हैं उनको तो ये चीजें बताई जानी चाहियें।

†**श्री मनुभाई शाह** : ऋण की शर्तें बताना लोक हित में नहीं होगा परन्तु, जैसा कि मैं सभा को आश्वासन दे चुका हूं, विकास ऋण निधि और निर्यात-आयात बैंक के ऋणों की अधिकांश शर्तें पक्ष को प्रत्यक्ष अथवा भारत सरकार के माध्यम से दिए गए ऋण के आधार पर होंगी। इसलिए जैसे ही यह मामला तय हो जाएगा मैं माननीय सदस्य को सूचना दे दूंगा।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस ऋण का आवण्टन किसी पक्ष विशेष के लिए किया गया था अथवा भारत में कागज उद्योग के विकास के लिए किया गया था?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि सभा को ज्ञात है, ये ऋण दो प्रकार के हैं। एक तो पिण्ड-राशि ऋण है जो हम विभिन्न उद्योगों को देते हैं। वह केवल ओरियन्ट पेपर मिल्स के लिए नहीं है। परन्तु यह ऋण जिसकी बातचीत हमारी अनुमति से उस पक्ष ने की थी मध्य प्रदेश में एक बड़े आकार के कागज के कारखाने की स्थापना के लिए है जिसमें प्रतिदिन १५० टन उत्पादन होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : कागज उद्योग सुविकसित है। यह ऋण किस बात के लिए मांगा गया है? क्या वह मशीनों की खरीद के लिए है? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि योजना आयोग ने यह निर्णय किया है कि जहां तक कागज उद्योग का संबंध है, मशीनों का निर्माण देश में ही किया जाना चाहिए।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सब विदेशी मुद्रा है। हम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं जब कि शत प्रतिशत मशीनें देश में ही बनने लगेंगी। परन्तु हम शुरुआत कर रहे हैं और संभवतः तीन वर्षों में ७५–८० प्रतिशत कागज बनाने की मशीनें देश में बनने लगेंगी और शेष फिर भी आयात करनी होंगी।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस ऋण के संबंध में सरकार की मंजूरी पहले ही ले ली गई थी और क्या सरकार ने उसके पुनर्भुगतान की गारण्टी कर ली है?

---

†भूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह सरकार की अनुमति ली गई थी। गारण्टी का कोई प्रश्न नहीं है। मशीनें ही स्वयं गारण्टी हैं जो बन्धक रखी जायेंगी। इस विदेशी मुद्रा का व्यय सरकार के अनुमोदन से किया जाएगा।

†श्री कालिका सिंह : क्या इस मिल में कच्ची सामग्री के रूप में मुख्यत: मध्य प्रदेश में उपलब्ध बांस और लुग्दी का ही प्रयोग किया जाएगा ?

†श्री मनुभाई शाह : अधिकांश में बांस और मध्य प्रदेश से प्राप्त लुग्दी।

श्री विभूति मिश्र : अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि लोन की टर्म्स तय नहीं हुई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी सूरत मे यह कैसे तय हो गया कि मध्य प्रदेश में यह कागज़ की मिल लगाई जाएगी ?

श्री मनभाई शाह : वे दोनों साथ साथ चलतीं हैं। लाइसेंस दे दिया गया, जमीन खरीद ली गई। ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं और लोन की बात भी साथ ही जुड़ जाती है।

पांडिचेरी के कपड़ा कारकानों में वस्त्र-उद्योग

मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का लागू किया जाना

+

†*६७८. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र उद्योग मजूरीं बोर्ड कीं सिफारिशों को पांडिचेरीं के कपड़ा कारखानों में लागू किया गया है;

(ख) यदि नही तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बहुमत प्राप्त संघ ने, प्रचलित फ़ांसींसी कानून के अनुसार अपना प्रतिनिधि स्वरूप सिद्ध करके, विवाचन कीं मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो अब तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया; और

(ङ) पांडिचेरीं के कपड़ा कारखानों के कर्मचारियों को यह लाभ प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

†वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन): (क) और (ख). पांण्चेिरी के मुख्य आयुक्त के प्रयत्नों के बावजूद भी वस्त्र मजूरी बोर्ड की सिफारिशें अभी तक क्रियान्वित नहीं की जा सकीं हैं क्योंकि उनके निर्वाचन के संबंध में प्रबन्धकों और मजदूरों में एकमत नहीं है।

(ग) पांण्डिचेरी में इस समय लागू फ़ांसीसी कानून के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय का आदेश संबंधित समस्त पक्षों की सहमती से ही दिया जा सकता है, उनमें से किसी एक की सहमती से नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) और (ङ) अब सरकार ने प्रबन्धकों और श्रमिकों के विवाद में मध्यस्थ निर्णय के लिए एक तदर्थ न्यायाधिकरण नियुक्त करने का निर्णय किया है। आवश्यक आदेश जारी किया जा रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच नही है कि पिछले नवम्बर में पाण्डिचेरी के समस्त पक्षों ने सर्वसम्पति से यह सिफारिश की थी कि एक मध्यस्थ निर्णयक नियुक्त किया जाना चाहिये और वह उसके निर्णय को मानने के लिए तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले में इतना विलम्ब क्यों किया है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : सरकार ने कोई विलम्ब नही किया है क्योंकि वर्तमान कानून के अन्तर्गत कुछ किया ही नही जा सकता है। प्रक्रिया बड़ी जटिल है। इसलिए हमें विवादग्रस्त प्रश्नों के संबंध में विदेशी क्षेत्राधिकार अधिनियम का सहारा लेना है और अब उसे एक तदर्थ एकल सदस्य न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जा रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या पांडिचेरी में फ्रांसीसी श्रम संहिता को खत्म करके औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करने के संबंध में सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : माननीय सदस्य जानते हैं कि यह विधिनुसार सत्ता हस्तान्तरण के पश्चात् हीं किया जा सकता है।

फिल्मों का निर्यात

†*६७९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष भारत से कितनी फिल्मों का निर्यात किया गया ;

(ख) इनके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी ;

(ग) क्या यह सच है कि यदि निर्यात— व्यापार का काम सरकार द्वारा राज्य व्यापार निगम अथवा सहयोगी अभिकरणों के माध्यम से किया जाये, तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति में काफी वृद्धि हो सकती है ; और

(घ) क्या यह सच है कि फिल्मों के बारे में भारत और अन्य देशों, विशेषत: इंग्लैंड और अमरीका, के बीच व्यापार की वस्तु-विनिमय पद्धति भारतके लिए हितकर सिद्ध होगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनबन्ध संख्या ४९]**

(ग) और (घ). फिल्मों का निर्यात बढ़ाने के लिए समस्त संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं यदि और जब अग्रेतर कदमों के संबंध में विचार किया जाएगा तो माननीय सदस्य के सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।

---

†मूल अंग्रेजीं में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सहकार अनुसन्धान संस्था योजना

*६०५. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सम्पत् :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह सहकार अनुसंधान संस्था बनाने की योजना की रूपरेखा क्या है जिस के लिए तृतीय पंजवर्षीय योजना में २०० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है,

(ख) इस योजना के अन्तर्गत क्या कार्य किया जायेगा, और

(ग) सहकार अनुसन्धान संस्था के संगठन का स्वरूप क्या होगा ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) सी० एस० आई० आर० ऐसे उद्योगों को कोआपरेटिव रिसर्च संस्थाएं बनाने और उन्हें बढ़ावा देने में मदद देती है,जो काफी संगठित हैं और अपने रिसर्च संगठन खुद चला सकते हैं। इस मदद में तकनीकी सलाह देना, योजनायें, नियम, उपनियम और बाई-लाज़ बनाना और आंशिक वित्तीय सहायता देना भी शामिल हैं। इस काम के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में दो करोड़ रुपये रखे गये हैं।

(ख) उद्योग के सारे मसलों पर रिसर्च जिसमें कच्चा सामान और तरीकों पर रिसर्च, तकनीकी समस्यायें, नतीजों की पाइलट प्लांट के तौर पर आजमाइश और उनका इस्तेमाल और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। इसके अलावा पुस्तकालय, जानकारी और सम्पर्क की सुविधायें भी दी जातीं हैं।

(ग) संस्थायें आटोनोमस संगठन हैं और उनकी अपनी प्रबन्ध परिषदें हैं। इनमें सी० एस० आई० आर० का भी काफी प्रतिनिधित्व रहता है।

आसाम के शरणार्थियों का पुनर्वास

†*६०६. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री सम्पत् :
श्री प्र० ग० देव :
श्री सुबिमन घोष :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हेम बरुआ :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मुहम्मद इलियास :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम से आये सभी शरनार्थी वापस आसाम लौट गये हैं और वहां पर पुनः बस गये हैं;

(ख) पुनर्वास पर कुल कितना व्यय हुआ है; और

(ग) क्या अपराधियों को दिये गये दंड की जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रहीं है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

नई दिल्ली में पृथक विश्वविद्यालय

*६०७. श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री कुह्लन :

क्या शिक्षा मंत्री २९ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में एक पृथक विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरम्भ होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :(क) जी , नहीं !

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*६०८. श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री विभूति मिश्र :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री २ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६६४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के लिए व्यवस्था करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, क्या इस बीच उसके बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी विस्तार की बातों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरौनी से दिल्ली तक तेल की पाइप लाइन

†*६०९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी से दिल्ली तक पेट्रोलियम तेल उत्पादों को लाने के लिए ७०० मील लम्बी तेल पाइप लाइन को बिछाने के बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). मामला अभी तक सरकार द्वारा विचार किए जाने की प्रारंभिक अवस्था में है ।

तांबा खान के विकास के लिये पौलैंड की सहायता

†*६१०. **श्री विद्याचरण शुक्ल** :
श्री पांगरकर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ताम्बा खनन के विकास के लिए पोलैंड की सरकार की सहायता लेने के लिए कोई प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं;

(ख) इस सिलसिले में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) अब तक उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). खेतड़ी तांबा परियोजना के लिए मंत्रणा सेवा के लिए पोलैंड स्थित भारतीय दूतावास के माध्यम से पूछताछ की गई थी। उसके संबंध में अब तक कोई उत्तर नहीं मिला है

राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था

†*६११. **श्री कोडियान** :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :

क्या **शिक्षा** मंत्री १५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था की स्थापना की प्रस्थापना का ब्यौरा तैयार करने के लिए नियुक्त की गयी विशेष समिति ने अपनी रिपोर्ट कर दी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाहीं की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का०ला०श्रीमाली) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) हां, श्रीमान्

(ख) समिति ने सुझाव दिया है कि पहले विशेष क्षेत्रों में उच्च स्तरीय प्रशासकीय पदों के लिए संगठन, प्रशासन और प्रबन्ध में कुछ चुनी हुई महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था स्थापित की जानी चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित संस्था का प्रबन्ध करने के लिए एक स्वायत्त-शासी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की स्थापना की सिफारिश की है। चर्चा के लिए आधार के रूप में यह भी सिफारिश की गई है कि संस्था को चुने हुए ग्रेजुएटों को भर्ती करना चाहिए और दो वर्ष का विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए जिसका एक डिप्लोमा दिया जाए। समिति का अनुमान है कि योजना की कुल लागत, आवर्तक तथा अनावर्तक दोनों व्यय, तीसरी योजना के लिए लगभग ३७ लाख रुपये होगी। परन्तु उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ये प्रस्ताव अस्थाई हैं और अन्तिम प्रस्ताव योजना का सिद्धान्ततः अनुमोदन किये जाने और बोर्ड आफ गवर्नर्स की स्थापना हो जाने के पश्चात् सरकार द्वारा बोर्ड आफ गवर्नर्स के साथ परामर्श करके तैयार किये जायेंगे।

(ग) प्रतिवेदन की शिक्षा मंत्रालय में जांच की जा रही है।

छात्र निकेतन, क्लब और स्वास्थ्य केन्द्र

†*६१२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा संस्थाओं में छात्र निकेतन, क्लब और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की योजना की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसी कितनी परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है ; और

(ग) दूसरी पंच वर्षीय योजना की अवधि में इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) हां, श्रीमान्।

(ख)

'नान-रेजीडेण्ट' विद्यार्थी केन्द्र	२२०
छात्र निकेतन	२
स्वास्थ्य केन्द्र	२५

(ग) २९,४८,६८३·९९ रुपये।

आसाम में तेल पाइप लाइन

†*६१३. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में तेल पाइप लाइन बिछाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : : १८-२-१९६१ को आयल इंडिया पाइपलाइन के निर्माण में प्रगति की स्थिति निम्न प्रकार है :

रास्ते की सफाई	१६९ मील
पाइपों का स्ट्रिंमिग	१४८
पाइपों का वैल्डिंग	१०६ ,,
पाइपों का कोटिंग और रैपिंग	४५ ,,
पाइपों का नीचे बिछाया जाना और बैंकफिल	४४ ,,

भारत और चीन की सरकारों की छात्र विनिमय योजना

†*६१४. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन की सरकारों की छात्र विनिमय योजना के अन्तर्गत इस समय चीन में भारतीय छात्रों की और भारत में चीनी छात्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या इन दोनों देशों में छात्रों के घूमने फिरने और उनके पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में कोई प्रतिबन्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) चार भारतीय छात्र चीन में अध्ययन कर रहे हैं और तीन चीनी छात्र भारत में अध्ययन कर रहे हैं ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पांडिचेरी में स्मारक

†*६१५. श्री नरसिंहन् : क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडिचेरी की भतपूर्व फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्राचीन स्मारकों और खुदाई के स्थानों के संरक्षण और संधारण पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) क्या सरकार इस बारे में कोई जानकारी एकत्र कर सकी है कि पांडिचेरी की वास्तविक सरकार को संरक्षण और खुदाई का क्या कार्य करना है ; और

(ग) उपरोक्त प्रयोजन के लिए बजट में १९६१-६२ के लिए कितनी धन राशि निर्धारित करने का विचार है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) १९४८ से १९५४ तक २२,२३३ रुपये ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) कोई उपबन्ध नहीं किया गया है परन्तु इस प्रयोजन के लिए संघ पुरातत्व विभाग द्वारा स्मारकों का संरक्षण और संधारण अपने हाथ में लिए जाते ही निधियों का व्यपवर्तन किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एवरो-७४८ विमान

†*६१६. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री मुरारका :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री जयपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में एवरो-७४८ विमानों के निर्माण के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या १९६१ में विमानों का उत्पादन होने लगेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कानपुर के विमान निर्माण डिपो में एवरो ७४८ विमानों के निर्माण में हुई प्रगति सन्तोषजनक है ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

तेल निक्षेप

†*६१७. श्री मुरारका :
श्री नथवानी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन स्थानों पर वाणिज्यिक किस्म का तेल मिलने का अनुमान है ;

(ख) इन कुओं में कुल कितना तेल प्राप्त होने की सम्भावना है ;

(ग) यह तेल कब निकाला जायेगा ; और

(घ) इस तेल के अन्वेषण पर अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) (१) आसाम : डिगबोई, नाहरकटिया, हुमरीजन और मोरन में ।

(२) गुजरात : खम्बात और अंकलेश्वर में ।

(ख) डिगबोई क्षेत्र प्रायः रिक्त होने वाला है और तेल निकालने के लिये विशेष तरीका अपनाना पड़ता है । नाहरकटिया, हुगरीजन और मोरन के आयल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रों में जो तेल निक्षेप सिद्ध हो गये हैं उनका १-७-६० का अनुमान १९६,०६,२०० इम्पीरियल बैरल और जिनका संकेत मिला है उनका अनुमान ८२,८८३,०० इम्पीरियल बैरल है । जहां तक खम्बात और अंकलेश्वर के क्षेत्रों के निक्षेपों का सम्बन्ध है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

(ग) डिगबोई क्षेत्र से तेल निकला जा रहा है । इस समय आयल इंडिया लिमिटेड क्षेत्रों अर्थात् नाहरकटिया, हुगरीजन और मोरन से कुछ तेल डिगबोई तेल शोधन कारखाने को पम्प किया जा रहा है । । पूरा उत्पादन तब शुरू होगा जब सितम्बर-अक्तूबर, १९६१ में नूनमाटी का तेल शोधन कारखाना चालू हो जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खम्बाता अंकलेश्वर क्षेत्रों से तेल का परीक्षात्मक उत्पादन इस वर्ष की अन्तिम तिमाही में प्रारम्भ करने का विचार किया जा रहा है ।

(घ) आयल इंडिया लिमिटेड ने 'अनुसन्धान' पर, तेल क्षेत्रों के विकास और उनसे उत्पादन पर किये गये व्यय को छोड़ कर, १८६ लाख रुपये व्यय किये । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये व्यय का अभी तक आकलन नहीं किया गया है ।

लौह अयस्क खानों का विकास

†*६१८. **श्री नथवानी :**
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौहअयस्क खानों और परिवहन सुविधाओं के विकास पर जापान द्वारा अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गयी है ;

(ख) इस विकास के परिणामस्वरूप परिवहन की कौन सी अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं; और

(ग) क्या विकास कार्य निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) किरीबुरू (रूरकेला क्षेत्र) की लौह अयस्क की खानों के लिए आवश्यक मशीनों की खरीद के लिए जापान ने ८० लाख अमरीकी डालरों के बराबर येन ऋण दिया है । बेलाडीला परियोजना के रेलवे और खनन सम्बन्धी भागों की विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए २१० लाख अमरीकी डालरों के बराबर राशि और भी दी गई है । उपरोक्त ऋणों में से अभी कुछ भी राशि निकाली नहीं गई है ।

(ख) किरीबुरू और बेलाडीला परियोजनाओं के सम्बन्ध में जिन परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाएगा वे हैं : एक रेलवे लाइन सम्बलपुर से तितिलागढ़ और एक लाइन किरीबुरू खानों को मिलाने के लिए, एक रेलवे लाइन बेलाडीला से विशाखापटनम को और विशाखापटनम पत्तन का ६० लाख टन लौह अयस्क संभालने के लिए विकास ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड

†*६१९. **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री मुरारका :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ७ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सेवाओं की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशी निर्माताओं के सहयोग के लिए चल रही बातचीत का क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को इस प्रयोजना के लिए नये उपकरणों के विकास के लिए अपने प्रयासों में सफलता मिली है ?

---

†मूल अंगेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) निर्माताओं के साथ बातचीत चल रही है और कुछ मामलों में वह बहुत आगे पहुंच चुकी है।

(ख) प्रतिरक्षा विज्ञान और औद्योगिक संस्थापनों में आवश्यक गवेषणा और विकास यथा-संभव जारी है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड केवल ऐसे विकसित उपकरण का निर्माण प्रारम्भ करेगा। गवेषणा और विकास का ब्यौरा बताना लोकहित में नहीं है।

केन्द्र के लिये राज्य सरकारों के कर्मचारी

†*६२०. **श्रीमती इलापाल चौधरी :**
श्री उस्मान अली खां :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत अराजपत्रित पदालियों—तीसरी और चौथी श्रेणी—के कुछ स्थानों को राज्य सरकारों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण द्वारा भरने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके कब लागू किये जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). प्रस्तावित योजना का ब्यौरा अभी तक अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है इसलिये अभी योजना का ब्यौरा बताना अथवा यह बताना कि उसके कब तक लागू होने की आशा है, संभव नहीं है।

माध्यमिक स्कूलों के लिये विज्ञान के अध्यापक

†*६२१. **श्री दामानी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में माध्यमिक स्कूलों के लिए विज्ञान के अध्यापकों की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) इस बात के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के अध्यापक अधिक संख्या में उपलब्ध हो सकें ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :

(क) हां, श्रीमान्।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास की योजना में वैज्ञानिक विषयों में भर्ती की संख्या बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अन्य चीजों के साथ इस से भी विज्ञान के अध्यापकों की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी।

विज्ञान के अध्यापकों के सेवा में और सेवा में लिये जाने के पूर्व प्रशिक्षण के लिये विशेष प्रशिक्षण कोर्सों के प्रस्ताव रखे जा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन से सस्ती पुस्तकें

†*६२२. **श्री मं० रं० कृष्ण :**
श्री ले० अचौ० सिंह ।

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश के विद्यार्थियों को ग्रेट ब्रिटेन द्वारा लागू सस्ती पुस्तकों के संभरण की योजना से कहां तक लाभ पहुंचा है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत ब्रिटेन से विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) विभिन्न संस्थाओं को इन पुस्तकों का वितरण करते समय किन बातों का ध्यान रखा गया था ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**. (क) पुस्तकें अभी तक भारत नही पहुंची हैं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संविहित पुनर्बीमा निगम

†*६२६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री उस्मान अली खां :
श्री विभूति मिश्र ।

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संविहित पुनर्बीमा निगम की स्थापना करने की प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) नही, श्रीमान् :

(ख) उत्पन्न नही होता ।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

*६२४. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री भक्त दर्शन :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री हेम राज :
श्री पहाड़िया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बाल्मीकी :
श्री कालिका सिंह :
श्री बाजपेयी :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक कार्यकारी दल नियुक्त किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यकारी दल ने कोई सिफारिशें की हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ; और

(ङ) विश्वविद्यालययों में हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) । (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) तक : कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन को पेश कर दी है । कमीशन रिपोर्ट पर विचार कर चुका है और उस ने यह फैसला किया कि रिपोर्ट सम्मति के लिये विश्वविद्यालयों को भेज दी जाय ।

(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन से प्रार्थना की गई है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग शुरू करने में विश्वविद्यालयों की सहायता करने के लिये वह हर सम्भव कार्रवाई करे । इस के अलावा केन्द्रीय सरकार ने मानव-विद्याओं, विज्ञान, टेकनालोजी की प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने और इन विषयों पर प्रामाणिक मौलिक ग्रन्थ तैयार कराने का कार्यक्रम शुरू किया है । यह काम विश्वविद्यालयों और राज्य सरकारों की उपयुक्त शैक्षिक एजेन्सियों के जरिये कराया जायगा और इस का सारा खर्च केन्द्रीय सरकार देगी ।

न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति होने की आयु

†*६२५. **श्री सम्पत :**
श्री ब्र० गं० देव :
श्री रघुवीर सहाय :
डा० विजय आनन्द :
श्री गोरे ।

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अभी हाल में न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने की आयु के बारे में कोई आलोचना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा १ फरवरी, १९६१ को दिल्ली भाषा संगम द्वारा उन की ६३वी वर्षगांठ मनाने के लिये आयोजित स्वागत समारोह में भाषण करते हुए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की से वानिवृत्ति की आयु के सम्बन्ध व्यक्त किये गये विचारों का समाचार पत्रों में प्रकाशित रूप देखा है ।

(ख) सरकार इस मामले में वर्तमान वैधानिक उपबन्धों को बदलना उचित नहीं समझती है ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम

†*६२६. **श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तेल का विपणन

†*६२७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में तेल का विपणन करने के लिये योजना आयोग से १० करोड़ रु० की अतिरिक्त मांग की गई है ;

(ख) क्या इसके लिये इन्कार कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस इन्कार का तात्पर्य यह है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने में होने वाले उत्पादन का वितरण गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा किया जायेगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भारतीय तेल कम्पनी को, जोकि पैट्रोलियम वस्तुओं के वितरण तथा विपणन के क्षेत्र में केवल एक ही सरकारी कम्पनी है, ३०-६-१९५९ को १२०० लाख रुपयों की प्राधिकृत पूंजी से निगमित कर दिया गया था । तृतीय पंच-वर्षीय योजना के प्रारूप में इस के लिये ५०० लाख रुपयों की व्यवस्था की है । ज्यों-ज्यों इस संगठन का विकास होता जायेगा त्यों-त्यों इसके लिये और अधिक राशियों की आवश्यकता होगी । और तृतीय योजना में इसके लिये अतिरिक्त राशि निर्धारित करने के सम्बन्ध में योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नही होते ।

अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन

†*६२८. { **श्री प्र० के० देव** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गुजरात केग तेल क्षेत्रों से अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस का परीक्षणात्मक उत्पादन प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तविक उत्पादन कब शुरू होगा ; और

(ग) इस अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां ।

(ख) १९६१ के उत्तरार्द्ध में ।

(ग) अशोधित तेल के उपयोग के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने प्राकृतिक गैस के कुछ सम्बद्ध रूपों का उत्पादन कार्यों में उपयोग करने का सुझाव दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त

†*६२९. **श्री बोडयार :**
श्री अगाड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के अधीन कितने सहायक आयुक्त काम कर रहे हैं ;

(ख) उनके मुख्य कार्यालय कहां पर स्थित हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत में अभी हाल में नियुक्त किये गये सहायक आयुक्तों में से कई दक्षिण भारत की कोई भाषा नहीं जानते ; और

(घ) अभी हाल में जो सहायक आयुक्त नियुक्त किये गये हैं उन में से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ११ हैं। इस के अतिरिक्त सीधे ही मंत्रालय के अधीन सहायक आयुक्त के पद पर एक और पदाधिकारी कार्य कर रहा है जिसे आदिम जातीय कल्याण पदाधिकारी, आसाम की संज्ञा दी गई है।

(ख) नई दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, लखनऊ, रांची, भोपाल, शिलांग, जयपुर, बड़ौदा और भुवनेश्वर।

(ग) जी, हां। परन्तु सभी सहायक आयुक्तों को यह हिदायत दी गई है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों की भाषायें सीखें।

(घ) उक्त कुल १२ में से ३ अनुसूचित जातियों के २ अनुसूचित आदिम जातियों के हैं, परन्तु इन में से कोई भी हाल में नियुक्त नहीं किया गया है।

त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद्[1] की आय और व्यय

†*६३०. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ के उपबन्धों के अनुसार त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् की आय और व्यय के लेखे तैयार किये जा चुके हैं, उन का निरीक्षण हो चुका है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उनकी लेखा परीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रादेशिक परिषद् को कोई लेखा परीक्षा रिपोर्ट पेश की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट पेश न करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी, नहीं। प्रादेशिक परिषद् अधिनियम, १९५६ के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् की आय और व्यय के लेखे तैयार करने और निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अल्प बचत योजना

†*६३१. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्न मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग के लोगों में अल्प बचत योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या नये कदम उठाये गये हैं ; और

(ख) पत्री वर्ष १९६० में सभी स्रोतों से इस बारे में कुल कितनी रकम इकट्ठी हुई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Tripura Territorial Council.

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

अल्प बचत योजना के कार्य को सदा ध्यान में रखा जाता है और इस सम्बन्ध में प्रचार कार्य को तीव्र करने और अन्य प्रकार के सुधार करने के लिये समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाहियां की जाती हैं । हाल ही में की गयी कार्यवाहियां निम्नलिखित हैं :—

(१) नयी योजनायें लागू की गयी हैं, और वे हैं—संचयमी समय निक्षेप योजना, वेतन बचत योजना और इनामी बाण्ड योजना ।

(२) डाक घर बचत बैंक में रुपया जमा कराने वालों या बचत प्रमाण पत्रों के खरीददारों की मृत्यु के उपरान्त उनकी राशि की बिना स्वत्व सम्बन्धी कानूनन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किये ही अदायगी के लिये नाम निर्देशन सम्बन्धी सुविधा देना ।

(३) अवधि की पूर्णता के बाद पांच वर्षों तक ३½ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज की अदायगी ।

(४) लघु बचत के स्थानीय प्रचार के लिये राज्यों को अधिक राशि का आवंटन । लघु बचत के प्रचार का योजना के प्रचार के साथ तालमेल पैदा करना ।

(५) योजना के प्रचार के लिये सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड अभिकरणों से सहायता प्राप्त करना ।

(६) अधिक से अधिक गैर-सरकारी सहयोग प्राप्त करने के लिये आदर्श जिलों, बचत ग्रामों और बचत फैक्टरियों का चुनाव ।

(७) केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा राज्यों के प्रचार विभागों द्वारा पोस्टरों, पुस्तिकाओं तथा अन्य साधनों से अधिक से अधिक प्रचार करना ।

(८) शिविर, प्रशिक्षण कैम्प, पदयात्रा आदि ।

(९) चैकों के द्वारा डाक घर बचत बैंकों से रुपया निकालने और जमा करने सम्बन्धी सुविधायें देना ।

(ख) १९६० में इनामी बाण्डों के अतिरिक्त कुल १०२.१९ करोड़ रुपयों की बिक्री हुई है ।

खनन की मंजूरी के प्रमाणपत्र सम्बन्धी नियम

†६३२. **श्री रामी रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन की मंजूरी के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने और इसके नवीकरण के लिये अदा किये जाने वाले शुल्क सम्बन्धी नियमों का पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन किया गया है कि पुनरीक्षित नियमों के अन्तर्गत अदा किया जाने वाला शुल्क बहुत अधिक है; और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि छोटे खान स्वामियों को शुल्क में वृद्धि हो जाने के कारण बड़ी कठिनाई अनुभव हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय वायु सेना के पदाधिकारियों को संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा पुरस्कार

†*६३३. {श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के ६ पदाधिकारियों को, जिन्होंने संयुक्त अरब गणराज्य में उड्डयन प्रशिक्षकों के रूप में काम किया था, उनकी सेवाओं के लिये संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा अभी हाल में पदक प्रदान किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदाधिकारियों के नाम और उन्हें जिस उपलक्ष्य में पदक प्रदान किये गये, उसका ब्यौरा देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) क्या इन पदकों को स्वीकार करने से पूर्व सरकार की अनुमति प्राप्त की गयी थी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

संयुक्त अरब गणराज्य सरकार द्वारा की गयी एक प्रार्थना के परिणाम स्वरूप १९५९ में सरकार ने वायु सेना के उन छः पदाधिकारियों को जोकि वैमानिक शिक्षकों के रूप में काम करने के लिये उस सरकार को उधार के रूप में दिये गये थे, संयुक्त अरब गणराज्य सरकार से "द्वितीय श्रेणी के सैनिक कार्य पदक" स्वीकार कर लेने की अनुमति दे दी थी। ये पदक उन्हें संयुक्त अरब गणराज्य के 'चीफ आफ एयर स्टाफ' के हाल ही के दौरे में दिये गये थे।

ये पदक उन पदाधिकारियों को संयुक्त अरब गणराज्य की वायु सेना के लिये की गयी सेवा की सराहना के रूप में दिये गये हैं। उन पदाधिकारियों के नाम ये हैं :—

स्क्वेड्रन लीडर (अब बिंग कमाण्डर) सुरिन्द्रसिंह।

स्क्वेड्रन लीडर जे० आर० किरलोस्कर।

स्क्वेड्रन लीडर एन० बी० सिंह।

स्क्वेड्रन लीडर एच० सी० जोशी।

फ्लाइट लेफ्टीनेंट सी० ए० मेक्कोंजिक।

फ्लाइट लेफ्टीनेंट वाई० के० बर्मन।

---

†मूल अंग्रेजी में

अहमदाबाद को कोयले के सम्भरण में कमी

*†६३४. **श्री याज्ञिक :**
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद के वाणिज्य मण्डल और कारखानों के मालिकों से, अहमदाबाद क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले का सम्भरण कम होने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) अहमदाबाद को कितने वैगनों का आवंटन किया गया और अहमदाबाद के उपभोक्ताओं की मांग क्या थी;

(ग) अहमदाबाद में कोयले के सम्भरण की कमी को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की गयी गयी है ;

(घ) क्या कोयले की कमी से कपड़े के उत्पादन में बाधा पड़ी थी; और

(ङ) यदि हां, तो कितनी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) मांग के आधार पर वर्तमान मास के लिये २,३०७ माल डिब्बों की मंजूरी दी गयी है। उसके विपरीत दिसम्बर, १९६० में १,४३४ डिब्बे और जनवरी, १९६१ में १,८४४ डिब्बे भेजे गये थे।

(ग) जनवरी, १९६१ में ३०० माल डिब्बे 'स्लैक' कोयले का तदर्थ कोटा मंजूर किया गया था। फरवरी, १९६१ में १,८७५ माल डिब्बे भेजने का प्रबन्ध कर लिया गया है। उन मिलों को, जहां १० दिन से कम का स्टाक है, इन १८७५ माल डिब्बों मेंसे उनके ७५ प्रतिशत कोटे के संभरण को प्राथमिकता दी जायेगी। आशा है कि जुलाई, १९६१ के बाद सम्भरण की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जायेगा। इस दौरान में कलकत्ता से समुद्री मार्ग के अधिक उपयोग करने और मध्य भारतीय कोयला क्षेत्रों से पश्चिमी बंगाल की इन मिलों तथा अन्य उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लक्ष्मी बैंक में रुपया जमा कराने वालों को भुगतान

†*६३५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी बैंक में रुपया जमा कराने वालों को अदायगी करने के लिये और क्या कदम उठाये गये है; और

(ख) अब तक कुल कितनी रकम अदा की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) और (ख). उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। ऋण निश्चित करने वाला पदाधिकारी बैंक की आस्तियों की वसूली करने और प्रारम्भिक आवश्यक कार्य करने के सम्बन्ध में कार्यवाहियां कर रहा है, ताकि रुपया जमा कराने वालों को रुपया अदा करने में प्राथमिकता दी जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियां

†*६३६. **श्री ले० अचौ सिंह :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पब्लिक स्कूलों में निर्धारित अवधि के लिये प्राप्त होने वाली भारत सरकार की छात्रवृत्तियों की संख्या को २०० से बढ़ा कर १५०० किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे १९६१ से लागू किया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंचायत राज्य

†*६३७. **श्री शि० ना० रामौल :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विकेन्द्रीकरण के द्वारा पंचायत समितिगों को अधिकार सौंपने की योजना को संघ राज्य क्षेत्रों में किस प्रकार लागू करने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : इस प्रश्न का उत्तर बाद में किसी और तिथि पर सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री द्वारा दिया जायेगा ।

'वन्दे मातरम्' की लय

†*६३८. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री १६ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या "वन्दे मातरम्' गीत की संशोधित लय को, जिसमें इस गीत को सहगान के रूप में अथवा अकेले व्यक्ति द्वारा गया जाना चाहिये, अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : राग देश में तैयार किये गये गीत के स्वर को को अन्तिम रूप से प्रमाप स्वर मान लिया गया है ।

संयुक्त स्कन्ध समवाय

†*६३९. **श्री गोरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में कितने संयुक्त स्कन्ध समवाय स्थापित किये गये ;

(ख) कितनी कम्पनियों की हिस्सा पूंजी की रकम प्रार्थित राशि से अधिक प्राप्त हुई ; और

(ग) सरकार इस बात के लिए क्या कदम उठा रही है कि प्रार्थित राशि से अधिक प्राप्त होने वाली अंश-पूंजी कम्पनी शुरू करने वालों के पास अधिक समय तक न पड़ी रहे, और अंशों का आवंटन यथासम्भव शीघ्र किया जा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाना है।

विवरण

(क) समवाय अधिनियम, १९५६ के अधीन १९६० में १६४१ संयुक्त स्कन्ध समवाय पंजीबद्ध किये गये थे।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह प्रतीत होता है कि १९६० में ३१ कम्पनियों की हिस्सा पूंजी की रकम प्रार्थित राशि से अधिक प्राप्त हुई थी?

(ग) प्रार्थित राशि से अधिक प्राप्त होने वाली अंश पूंजी कम्पनी के हिसाब में जमा हो जाती है, वह कम्पनी शुरू करने वालों के पास नहीं रहती। सरकार समवायों को यह सुझाव देती रही है कि आवेदनपत्रों की सूची को बन्द करने की तिथि के बाद लगभग दो मास के अन्दर ही प्रार्थित राशि से अधिक प्राप्त होने वाली अंश पूंजी के आवंटन का कार्य पूरा कर दिया जाये। समवायों को यह भी सुझाव दिया जा रहा है कि उनका हित इसी बात में निहित है कि वे प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, १९५७ के अधीन निर्धारित तीन दिनों की न्यूनतम अवधि के बाद अंश दान सम्बन्धी सूची बन्द कर दिया करें।

मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए शिक्षा सुविधाएं

†*६४०. श्री द० अ० कट्टी :
श्री सुगन्धि :
श्री माने :
श्री भा० कृ० गायकवाड़ :
श्री सिदय्या :
श्री बै० च० मलिक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसूर सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सभी शिक्षा सुविधाओं को वापिस ले लिया है और एक परिपत्र जारी करके सभी शिक्षा संस्थाओं को यह हिदायत दी है कि इन विद्यार्थियों को इस वर्ष जो भी वित्तीय सहायता दी गयी है उसे वापस वसूल कर लिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो संविधान के उपबन्धों को देखते हुए, मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लोगों की मैट्रिक-पूर्व शिक्षा के लिए सरकार क्या योगदान कर रही है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बातार)** : (क) जी, नहीं । यह सच नहीं है कि मैसूर सरकार ने अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली सभी शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें वापिस ले ली हैं । केवल उन्हीं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को अब माध्यमिक स्तर पर स्कूल की फीस देनी पड़ती है जिनके माता पिता की आय १२०० रुपये वार्षिक से अधिक है । १४ मार्च, १९६० से पहले इनकी भी फीस माफ़ थी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को दी गई वित्तीय सहायता को वापिस लेने के लिये मैसूर सरकार की ओर से शिक्षा संस्थाओं को कोई भी हिदायत जारी नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**

जैसलमेर क्षेत्र में पानी का सर्वेक्षण

†*६४१. **श्री नाथ पाई** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री १६ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर क्षेत्र में पानी के अन्वेषण के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१]**

राष्ट्रीय प्राणिकीय अनुसन्धान संस्था

†*६४२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्राणिकीय अनसन्धान संस्था की स्थापना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ;

(ख) क्या उसके लिये स्थान चुन लिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कहां, और ;

(घ) संस्था के कार्य तथा कार्यक्रमों की रूपरेखा क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) अभी खर्च का अन्दाज़ा नहीं लगाया गया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) अभी इंस्टीटयूट के बारे में कोई योजना नहीं बनाई गई है ।

भूतपूर्व पेंशनयाफ्ता सैनिक

†६४३ { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २० दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १०२६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा स्थापनाओं में पुनर्नियुक्त भूतपूर्व सैनिकों पर वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के प्रश्न के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : मामला अभी सरकार के विस्तृत निरीक्षण अधीन है ।

नागा क्षेत्र में स्थल-सेना का दुर्व्यवहार

†*६४४ { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री ले० अचो० सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागा क्षेत्र में स्थल सेना के कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध लगाये गये दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच करने का जो आदेश दिया गया था, उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ख) इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) जांच का परिणाम अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 'स्लीपरों' का उत्पादन

†*६४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में रेलवे की विस्तार योजनाओं के लिए अपेक्षित 'स्लीपरों' का उत्पादन होने लगा है ;

(ख) यदि हां, तो ये स्लीपर रेलवे के किस माप (गेज), के उपयुक्त हैं ; और

(ग) इस संयं की मौजूदा उत्पादन क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हां । उत्पादन सितम्र. १९६० में प्रारम्भ किया गया ।

(ख) बड़ी लाइन के लिये ९० पाउंड/गज़ पटरी ।

(ग) लगभग ५,०८० टन प्रतिमास ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल सम्बन्धी सरकारी उपक्रमों का एकीकरण

†*६४६. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तेल सम्बन्धी विभिन्न सरकारी उपक्रमों के एकीकरण की एक प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्थापना का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सिलसिले में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सरकार इस प्रकार की किसी विशिष्ट योजना या प्रस्थापना पर विचार नहीं कर रही है ;

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राज्यों में कोयले के भंडार

†*६४७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री ब्रज राज सिंह :
श्री नाथ पाई :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में आपात काल के लिए कोयले के भंडार बनाने की जिस योजना के बारे में राज्य सरकारों के साथ चर्चा हुई थी, क्या उसे क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी नहीं

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बस्तर में तांबा पनिक्षेप

†*६४८. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में नारायणपुर के निकट छोटा डोंगरी में तांबे के सम्भाव्य निक्षेपों की छिद्रण द्वारा जांच करने का काम हाथ में ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी हां । बस्तर जिले के नारायणपुर के उत्तर में ३० मील की दूरी पर मुन्दतिकरा क्षेत्र में भूतत्वीय सवक्षण किया जा रहा है अभी तक तीन छिद्रण किये गये हैं, परन्तु अभी तक ताबे का कोई नियमित निक्षेप नहीं मिला है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

करारोपण सलाहकार समिति

†*६४९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री पहाड़िया :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री अटयाकण्णु :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करारोपण सलाहकार समिति की स्थापना करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) जैसेकि प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति ने सिफारिश की है, राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री की अध्यक्षता में एक प्रत्यक्ष कर सम्बंधी के ीय सलाहकार समिति स्थापित करने का विचार है । समिति के कार्य वैसे ही होंगे जैसे कि प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की रिपोर्ट के अध्याय ९ के पैरा ४५ में बताया गया है ।

भिलाई इस्पात कारखाना

†*६५१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री दामानी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें इस्पात का उत्पादन पू ी क्षमता के अनुसार होना कब शुरू होगा; और

(ग) तैयार इस्पात का मौजूदा उत्पादन कितना है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). दस लाख टन इस्पात की वार्षिक उत्पादन क्षमता के भिलाई इस्पात कारखाने का निर्माण-कार्य सामान्यतया योजना के अनुसार ही चल रहा है । इस क्षमता की स्थापना के लिये आवश्यक मुख्य वर्कशापें चालू कर दी गयी हैं अतः इस्पात वर्कशापों का कार्य पूरा हो गया है । इस्पात के उत्पादन की वर्तमान गति के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि कुछ ही समय में पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन आरम्भ हो जायेगा । जनवरी, १९६१ में भिलाई कारखाने में ४८,३७४ टन इस्पात के डले तैयार किये थे, जिनसे ३७,३५४ टन बिलेट तैयार किये गये और ३०७८ टन रेल की पटड़ी तथा अन्य ढांचे तैयार किये गये हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय अंक

*६५२. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के सब मंत्रालयों को हिन्दी में अन्त ष्ट्रीय अंकों के प्रयोग का सुझाव दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सूझाव संसदीय राजभाषा समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार दिया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) यह सुझाव दिया गया है कि हिन्दी की प्रशासकीय रिपोर्ट में अंक साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय रूप में लिखे जायें ।

(ख) यह सुझाव संविधान के अनुच्छेद ३४३ (१) पर आधारित है और राष्ट्रपति के आदेश से किसी प्रकार प्रतिकूल नहीं है ।

मनीपुर में नागा विद्रोहियों द्वारा छापा

†*६५३. **श्री ले० अचौ० सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १८ फरवरी, १९६१ की रात को २० नागा विद्रोहियों ने मनीपुर में फेजांग के कूकी नामक गांव पर छापा मारा ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वातार)** : (क) और (ख). नागा विद्रोहियों द्वारा इस प्रकार का छापा मारने के सम्बंध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । पर हां, १८ फरवरी, १९६१ को कायेंग में एक घटना हुई थी । इम्फाल से १५ मील की दूरी पर एक कुकी गांव में लगभग १० बजे रात को किन्ही अज्ञात शरारती व्यक्तियों ने एक लोवर प्राइमरी सरकारी स्कूल को आग लगा दी थी । ग्रामवासियों ने आग बुझाने का यत्न किया, परन्तु उन शरारती व्यक्तियों ने स्कूल के पश्चिम में स्थित जंगल में से ग्रामवासियों की ओर गोली चलाकर उन्हें वापस भगाने का यत्न किया । ग्रामवासियों ने भी गोलियां चलायीं । परन्तु किसी ओर से कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ । मामले की अभी जांच की जा रही है ।

बोइंग–७०७ विमानों की खरीद

†*६५४. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री उस्मान अली खां :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री मुरारका :
श्री नथवानी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री २३ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३६३ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग––७०७ विमानों की खरीद के लिये आयात निर्यात बैंक के साथ ऋण की शर्तों और निबंधन के बारे में फैसला हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) कुल ऋण राशि ४८ लाख है और यह चतुर्थ बोइंग विमान की ८० प्रतिशत डालर लागत को पूरा करने के लिये है । वह ऋण दो भागों में है--४०.८८ लाख डालर अमरीकी निर्यात आयात बैंक से और ७.२१ लाख डालर बोइंग विमान कम्पनी से । सम्पूर्ण ऋण राशि पर ५¹/₂ प्रतिशत ब्याज लगेगा और उसे ३१ अक्टूबर, १९६१ से लेकर १४ बराबर अर्ध-वार्षिक किस्तों में वापिस करना होगा । ऋण करार की एक प्रति शीघ्र संसदीय पुस्तकालय में रख दी जायेगी ।

मैट्रिक आदि परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण छात्र

*६५५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में हुए मध्यमिक शिक्षा बोर्डों के सचिवों के चतुर्थ सम्मेलन ने मैट्रिक आदि परीक्षाओं (एस० एल० ई०) में अधिक छात्रों के अनुत्तीर्ण होने से उत्पन्न होने वाली स्थिति के सम्बन्ध में कुछ उपायों की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

सम्मेलन ने जो तरीके सुझाये हैं वे इस प्रकार हैं :

(१) तीव्र गति से चलाये जाने वाले सेवाकालीन कार्यक्रमों के जरिये छात्रों की अंग्रेजी और गणित की योग्यता में वृद्धि करनी चाहिये ।

(२) प्रत्येक वर्ष इस समस्या का गहरे तौर पर सर्वेक्षण और अध्ययन करने तथा एक दीर्घकालीन आयोजना करने के लिये राज्य स्तर पर विशेष समितियों की स्थापना की जानी चाहिये ।

(३) अंतिम परिणामों पर ज्यादा या कम असर डालने वाली निम्नलिखित खामियों को दूर करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिये :—

(क) कक्षाओं में छात्रों की अत्यधिक संख्या,

(ख) दो पारियों की व्यवस्था,

(ग) अध्यापकों पर काम का अत्यधिक बोझ,

---

†मूल अंग्रेजी में

(ञ) पाठ्य-चर्या के साथ चलने वाले ऐसे कार्य कलापों की अधिकता जो पाठ्य-चर्या से समन्वित नहीं हैं,

(ङ) अपर्याप्त साज समान,

(च) अध्यापकों में पढ़ाने की रुचि का अभाव,

(छ) घटिया दर्जे की पाठ्य-पुस्तकें,

(ज) दाखिले और तरक्की के मामलों में उदारता की नीति,

(झ) अध्यापकों और मुख्य अध्यापकों का बार-बार तबादला,

(ञ) अप्रशिक्षित और अयोग्य अध्यापक, ।

(४) प्रशिक्षण कालेजों को अपने कार्यक्रमों को शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप बनाने के लिये पूर्व-सेवा प्रशिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहिये । अध्यापक प्रशिक्षार्थियों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिये ताकि वे अच्छे परीक्षक बन सकें और उन्हें मूल्यांकन के तरीके भी बताये जाने चाहियें जिससे उनके अध्यापन का स्तर सुधर सके।

(ग) सुझाये गये विभिन्न उपायों की सूचना माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और राज्य शिक्षा विभागों को भेजी जायेगी ताकि वे उनको अमल में लायें ।

हेलीकाप्टर विमानों का निर्माण

†*६५६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २६० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हेलीकाप्टर विमानों का निर्माण किये जाने के लिये इनकी किसी किस्म का अन्तिम रूप से चुनाव करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किस किस्म का चुनाव किया गया है ; और

(ग) निर्माण-कार्य कब, कैसे और कहां शुरू किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) भारत में निर्माण के लिये कोई विशेष हेलीकाप्टर अभी तक चुना नहीं गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तेल छिद्रण यंत्र

†*६५७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम और गुजरात क्षेत्र में तेल सर्वेक्षण के कार्य में शीघ्रता लाने के लिये विदेशों से और छिद्रण यंत्र प्राप्त करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितने यंत्र; और

(ग) उन की लागत अनुमानतः कितनी होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) ९ ।

(ग) लगभग ४५६ लाख रुपये ।

गणतन्त्र दिवस की 'रिहर्सल' के दौरान विमान दुर्घटना

†*६५८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना का एक जेट विमान गुरूवार, १९ जनवरी, १९६१ को प्रातःकाल गणतंत्र दिवस के विमान कौशल प्रदर्शन सम्बन्धी रिहर्सल में भाग लेते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में तिब्बती शरणार्थियों का बसाया जाना

†*६६३. **श्री रा० च० माझी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में तिब्बती शरणार्थियों को बसाने के बारे में स्थानीय लोगों की भावनाओं का पता लगाया गया है; और

(ग) इन शरणार्थियों को उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में बसाने पर अब तक कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री जो० ना० हजारिका)** : (क) भालकपुंज क्षेत्र का, जहां लगभग १५०० तिब्बती शरणार्थियों को बसाने का विचार था, विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद योजना को बदल दिया गया है और फिलहाल वहां पर २०० शरणार्थियों को बसाने का फैसला किया गया है। इस क्षेत्र के उत्तरी भाग में ५०० अन्य शरणार्थियों को भी बसाने की योजना का विचार किया जा रहा है । इसके दक्षिणी क्षेत्र में सड़कों, मकानों, एक स्कूल और एक अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सम्पूर्ण क्षेत्र में से जंगल काट दिये गये हैं और २० एकड़ भूमि में खेती प्रारम्भ भी कर दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन शरणार्थियों के लिये पहाड़ के दामन में जो क्षेत्र चुना गया है, उसके बारे में जरा भी विरोध नहीं किया गया है ।

(ग) नेफ़ा प्राधिकारियों से आवश्यक जानकारी मांगी गई है ।

नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात

†*६६७. **श्री वें० प० नायर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा उत्पादों का निर्यात करने वालों को कोई प्रोत्साहन दिये जाते हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि सुस्थापित आयातकों द्वारा नारियल जटा की चटाइयों आदि के उत्पादकों को जो आयातित रसायन बेचे जाते हैं उनका मूल्य बहुत अधिक लिया जाता है और वे प्रमाप किस्म से घटिया होते हैं जिसके परिणामस्वरूप उत्पादों के रंगों का पक्का न होना अनिवार्य हो जाता है और इससे विदेशी मंडियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; और

(ग) स्थिति का सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंखा उद्योग

†*६७३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंखा निर्माता संस्था ने जनवरी, १९६१ में हुये अपने वार्षिक अधिवेशन में पंखा उद्योग की अठिनाइयों का उल्लेख किया था ;

(ख) यदि हां, तो वे कठिनाइयां क्या थीं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग). यह शिकायत की गई है कि इस उद्योग को कच्चे माल के अपर्याप्त संभरण के सम्बन्ध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । नये इस्पात कारखानों में विद्युत् इस्पात चादरों के निर्माण की योजना बनायी गई है । जहां तक तांबा का सम्बन्ध है, उद्योग को यह सुझाव दिया गया है कि वे तांबे का प्रयोग कम करें और उनके स्थान पर अल्यूमिनियम का प्रयोग बढ़ायें । यह सुझाव इसलिये दिया गया है कि देश में सभी अन-उपलब्ध धातुओं की तुलना में अल्यूमिनियम

†मूल अंग्रेजी में

के उत्पादन की संभावना अधिक है। बाल बीयरिंगों के निर्माण के सम्बन्ध में ६ नयी योजनायें मंजूर की गई हैं। नये कारखानों की क्षमता और वर्तमान कारखानों की क्षमता को मिला कर संभरण की स्थिति को सुधारा जा सकेगा।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाई होने पर भी कच्ची सामग्री के अच्छे संभरण के कारण और विशेषतया कई अन्य उद्योगों के विकास के कारण बिजली के पंखों का उत्पादन अब बढ़ गया है अर्थात् १९५९ में कुल ७·३१ लाख पंखे तैयार किये थे परन्तु १९६० में १०·१३ लाख पंखे तैयार किये गये हैं। इस उद्योग का उत्पादन सब से अधिक बढ़ा है।

मध्य प्रदेश में कास्टिक सोडा और क्लोरीन का संयंत्र

†*६७६. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह जी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में मैसर्स नेशनल न्यूजप्रिंट फैक्टरी (नेपा) को कास्टिक सोडा और क्लोरीन का निर्माण करने का एक संयंत्र स्थापित करने की अनुज्ञप्ति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र का वित्तीय परिव्यय क्या है; और

(ग) इस संयंत्र में प्रतिवर्ष कास्टिक सोडे और क्लोरीन का कितना उत्पादन होगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) जी, हां।

(ख) लगभग ५० लाख रुपये।

(ग) कास्टिक सोडा — ४०६८ टन प्रति वर्ष

क्लोरीन — ३६०० टन प्रति वर्ष

जापानी मिशन

†*६७७. **श्री अरविन्द घोषाल:**
श्री प्र० चं० बरुआ:

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक समस्याओं और प्रविधिक सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में चर्चा करने के लिये जापान से एक आर्थिक सहयोग मिशन अभी हाल में भारत आया था ;

(ख) यदि हां, तो किन विशेष विषयों पर चर्चा की गई ; और

(ग) भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में उनका मत और अनुमान क्या था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) आर्थिक समस्याओं और प्रविधिक सहयोग सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में सरकार से चर्चा करने के लिये कोई आर्थिक सहयोग मिशन भारत नहीं आया।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राज्य अमरीका की मंडियों में भारतीय जूट का सामान

†*६८०. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका की मंडियों में जूट-निर्मित भारतीय वस्तुओं, विशेषत: टाट, की बिक्री कम हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो खोया स्थान पुन: प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ;

(ग) क्या स्थिति का सामना करने के लिये उपयुक्त उपाय ढूंढने के उद्देश्य से जूट-मार्केट का कोई सर्वेक्षण और अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण और अध्ययन का क्या परिणाम निकला है, और क्या उपाय सुझाये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) वर्ष १९६० में अमरीका को भारतीय टाट के निर्यात में वर्ष १९५९ की अपेक्षा १०,००० टन की कमी हुई है ।

(ख) से (घ). निर्यात में कमी मूल्य में वृद्धि के साथ साथ अमरीका में टाट की खपत में कुछ कमी के कारण हुई । पटसन के संभरण में कमी का भी यह प्रत्यक्ष परिणाम था । पटसन के भारतीय उत्पादन में सुधार के साथ साथ, जिसके लिये ही प्रयत्न किये जा रहे ह, स्थिति में सुधार की आशा की जाती है ।

नारियल जटा के सामान के विपणन के लिए विदेशों को प्रतिनधि मंडल

†*६८१. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री मे० क० कुमारन :
श्री वारियर :
श्री पुन्नूस :
श्री कोडियान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा के सामान के अधिक मात्रा में विपणन की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये दूर पूर्व के देशों को कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा गया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिनिधिमंडल ने सरकार अथवा नारियल जटा बोर्ड को कोई रिपोर्ट दी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं । तथापि भारत सरकार दूर पूर्व देशों को एक नारियल जटा बोर्ड का शिष्टमण्डल भेजने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिटेन में कार्मिक-संघवाद का प्रशिक्षण

†*६८२. **श्री कोडियान :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणन कुट्टि मेनन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत से किसी कार्मिक-संघ के पदाधिकारी को कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कार्मि-संघवदि के प्रशिक्षण के लिये ब्रिटेन भेजा गया है ;

(ख) यदि हां, तो पदाधिकारी का नाम क्या है ;

(ग) इस प्रशिक्षण के लिये उम्मीदवारों को किस आधार पर चुना जाता है; और

(घ) चुने गये प्रशिक्षार्थी के लिये क्या निबंधन और शर्तें होती हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). अभी तक इकतालीस व्यक्ति भेजे गये हैं ।

(ग) और (घ). ये पाठ्यक्रम कार्मिक-संघ पदाधिकारियों के लिये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय विमान-यात्रा और संधारण भत्ते का व्यय ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दिया जाता है । स्थानीय व्यय सम्बन्धित संघों द्वारा दिया जाता है ।

पंजाब का औद्योगिक विकास

†*६८३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब के पिछड़े हुए और अल्प विकसित क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की कोई योजना केन्द्रीय सरकार को पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

पिछड़े हुये और अल्प-विकसित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार की तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा में पहाड़ी और तराई वाले क्षेत्रों के लिये विशेष व्यवस्था की गई है । इन क्षेत्रों के विकास के लिये प्रस्तावित योजनाओं पर कुल लागत ४६६ लाख रुपये अथवा उद्योगों

---

†मूल अंग्रेजी में

और खनिज-पदार्थों के लिये कुल योजना परिव्यय का २१.६ प्रतिशत है। राज्य सरकारों द्वारा निम्न योजनाओं का प्रस्ताव किया गया :

योजना/सब हेड	तृतीय योजना में प्रस्तावित धनराशि (लाख रुपये)	
(क) बड़े और मध्य दर्जे के उद्योग :		
(१) कांगड़ा घाटी में सीमेन्ट का कारखाना.	१४३.००	
(२) मिरठल में अखबारी कागज का कारखाना	२००.००	
		३४३.००
(ख) खनिज पदार्थ :		
(३) खान तथा खनिज पदार्थों का विकास .	९.००	
		९.००
(ग) ग्राम तथा छोटे उद्योग :		
(४) हथकरघे	३.०८	
(५) छोटे पैमाने के उद्योग (इसमें ग्रामीण किसानों के प्रशिक्षण के लिये १३.१७ लाख रुपये भी शामिल हैं)	६३.२८	
(६) औद्योगिक बस्तियां .	२२.२२	
(७) हस्तशिल्प .	११.४१	
(८) रेशम-कीट पालन	१४.०१	
		११४.००
		४६६.००

इन प्रस्तावों पर योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, १९६० में स्थापित राज्य सरकार, योजना आयोग और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के एक कार्यकारी दल द्वारा विचार किया गया और उसने योजना में शामिल करने के लिये निम्नलिखित योजनाओं की सिफारिश की :

	(लाख रुपये)	
(१) सीमेन्ट का कारखाना (२) अखबारी कागज का कारखाना	२५०	(गैर-सरकारी उपक्रमों के साथ राज्य सरकार का अंशदान)
(३) छोटे पैमाने के उद्योग	५०	
(४) औद्योगिक बस्तियां . .	२०	
(५) हस्तशिल्प	९	
(६) रेशम कीट पालन	१३	
(७) हथ करघा . .	३	
कुल	३४५	

राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे १३ और १४ जनवरी, १९६१ की राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये अपने आवंटनों और लक्ष्य को अन्तिम रूप दें। राज्य सरकारों से यह भी कहा गया है कि अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय वे कम आय वाले क्षेत्रों के आवंटन को खास ध्यान दें। सम्बन्धित निष्कर्ष निम्न प्रकार है :

"**कम आय वाले क्षेत्रों को आवंटन :** राज्य की योजना में परिव्यय के वितरण पर विचार करते समय कम आय वाले क्षेत्रों की आवश्यकता पर, जहां कम रोजगार अधिक है, विशेष ध्यान दिया जाये। यदि इन क्षेत्रों के लिये उपबन्ध किया जाये और किये जाने वाले उपाय एक नोट में बताये जायें, तो इसके लिये योजना आयोग आभारी होगा।"

राज्य सरकारों की अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजनाओं के योजना आयोग में लगभग मार्च, १९६१ के मध्य तक प्राप्त होने की आशा है।

उद्योगों का संकेन्द्रण

†*६८४. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अधिक आबादी वाले शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में उद्योगों के संकेन्द्रण को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है।

विवरण

अधिक आबादी वाले बड़े शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में उद्योगों के संकेन्द्रण को रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण पगों में कुछ निम्न प्रकार हैं :

(१) किसी भी महत्व का कोई भी औद्योगिक उपक्रम सरकार से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, जो लगभग समूचे औद्योगिक क्षेत्र पर लागू होता है, के अधीन लाइसेंस लिये बिना स्थापित नहीं किया जा सकता।

(२) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस देते समय अधिक आबादी वाले बड़े शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में उद्योगों के संकेन्द्रण को रोकने की आवश्यकता पर सदा ध्यान दिया जाता है। इस कार्य के लिये इस बात पर विचार जानने के लिये लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र की एक प्रति सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दी जाती है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस समिति की बैठक में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि और सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं जिसमें सरकार को सिफारिश करने के पूर्व उद्योगों के संकेन्द्रण के बारे में सभी पहलुओं पर विचार किया जाता है। सरकार राज्य सरकार के विचारों

†मूल अंग्रेजी में

और लाइसेंस समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर निर्णय करती है और नये उद्योगों को अधिक आबादी वाले बड़े शहरों और औद्योगिक केन्द्रों में स्थापित करने को रोकने पर पूरा ध्यान दिया जाता है ।

(३) विशिष्ट स्थानों में उद्योगों के संकेन्द्रण को रोकने के लिये विभिन्न राज्यों में सभी क्षेत्रों में छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के विकास को सरकार सक्रिय रूप से प्रोत्साहन दे रही है। इस दृष्टिकोण से सरकार द्वारा पुरस्कृत औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की योजनायें भी चलायी जाती हैं ।

(४) जैसाकि तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा में बताया गया है, औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में "औद्योगिक विकास क्षेत्र" बनाने के लिये एक योजना रखी गयी है जहां विद्युत्, जल आदि जैसी मूल सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी और कारखाने के स्थानों का विकास करके उन्हें भावी उद्योग पतियों को बेचा जायेगा या दीर्घकालीन पट्टे पर दिया जायेगा ।

बाल बीयरिंग आदि का निर्माण

†*६८५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में बाल बीयरिंग, रोलर बीयरिंग और अन्य बीयरिंग का बड़े पैमाने पर निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय होगा; और

(ग) यह उद्योग कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (ग). जी, नहीं । क्योंकि इस समय रूसी संस्थायें अपने बाल और रोलर बीयरिंग संयंत्रों के आधुनिकीकरण में लगे हुए हैं, रूसी प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि जब तक रूसी संस्थायें हमारे साथ सहयोग करने की परिस्थिति में न हों, इस परियोजना पर विचार स्थगित रखा जाये ।

कारों का आयात

*६८६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आसर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से दो सौ मोटर कारें भारत के कुछ उच्च अधिकारियों के प्रयोग के लिये आयात की गयीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कारें भारत पहुंच गयीं हैं;

(ग) इन पर कितना धन व्यय किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार ने इन कारों का आयात करने से पहले इन के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी इसका अनुमान लगाया था और यदि हां, तो यह विदेशी मुद्रा किस रूप मे दी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है

विवरण

अमरीका या अन्य कही से अधिकारियों के इस्तेमाल के लिये किसी भी कार का आयात नहीं किया गया है । माननीय सदस्य शायद पिछले साल अमरीका से आयात की गयी प्लाईमथ कारों का उल्लेख कर रहे हैं । १९५६ से जब से बड़ी कारों के आयात पर रोक लगा दी गयी है । केवल ९६ कारों (२०० नहीं) का अलग-अलग हिस्सों के रूप में एक स्वीकृत मोटर निर्माता को आयात करने की इजाज़त दी गयी थी । यह निर्माता उन कारों का पहले से आयात तथा हिस्से पुर्जे जोड़ कर कारें तैयार करते थे जिससे इस के लिये कम विदेशी मुद्रा की जरूरत हुई । इनमें से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विभाग के निवेदन पर, खास तौर से पर्यटकों के आने जाने के लिये अगस्त, १९५९ में लागत बीमा भाड़ा सहित ६.१९ लाख रु० के मूल्य के लाइसेंस पर ६० कारें अलग-अलग हिस्सों के रूप में आयात की गयी थीं । और दिसम्बर, १९५९ में लागत बीमा भाड़े को मिला कर ३.६० लाख रु०के मूल्य के एक और लाइसेंस पर ३६ कारों का आयात किया गया था इनका आयात उन राज भवनों/राज्य सरकारों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये किया गया था जिन्हें इन कारों की ज़रूरत अपने इस्तेमाल तथा भारत आने वाले विदेशी विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल में लाये जाने के लिये थी । १९५६ से जबकि विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए व्यापार के आधार पर ऐसी कारों का आयात बन्द कर देने का निश्चय किया गया था, केवल इन्हीं बड़ी कारों का आयात करने की इजाज़त दी गयी है ।

पर्यटकों के आने जाने के काम में आने वाली ये कारें पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों के लिये टैक्सी के रूप में नियत कर दी गयी हैं । इन पर डी० एल० ज़ेड० का खास नम्बर डाला गया है । स कारण इन्हें केवल पर्यटकों के लिये टैक्सियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ।

भारतीय सांख्यकीय संस्था

†*६८७. { **श्री ले० अचौ सिंह :**
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री विमल घोष :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सांख्यकीय संस्था, कलकत्ता ने अभी तक कोई 'कर्मचारी सेवा नियम' नहीं बनाये हैं और कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर छंटनी का खतरा है;

(ख) क्या भारतीय सांख्यकीय संस्था के प्राधिकारियों ने समय-क्रम का उत्सादन कर दिया है और एक वर्ष के लिए नौकरी के ठेके की पद्धति चालू की है; और

(ग) क्या कर्मचारी सेवा की वर्तमान स्थितियों से नितान्त असन्तुष्ट हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)** : (क) संस्था के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियम संस्था द्वारा समय समय पर जारी किये गये कार्यालय आदेशों में दिये गये हैं। अब संस्था इन नियमों का एक मेन्युअल के रूप में संकलन कर रही है। संस्था के अधिकारी यह महसूस नहीं करते कि जब तक कर्मचा ी कुशलता से कार्य करते हैं और जब तक सरकार के साथ वार्षिक ठेके के अधीन संस्था द्वारा राष्ट्रीय मानक संस्था सर्वेक्षण कार्य किया जाता है, बड़े पैमाने पर छंटनी का कोई भय है।

(ख) कर्मचारियों के वेतन दरों को वर्ष १९५९ में ठेका सेवा द्वारा अस्थायी रूप से बदल दिया गया था। तदनुसार, संस्था की परिषद् द्वारा नियुक्त एक वेतन आयोग को वेतन-ढांचे का प्रश्न सौंपा गया। समिति के प्रतिवेदन के आधार पर कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में पुनरीक्षित वेतन-दरें लागू करने के संस्था ने आदेश जारी किये हैं। अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के बारे में आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।

(ग) अधिक वेतन और अधिक उदारतापूर्ण सेवा शर्तों के लिये संस्था के अधिकारियों को मिले कर्मचारियों के कुछ अभ्यावेदनों की प्रतियों के अतिरिक्त सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

निर्यात नीति

†*६८८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघीय आर्थिक आयोग के सलाहकार डा० एस० जे० पटेल ने भारत के बारे में यह कहा है कि "हम अभी भी गलत लोगों को गलत चीजें बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं" और उन्होंने भारत के विदेशी विनिमय सम्बन्धी स्रोतों को बढ़ाने के लिए नई निर्यात नीति अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर विचार किया है और वर्तमान निर्यात नीति में कोई परिवर्तन करने के बारे में सोचा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) और (ख). हमने दिल्ली में एक अध्ययन सर्किल में डा० पटेल के भाषण के बारे में समाचार-पत्रों में समाचार देखा है। इस बारे में पहले ही प्रयत्न किये जा रहे हैं कि भारी उद्योगों की अधिक आवश्यकता के साथ साथ उत्पादन का ढांचा बदला जाये और विदेशी मंडियों में नये उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहन दिया जाये।

होजरी के सामान पर केन्द्रीय बिक्री-कर

†*६८९. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होजिरी के सामान का यदि बम्बई से निर्यात किया जाये अथवा बम्बई में आयात किया जाये तो उस पर केन्द्रीय बिक्री कर नहीं लिया जाता;

(ख) क्या यह भी सच है कि होजिरी के सामान का यदि लुधियाना, दिल्ली अथवा कलकत्ता से निर्यात अथवा आयात किया जाये तो उस पर केन्द्रीय बिक्री कर लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में एकरूपता लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (घ). इस प्रश्न का उत्तर अन्य तिथि को वित्त मंत्री द्वारा दिया जायेगा ।

जम्मू तथा काश्मीर में उर्वरक संयंत्र

†*६९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर राज्य में लिग्नाइट पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत क्या होगी;

(ग) इसमें केन्द्रीय सरकार कितना योगदान करेगी;

(घ) कारखाना कब स्थापित किया जायेगा; और

(ङ) इसकी उत्पादन-क्षमता कितनी होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) लिग्नाइट और जिप्सम पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) से (ङ). इस समय ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में युवक होस्टल

†११०७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में युवकों के होस्टल बनाने के लिये राज्य सरकार को वित्तीय अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है;

(ग) क्या पूरा अनुदान खर्च किया जा चुका है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संघ राज्य क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले

†११०८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में संघ राज्य क्षेत्रों में बाल-विवाह के कितने मामलों की सूचना प्रशासन को मिली है; और

(ख) उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राज्य क्षेत्र का नाम	प्रशासन को सूचित किये गये बाल विवाहों की संख्या	की गई कार्रवाई
दिल्ली	२	एक मामले में मैजेस्ट्रेट ने इंजंक्शन जारी करके दोनों पक्षों को विवाह न करने से रोक दिया । दूसरे मामले में अभियुक्त व्यक्तियों को छोड़ दिया गया ।
हिमाचल प्रदेश	१६	सोलह मामलों की समाप्ति जांच न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों के छोड़ दिये जाने या उन की रिहाई करने पर हुई । शेष तीन में से एक मामले में बाल विवाह रोक दिया गया और अन्य दो मामले न्यायाधीन हैं ।
मनीपुर .		प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।
त्रिपुरा .		,, ,, ,,
अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह .		,, ,, ,,
लक्काद्वीप, मिनिकाय और अमिनदिवी द्वीपसमूह	..	,, ,, ,,

बहुप्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों संबंधी प्रतिवेदन

†११०६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रा० चं० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री संगण्णा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न बहुप्रयोजनीय आदिमजाति खण्डों के कार्य के बारे में डा० ऐल्विन के सभापतित्व में कायम की गई समिति के प्रतिवेदन पर तब से विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हा, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). प्रतिवेदन अभी विचाराधीन है ।

दरियागंज (दिल्ली) में अज्ञात माता-पिता के निराश्रय बच्चों के लिये सदन

†१११०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरियागंज, दिल्ली के अज्ञात माता-पिता के निराश्रय बच्चों के सदन के बाहर झूले में १९६० में कितने बच्चे पाये गये;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें लड़कों और लड़कियों की पृथक पृथक संख्या क्या है;

(ग) इन बच्चों में से कितने प्रतिशत बच्चे;

(घ) कितने बच्चे दत्तक बनाये गये; और

(ङ) सदन में अभी कितने बच्चे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ९९.

(ख) ३२ लड़के ।
६७ लड़कियां ।

(ग) २१ प्रतिशत ।

(घ) सदन में १९५९ के अन्त में २१ बच्चे थे । इन में से तथा १९६० में बचने वाले २१ बच्चों में से, २५ बच्चे १९६० में दत्तक बनाये गये ।

(ङ) १७ ।

केन्द्रीय भूभौतिकी संस्था

†**१११९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २७१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अधीन एक केन्द्रीय भू-भौतिकी संस्था की स्थापना के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह कहां स्थापित की गई है; और

(ग) अब तक कितनी राशि खर्च की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (ग). सरकार ने तब से यह फैसला कर लिया है कि केन्द्रीय भूभौतिकी संस्था को (जिस में भूभौतिकी अनुसंधान तथा समुद्र विज्ञान संबंधी अनुसंधान कक्ष सम्मिलित है) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को हस्तांतरित कर दिया जाएगा । जब तक यह हस्तांतरण नहीं होता, परिषद् ने केन्द्रीय भूभौतिकी संस्था स्थापित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं की है।

मनीपुर में नलकूप

†**१११२. श्री पांगरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिम जाति कल्याण निधि में से अब तक मनीपुर में कितने नल कूप लगाये गये हैं और कहां कहां पर ; और

(ख) उन पर कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). सूचना प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़ी श्रेणियों का मापदण्ड

†१११३. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछड़ी श्रेणियां निर्धारित करने का मापदण्ड निश्चित करने के बारे में क्या अग्रेतर प्रगति की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** पहले बताई गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला

†१११४. **श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७११ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय आपराधिक विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा कीटाणुओं की सहायता से अपराध मालूम करने की दिशा में तब से क्या प्रगति की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** जो कीटाणु अपराध की घटना के स्थान, अभियुक्त या अपराधी के व्यवसाय, अपराधी जिस मार्ग से आया और गया हो और अपराध किये जाने के समय के बारे में अता पता दे सकें और जो यह निष्कर्ष निकालने में सहायता कर सकें कि आया मृत्यु डूबने के कारण हुई है या कि नहीं, उनका वर्गीकरण केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किया गया है । जिन लोगों पर संदेह हो या जो अपराधी हों उनके कपड़ों या शरीर पर मिलने वाले कीटाणु उनके द्वारा किये गये बयानों का सत्यापन या उनका खण्डन करने में भी सहायता दे सकते हैं ।

आयकर की बकाया राशि

†१११५. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा प्रदेश में (मंडलवार) १ जनवरी, १९६१ को आयकर की कुल कितनी राशि बकाया थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

आयकर निर्धारण

†१११६. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० में तीस हजार रुपयों से अधिक आय पर महाराष्ट्र के परभनी और नान्देड़ जिलों में कितने व्यक्तियों का आयकर निर्धारण किया गया है?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

जिला	व्यक्तियों की संख्या
परभनी	८
गन्देड़	१

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्र में पंजाब सरकार के अफसर

†१११७. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब सरकार के कितने अफसर केन्द्रीय सरकार के आफिसों में काम कर रहे हैं और वे किन पदों पर हैं ; और

(ख) उन में से कितने अफसर आई० ए० एस० पद्धति से संबंध रखते हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) इस समय अखिल भारतीय सेवाओं की पंजाब पदालि के ३५ अफसर केन्द्रीय सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। इनमें से ३ सचिव, २ अतिरिक्त सचिव, ३ संयुक्त सचिव, ४ उप-सचिव और एक अवर सचिव है ।

शेष २२ लोग क्षेत्रीय पदों पर हैं।

(ख) २४।

पंजाब को कच्चे लोहे का आवंटन

†१११८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में पंजाब को कितना कच्चा लोहा आवंटित किया गया है ; और

(ख) उक्त अवधि में कितना लोहा दिया गया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) सरकारी क्षेत्र की परि-योजनाओं में उत्पादन आरम्भ होने के साथ देश में कच्चे लोहे की उपलब्धि १९५९ में बहुत बढ़ गई है । अत: १–७–५९ से, कच्चे लोहे के आवंटन की प्रणाली समाप्त कर दी गई । अब सब उपभोक्ता अपनी पूरी आवश्यकता के लिये या तो अधिकृत स्टाकधारी या लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को सीधे आर्डर दे सकते हैं कि सीधे निर्माताओं से माल मिल जाए ।

(ख) ५७,५०७ टन (अप्रैल से दिसम्बर, १९६०)।

अल्प बचत योजना

†१११९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के महेन्द्र गढ़ तथा हिसार जिलों में १९६० में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कितनी राशि एकत्रित हुई ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** हिसार और महेन्द्र गढ़ जिलों में १९६० में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत क्रमश: ११७४००० रुपये तथा ४९१००० रुपये के लगभग राशि एकत्रित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मैंगनीज के अभिशोधन के लिये कस्टम मिल

†११२०. **श्री रामी रेड्डी :** क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज के अभिशोधन के लिये एक कस्टम मिल लगाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कहां पर ;

(ग) परियोजना की लागत तथा क्षमता क्या होगी; और

(घ) मिल संबंधी अन्य व्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला जमशैदपुर तथा भारतीय खान ब्यूरो नागपुर में देश के विभिन्न देशों के घटिया किस्म के मैंगनीज के अभिशोधन के लिये अग्रिम संयंत्र प्रयोग किये जा रहे हैं। इन के परिणाम मालूम होने के पश्चात् ही कस्टम मिल लगाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में विदेशी

†११२१. **श्री कुम्भार :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार क्या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनवार, विदेशियों की संख्या कितनी है तथा वे किन किन देशों के हैं ; और

(ख) उनमें से कितने लोग केन्द्रीय और राज्यों की सरकारी नौकरियों में हैं तथा कितने व्यापार करते हैं एवं कितनों के पास खेतीयोग्य भूमि है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रखी जाएगी ।

टायरों की चोर बाजारी

†११२२. **श्री कुन्हन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आँटो सप्लाई कंपनी दिल्ली के विरुद्ध टायरों आदि की चोर बजारी करने के बारे में केन्द्रीय जांच अभिकरण के पास शिकायतें आई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई कार्रवाई की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, हां।

(ख) शिकायत में लगाये गये आरोप में ऐसे नहीं थे कि विशेष पुलिस संस्थान, जिसका अंग केन्द्रीय जांच अभिकरण है , जांच करती। अतः यह शिकायत दिल्ली पुलिस की सी० आई० डी० ब्रांच को भेज दी गई ।

(ग) जांच का परिणाम मालूम किया जायगा और सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विद्यार्थियों की क्षय तथा कुष्ठ रोग से रक्षा

†११२३. **श्री कुम्भार** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्राइमरी स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को क्षय तथा कुष्ठ रोगों से बचाने के लिये सरकार विशेष रूप से किस प्रकार के उपचारात्मक तथा निषेधात्मक उपाय करती है ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार की सहायता से विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों में किस प्रकार के कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाते हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). क्षय तथा कुष्ठ रोगों संबंधी उपाय स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किये जाते हैं जो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन द्वारा चलाई जाती हैं और विश्वविद्यालय अपने विद्यार्थियों के लिये स्वयं ऐसी सेवायें चलाती हैं । कार्यक्रमों का स्वरूप तथा क्षेत्र प्रत्येक राज्य में भिन्न है।

उत्तर प्रदेश में 'बाद की देख भाल' गृह[1]

†११२४. **श्री सरजू पांडेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्रीय 'बाद की देख भाल ' गृह चल रहे हैं ;

(ख) वे किन किन स्थानों पर हैं ;

(ग) इन में कितने व्यक्ति हैं ; और

(घ) क्या ऐसे और गृह खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत, राज्यों में स्थापित 'बाद की देखभाल' गृह राज्य 'बाद की देखभाल' गृह के नाम से प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश में कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ और देहरादून में ऐसे ५ गृह हैं।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) एक और राज्य में 'बाद की देख भाल' गृह खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†११२५. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने १९६०–६१ में पंजाब के किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] After Care Homes.

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) पंजाब के उन क्षेत्रों में जहां भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने १९६०–६१ में सर्वेक्षण किया है, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, कांगड़ा, अंबाला, होशियारपुर जिलों तथा शिमला की पहाड़ियों के भाग सम्मिलित हैं ।

(ख) जांच का ब्योरा नीचे दिया जाता है :

महेन्द्रगढ़ : तोजांवाली क्षेत्र, नारनोल में बड़े पैमाने पर नक्शे लिये गये और खाइयां खोदी गईं। केवल ७० फुट (२१.३ मीटर) की चोट गहराई पर सलफाइड मिनरलाइजेशन (पाइराइट और आर्सनो पाइराइट) पाया गया ।

गुड़गांव : बढ़िया किस्म की चीनी मिट्टी और नर्म फ्राइवल क्वार्टज़ाइट जो सफेद बर्तनों और शीशा निर्माण के लिए उपयुक्त है, उसकी जांच जारी रखी गई । ५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का नक्शा भी १९६०-६१ में लिया गया।

नन्दा में सलफाइड मिनरलाइजेशन की जांच पूरी की गई थी । शेलों में कुछ पाइराइट क्रिस्टल भी मिले । उन का कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

कांगड़ा : पार्वती घाटी, कुल्लू सबडिवीजन में सीसे और सम्बन्धित धातुओं की जांच की गई । कुल्लू में उचीच (चांदी) खान का परीक्षण किया गया । १२.८ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया और ७०१ भूमि नमूने एकत्र किये गये । १९६१-६२ में जांच जारी रहेगी । इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिले में गर्म चश्मों की जांच की जा रही है। टटवानी, कालाथ, वाशिष्ट, मनिकरन, खीरगंगा और कारोल (कुलू) चश्मों का परीक्षण किया गया है ।

शिमला पहाड़ियां क्षेत्र : सीसा, तांबा, पाइराइट, चूने का पत्थर, और अन्य खनिजों की विद्यमानता का परीक्षण शिमला पहाड़ियों में किया जा रहा है । मैदानी सतह का नक्शा और पुरानी खानों की सफ़ाई का काम किया गया है। अब तक मूल धातु अयस्क का कोई चिन्ह नहीं मिला । विश्लेषण के लिए ३२ नमूने इकट्ठे किए गए हैं ।

अंबाला : अंबाला जिले में ३३५० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भू-जलीय जांच जारी रखी गई थी, । ९० कुंओं का परीक्षण किया गया और २० नल कूपों से सांरिध्यकी एकत्रित की गई थी । विश्लेषण के लिए १२० जलों के नमूने लिये गये हैं ।

होशियारपुर : भू-जलीय जांच जिले में जारी रखी गई थी । १३१५ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया और २६० कुओं को मापा गया । विश्लेषण के लिए १०३ जल नमूने एकत्रित किये गये ।

उत्तर प्रदेश में कोलेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम

†**११२६. श्री सरजू पांडेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कालिजों और विश्वविद्यालयों नें अपने अध्यापकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतन-क्रम अपना लिये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५९-६० और १९६०-६१ में इस काम के लिए आयोग ने क्या सहायता दी है;

(ग) किन किन कालेजों और विश्वविद्यालियों ने ये वेतनक्रम अपनाये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार शेष कालजों से आग्रह करेगी कि वे इन वेतनक्रमों को अपनायें; और

(ङ) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसका क्या कारण है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ङ). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखदी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवेदन

†११२७. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त में १९५९-६० के बारे में अपना प्रतिवेदन गृह-कार्य मंत्रा ाय को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यह कब लोक-सभा के पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** (क) जी हां ।

(ख) २५ सितम्बर, १९६० को ।

(ग) हिन्दी में प्रतिवेदन की प्रकाशित प्रतियां अपलब्ध होने पर ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर कार्यवाही

†११२८. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५८-५९ वर्ष के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में जो विविध सिफारिशें की थीं, उन पर की गई कार्यवाहियों के ज्ञापन के सभा पटल पर अब तक न रखे जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) यह कब सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). यह सभा पटल पर रख दिया जायेगा जब सब राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो जाएंगे ।

अलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये परीक्षा-पूर्व अध्ययन

†११२९. **श्री सिदय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर १९६० में आई० ए० एस० और आई० सी० एस० जो परीक्षा हुई थी उसमें अनसुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी बैठे थे, जिन्हें अलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षा-पूर्व अध्ययन करवाया गया था, और

(ख) उनमें से कितने लोग सफल रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ३९ ।

(ख) ६ अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए और आई० ए० एस० तथा आई० एफ एस० के लिए उनकी इंटर्व्यू हुई । इसमें तीन सफल रहे हैं । ११ अभ्यर्थी केन्द्रीय सेवाओं और और आई० पी० एस० के लिये लिखित परीक्षा में सफल हुए । उनके अन्तिम परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परीक्षा-पूर्व अध्ययन केन्द्र

†**११३०. श्री सिद्ध्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ वर्ष में तीन केन्द्रों में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों पिछड़ी श्रेणियों तथा अन्य लोगों के लिए परीक्षा-पूर्व अध्ययन आरम्भ करने के लिये केरल सरकार को कोई अनुदान मंजूर किया गया है; और

(ख) प्रत्येक केन्द्र में अनसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कितने अभ्यर्थियों को को प्रशिक्षण दिया जाएगा ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैसूर उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें

†**११३१. श्री सिद्ध्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १९६० से १ फरवरी, १९६१ तक मैसूर उच्च न्यायालय के सामने कितनी लख याचिकाएं आईं और वे किस प्रकार की थीं, और

(ख) उपरोक्त अवधि में कितनी ऐसी पिटीशनों का निपटारा किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन का कार्यक्रम

†**११३२. श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन का क्या कार्यक्रम है,

(ख) दूसरी योजना में संगठन की लक्ष्य प्राप्ति किया है, और

(ग) तीसरी योजना के लिए संगठन क्या कार्यक्रम है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) प्रतिरक्षा स्टोरों और सामान का उत्पादन पांच साला आधार पर नहीं बनाया गया । यह केवल सेवाओं से पक्के इन्डेंटों पर किया जाता है, जो साधारणतया अपेक्षित संभरण से एक वर्ष पहले दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दूसरी योजना अवधि में आयुध फेक्टरियों में निर्मित उपकरण की लागत इस प्रकार है :

	करोड़ रुपये
१९५६-५७	१४.०८
१९५७-५८	१८.०८
१९५८-५९	१९.५७
१९५९-६०	२५.१४
१९६०-६१ (अप्रैल से दिसम्बर)	१९.९६

इस अवधि में आयुध फैक्टरियों में यथासंभव स्वावलम्बता लाने के लिए पर्याप्त विस्तार हुआ है। इस अवधि में मंजूर परियोजनाओं की लागत वर्षवार नीचे दी जाती है :

	करोड़ रुपये
१९५६-५७	.३४
१९५७-५८	.९३
१९५८-५९	१.४९
१९५९-६०	१९.३२
१९६०-६१ (अप्रैल १९६० से फरवरी ६१)	५.२८

(ग) तीसरी योजना अवधि के लिए वास्तविक अपेक्षित उत्पादन संबंधी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया जा रहा क्योंकि यह सेवाओं की वर्षानुगत आवश्यकताओं पर निर्भर होगा। तथापि यह आशा की जाती है कि तीसरी योजना अवधि के अन्त में उत्पादन की लागत लगभग ५० करोड़ रुपये होगी।

केन्द्रीय सरकार का पुलिस विभाग

†११३३. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पुलिस विभाग में प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सेवाओं में सुरक्षित स्थानों पर नियुक्तियां की गयी हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) भरती और नियुक्ति के मामले इन जातियों और आदिम जातियों के लोगों को किस प्रकार की विशेष वरीयता दी जाती है; और

(घ) उसका क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और वह प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक प्रशिक्षण

†११३४. **श्री कुम्भार** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक प्रत्येक वर्ष राज्यों और केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से विभिन्न सैनिक स्कूलों और प्रशिक्षण कालेजों में कितने सैनिक प्रशिक्षार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के कितने प्रशिक्षार्थी थे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). विभिन्न सैनिक स्कूल और सैनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केवल उन्हीं प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं जिन्हें प्रतिरक्षा बजट से अदायगी की जाती है। विभिन्न राज्यों के पुलिस कर्मचारियों को भी कुछ प्रतिष्ठानों में विशेष प्रशिक्षण मिलता है लेकिन उन्हें कोई सैनिक प्रशिक्षण नहीं मिलता।

प्रतिरक्षा सेवाओं के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उन कर्मचारियों के, जो इन प्रतिष्ठानों में ये प्रशिक्षण शिक्षाक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त करते हों, आंकड़े नहीं रखे जाते।

राजस्थान में बकाया आयकर

†११३५. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान में १ जनवरी, १९६१ को कुल कितना आयकर बकाया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : राजस्थान में १ जनवरी, १९६१ को वास्तव में आयकर की कुल बकाया रकम ३,६१,९५,००० रुपया थी।

राजस्थान में करों की बकाया रकम

†११३६. **श्री ओंकार लाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ को राजस्थान में दान-कर, सम्पत्ति-कर और व्यय-कर की कुल कितनी रकम बकाया थी ;

(ख) वह कब से बकाया थी; और

(ग) यह रकम वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) राजस्थान में १ जनवरी, १९६१ को दान-कर और व्यय-कर की कोई रकम बकाया नहीं थी।

सम्पत्ति-कर के संबंध में उपयुक्त जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा

†११३७. **श्री ओंकार लाल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा के लिये केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान सरकार को कितनी रकम दी है ; और

(ख) क्या राजस्थान में लडकियों की शिक्षा के विस्तार के लिये कोई नई योजनायें तैयार की गई हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) १९६०-६१ में प्रारम्भिक दौर में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा समर्थित योजना के अधीन ३.८६ करोड़ रुपये की रकम दी गई है ।

(ख) जी हां । लड़कियों के लिये मिडिल स्कूलों और सेकेन्डरी स्कूलों में होस्टल की सुविधाओं की व्यवस्था के लिये एक नई उपयोजना मंजूर की गई है और एक संस्था के लिये राज्य सरकार को १.५ लाख रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है ।

भारतीय नृत्य का प्रशिक्षण

११३८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नृत्य-कला का उचित प्रशिक्षण देने के लिये कोई योजना तथा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :(क) और (ख). मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) इस मामले का वास्ता राज्य सरकारों से है ।

दिल्ली में अपराध रोकने के लिए निवारक नजरबन्दी अधिनियम लागू करना

†११३९. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री मती इला पालचौधरी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नारायणनकुट्टि मेनन :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में अपराध रोकने के लिये निवारक नजरबन्दी कानून लागू करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस इस विषय में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). ऐसी किसी विशेष योजना पर सरकार विचार नहीं कर रही है । फिर भी यह परिस्थितियों पर निर्भर है कि किसी विशेष स्थिति में निवारक नजरबन्दी कानून का प्रयोग किया जाये या नही ।

आन्ध्र प्रदेश में कोयले की कमी

†**११४०. श्री उस्मान अली खां** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर में सेरामिक फैक्टरी कोयले की कमी के कारण बन्द कर दी गई है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों के लिये कोयला पहुंचाने के लिये क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है क्योंकि कोयला नियंत्रक ने परिवहन की सुविधाओं की कमी के कारण कोयला सप्लाई करने की अपनी असमर्थता प्रकट की है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) यह फैक्टरी नवम्बर, १९६० में कुछ समय के लिये बन्द थी । ठीक ठीक अवधि नहीं मालूम है ।

(ख) एक छोड़ कर दूसरे हर रविवार को आसनसोल से दक्षिण भारत को दो माल डिब्बे भेजने की व्यवस्था की गई है । इस से मुख्यतः आन्ध्र प्रदेश और मैसूर के दो राज्यों को जिन्हें रेल तथा समुद्री मार्ग से लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता, लाभ पहुंचेगा । इस के अलावा आन्ध्र प्रदेश सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं :—

(१) उसे काकिनाड़ा बन्दरगाह पर समय समय कोयले से भरा जहाज स्वीकार कर लेना चाहिये ।

(२) तम्बाकू सुखाने वालों को इस बात के लिये राजी करना चाहिये कि वे कोयले के संग्रह तैयार करें जिस से सारे साल भर कोयला दिया जाता रहे ताकि तम्बाकू सुखाने के मौसम में दूसरे उपभोक्ताओं पर दबाव किसी हद तक कम हो सके ।

(३) आन्ध्र प्रदेश के उद्योगों को कोरबा कोयला खान से कोयला लेने के लिये राजी किया जाये । इस कोयले की अब जांच की जा चुकी है और कई औद्योगिक कारखाने इसे इस्तेमाल कर सकते हैं ।

(४) निचले दर्जे के कोयले के उपभोक्ताओं की कुछ आवश्यकतायें कलकत्ता बन्दरगाह से रेल तथा समुद्री मार्ग से माल पहुंचाने की व्यवस्था कर के पूरी की जा सकती हैं ।

इनामी बौंडों की लौटरी

†**११४१. श्री उस्मान अली खां** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इनामी बौन्डों की लौटरी जो अभी प्रत्येक तिमाही में होती है, अब हर छमाही में करने का सरकार का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : इनामी बौन्ड जारी करने की शर्तों में यह व्यवस्था है कि हर तिमाही में लौटरी डाली जायगी और यही व्यवस्था कायम रहेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में कोयले की कमी

†११२२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कोयले और साफ्ट कोक की कमी दूर करने के लिये कार्यवाही अन्तिम रूप से निश्चित की जा चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). दिल्ली में कोयले और साफ्ट कोक की कभी कमी नहीं रही । दिल्ली प्रशासन ने कोयला प्राप्त करने की व्यवस्था को अभी हाल में नया रूप दिया है । कोयला और साफ्ट कोक का कोटा प्रतिमास ११५० माल डिब्बे से बढ़ा कर १५०० माल डिब्बे कर दिया गया है और वह दिल्ली प्रशासन द्वारा स्वीकृत व्यापार-संघों के जरिये प्राप्त किया जायेगा । यह कोटा ब्लाक रेक्स में ले जाया जायगा और छःवां हिस्सा रिजर्व रखा जायगा ।

नेवेली में उर्वरक संयंत्र

†११४३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** १५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नेवेली में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : कुछ संयंत्रों की नीव संबंधी असैनिक निर्माण कार्य तथा इमारतों के नकशे तैयार करने का काम जारी है । उर्वरक संयंत्र क्षेत्र के लिये पानी सप्लाई करने की अस्थायी व्यवस्था पूरी हो चुकी है । प्रशासनिक इमारतें, उपाहार-गृह और वर्कशाप बनाने का काम शुरू हो गया है

संयंत्र और मशीनों की पहली खेप पहुंचना शुरू हो गया है । संयंत्र और मशीनें लगाने का काम मार्च, १९६१ में संभवतः शुरू हो जायेगा ।

जिन अधिकारियों को इटली और पश्चिमी जर्मनी में नौवहन के प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था उन का पहला दल मार्च, १९६१ में आने वाला है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए साजसामान

†११४४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री पांगरकर :
श्री ज० ब० सिं० विष्ट :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** १५ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये आवश्यक साजसामान के उत्पादन के लिये बातचीत पूरी हो चुकी है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी नही । वह अभी जारी है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

जाधवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के वैज्ञानिक प्राविष्कार

†**११४५. श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान जाधवपुर विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा तैयार किये गये दो रोचक माडेल, जिस में एक का नाम "वायस आपरेटिंग डोर" है जो अन्दर आने वाले और बाहर जाने वाले व्यक्ति कीं आवाज से खुलता और बन्द होता है और दूसरे का नाम "ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम" है, की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन के वास्तविक काम के बारे में कोई रिपोर्ट मागी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उन के प्रयोग के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) और (ख). जीं हां । ये माडेल उन्ही सिद्धान्तों के अनुसार, जो सर्वविदित हैं और कुछ देशों में जिन का प्रयोग किया जा रहा है, बनाये गये हैं ।

(ग) नोवी वार्षिक प्रदर्शनीं के अवसर पर जाधवपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित पत्रिका की प्रति जाधवपुर विश्वविद्यालय से अभीं प्राप्त हुई है । इस में उन माडेल के ब्यौरे दिये गये हैं । यह आगे आवश्यक कार्यवाही के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् को भेज दी गई है ।

बैंकों का वैज्ञानिकन

†**११४६. श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे बैंकों को प्रोत्साहन देने और उन्हें सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिस से वे देश के विकास में हाथ बटा सकें ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : न्यूनतम बिक्री पूंजी सम्बन्धी आवश्यकता बैंकिंग कम्पनीज़ एक्ट में काफी कम रखी गई है । कुछ आधारभूत सुविधायें जैसे नकदी और अन्य वस्तुओं की सुरक्षा की व्यवस्था, जरूरत के समय वित्तीय सहायता की व्यवस्था और सरल शर्तों पर प्रेषण की सुविधायें, बैंक व्यवसाय के राज्य-सम्बद्ध क्षेत्र के विस्तार के ज़रिये दी गई हैं । छोटे बैंक ब्याज की दरों के सम्बन्ध में परस्पर बैंकों के बीच करार के उपबन्धों से भी मुक्त होते हैं । इस समय ऐसे बैंकों को प्रोत्साहन के लिये और किसी खास कार्यवाही की जरूरत नहीं है ।

एरन (मध्य प्रदेश) में पुरातत्व संबंधी वस्तुएं

†**११४७. श्री रघुबीर सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा प्रदेश में एरन स्थान पर सागर विश्वविद्यालय पुरातत्व विभाग को मौर्यकालीन पासा मिला हुआ है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस से भारत के इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

†**वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास**: (क) जी हां।

(ख) इस तथ्य के सिवा कि उस पर मौर्यकाल के ब्राह्मी अक्षरों में खुदाई की हुई है और वह इदगुना (इन्द्रगुप्त) नाम के राजा के सम्बन्ध में है, इस समय उसके ऐतिहासिक महत्व के सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना संभव नहीं है।

संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध

†**११४८. श्री रघुनाथ सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध बढ़ रहे हैं और उसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: १९५९ के आंकड़ों की तुलना में १९६० में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अपराधों की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई थी। मनीपुर में भी मुख्यतः आदिमजाति के झगड़ों और उस क्षेत्र में विधान सभा की स्थापना के लिए आन्दोलन के कारण अपराधों में थोड़ी वृद्धि हुई थी। दिल्ली में अपराधों की कुल संख्या थोड़ी घट गयी थी।

फोनेटोग्राफ[1]

†**११४९. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक स्विस वैज्ञानिक ने फोनेटोग्राफ अर्थात् एक ऐसी मशीन जो किसी भाषण के दिये जाने पर ध्वनिविषयक लिपि में टाइप करती है, का आविष्कार किया है जैसा कि बम्बई में स्विस व्यापार आयुक्त ने बताया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस आविष्कार से लाभ उठाने की कोशिश कर रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) समाचार-पत्रों की सूचना के अतिरिक्त, सरकार को इस विषय में अभी कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जब और ब्यौरा प्राप्त हो जायगा तब इस पर विचार किया जायगा।

इस्पात उद्योग के लिए बिजली सप्लाई

†**११५०. श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात उद्योग में बिजली की कमी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या तीसरी पचवर्षीय योजना बिजली का संशोधित नियतन आवश्यक स्तर तक बिजली सप्लाई बढ़ाने के लिए पर्याप्त समझा जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Phanetograph

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी नहीं। टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स को दामोदर घाटी निगम से सप्लाई में कुछ कमी हुई है और यह कमी कुछ पुराने बिजली संयंत्रों को, जो अन्यथा रद्द कर दिये गये होते, चलाना जारी रखकर पूरी की जाती है।

(क) जी हा।

वाइकाउन्ट विमान

†११५१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री म० र० कृष्ण :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाइकाउन्ट विमानों के निर्माता विकर्स आर्मस्ट्रांग ने अपने कुछ विमान चालकों को यह सलाह दी है कि वे विमानों को जांच लिया करें ;

(ख) यदि हां तो क्या उन्होंने विमानों में कुछ खराबी बतायी है ; और

(ग) भारतीय विमान बल में ऐसे कितने हवाई जहाज काम में लाये जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां, एक में।

(ग) दो।

त्रिपुरा में सरकार द्वारा प्राप्त की गयी जमीन

†११५२. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों में कितने एकड़ कृषियोग्य तथा समतल जमीन प्राप्त की है और लोगों को मकान बनाने, तालाब खोदने, औद्योगिक संस्थाए बनाने, ईंटें बनाने और सड़कें बनाने आदि के लिए बेची है ; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए लगभग कितने एकड़ जमीन का सभवतः उपयोग किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). यह जानकारी इकट्ठी करने में खर्च किया गया समय और श्रम उसके परिणाम के अनुरूप नहीं है।

भारतीय खान ब्यूरो

†११५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय खान ब्यूरो की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं ;

(ख) पूर्वोक्त उपलब्धियों का भारत को क्या लाभ होगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विभाग के पास बिजली के कितने ड्रिलिंग रिग हैं और कितने अन्य निकट भविष्य में अर्जित किए जायेंगे ; और

(घ) क्या उनमें कुछ अत्यधिक आधुनिक हैं ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). भारतीय खान ब्यूरो की पिछले तीन वर्षों की उपलब्धियां और उनसे होने वाले लाभ संक्षेप में निम्न प्रकार है :

(१) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा विभिन्न खान मालिकों को दी गई सलाह के परिणामस्वरूप खनन टेक्नीक में सुधार, खोज के कार्यकुशल तरीकों का अपनाया जाना, खानों का सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक विकास, बरबादी को बचाना और सीमान्त श्रेणी के अयस्कों और खनिजों का उपयोग करना । ब्यूरो के उपरोक्त कार्यों के परिणामस्वरूप देश के खनिज संसाधनों का अधिक अच्छा उपयोग किया जा रहा है ।

(२) घटिया किस्म के अयस्कों और खनिजों का अभिशोधन । इससे खनिज उत्पादन के मूल्य में वृद्धि हुई है ।

(३) कोयला, लौह अयस्क, तांबा अयस्क, पाईराइट और मैग्नेसाइट जैसे विभिन्न खनिजों की विस्तृत खोज । ब्यूरो के अनुसार विभिन्न खनिज निक्षेपों की मात्रा निम्नांकित है :

कोयला .	९१०० लाख मीट्रिक टन
लौह अयस्क	१७५८ लाख मीट्रिक टन
तांबा अयस्क	२८८.५ लाख मीट्रिक टन
पाईराइट	७६२.० लाख मीट्रिक टन
मैग्नेसाइट	१२०.० लाख मीट्रिक टन

इसके परिणामस्वरूप विभिन्न खनिजों के वास्तविक खनन के लिए योजनायें बनाई जा सकी हैं ताकि उन खनिजों के संबंध में, देश की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति करने और उनके निर्यात के लिए वास्तविक उत्पादन किया जा सके ।

(४) खनिज संबंधी आंकड़ों का संग्रहण, संकलन और प्रकाशन तथा वितरण । ये देश के खनिज उत्पादन, निर्यात और आयात आदि के संबंध में विस्तृत सूचना के अधिकृत स्रोत हैं।

(५) खनिजों से संबंधित समस्त मामलों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को सलाह देना ताकि उचित खनिज नीति का निर्माण किया जा सके ।

(ग) ब्यूरो के इस समय ८६ छिद्रण एकक हैं और ८६ अन्य का तीसरी पंचवर्षीय योजना में अर्जित किए जाने का विचार है ।

(घ) समस्त रिंग आधुनिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आस्वान बांध क्षेत्र में पुरातत्व संबंधी खुदाइयां

†११५४. **श्री नरसिंहन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मिशन ने उन अन्य निकायों से सम्पर्क किया था जिनको आस्वान में खुदाई के लिए स्थान दिया गया है;

(ख) क्या ये निकाय उनकी संबंधित सरकारों अथवा विद्वानों के दलों द्वारा निर्मित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन खुदाइयों में कौन कौन सी सरकारें और विद्वानों के दल भाग ले रहे हैं; और

(घ) क्या इस मिशन ने आस्वान की यात्रा के इस अवसर का इन निकायों द्वारा ली जाने वाली समस्याओं की प्रकृति और किस्म निश्चित करने के लिए लाभ उठाया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ). उत्पन्न नहीं होते ।

आस्वान बांध क्षेत्र में पुरातत्व संबंधी खुदाइयां

†११५५. **श्री नरसिंहन** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिश्र की सरकार ने आस्वान में भारतीय मिशन द्वारा खुदाई किए जाने के लिए कितना क्षेत्र निर्धारित किया है ;

(ख) इस कार्य से किस प्रकार की पुरातत्व संबंधी समस्यायें सामने आई हैं :

(ग) जब मिशन ने खुदाई का कार्य करने का अपनी ओर से प्रस्ताव किया था उस समय उसके सामने किस प्रकार की समस्यायें थीं ; और

(घ) इस संबंध में अभी तक कितना व्यय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) मिश्र सरकार ने नुबिया में भारतीय मिशन द्वारा खुदाई के लिए अभी तक कोई भूमि निर्धारित नहीं की है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

(ग) मिशन ने मिश्र सरकार को सूचित किया है कि वह पूर्व राजवंशीय स्थान पर खुदाई करना अधिक पसंद करेगा। यदि स्थान न मिल सके तो मिशन राजवंशीय स्थान स्वीकार करेगा ।

(घ) ५,७६२ रुपए ६० नए पैसे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां

†११५६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं जिनके विरुद्ध, उनके जुलाई, १९६० की हड़ताल लेने के परिणामस्वरूप, विभागीय कार्यवाहियां चल रही हैं ;

(ख) कितने कर्मचारी अभी तक मौअतल हैं ; और

(ग) २४ दिसम्बर, १९६० से १३ फरवरी, १९६१ तक कितनों को बहाल कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) २० फरवरी, १९६१ को ३८० ।

(ख) २० फरवरी, १९६१ को ३५७ ।

(ग) निर्दिष्ट अवधि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है परन्तु २० फरवरी, १९६१ तक ३८०५ व्यक्ति सेवा से पदच्युत किए जाने, हटाए जाने अथवा निकाले जाने के बाद सेवा में वापस ले लिए गए हैं ।

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिए जापानी ऋण की मंजूरी

†११५७. **श्री मुरारका :**
श्री नथवानी :

क्या **वित्त** मंत्री २१ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र को जापानी ऋण किस प्रकार मंजूर किए जाते हैं अर्थात् रुपए के भुगतान पर अथवा किसी अन्य जमानत पर ;

(ख) क्या सरकार कोई गारण्टी देती है; और

(ग) ये ऋण गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के किन किन उद्योगों को दिये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जापान के निर्यात-आयात बैंक से १८ विलियन येन ऋण के अन्तर्गत वित्तपोषण के लिये मंजूर गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के उद्योगों द्वारा आयातों के लिए भारत सरकार निर्यात-आयात बैंक के साथ ऋण-करार करती है क्योंकि ऋण भारत सरकार को दिया जाता है, गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के आयातकों को नहीं । इस ऋण के संचालन के लिए सहमत प्रक्रिया में यह उपबन्ध है कि ऋण में सम्मिलित प्रत्येक कर्ज के अन्तर्गत आयातों के लिये भुगतान निर्यात-आयात बैंक द्वारा भारत सरकार से प्राधिकारपत्र मिल जाने पर निर्दिष्ट तारीखों को सीधे जापानी सम्भरकों को भारत सरकार के कर्ज के खाते में नाम डाल कर किया जाएगा । सम्बन्धित आयात लाइसेंसों की शर्तों के अन्तर्गत सम्बन्धित गैर सरकारी उद्योग-क्षेत्र के आयातकों को भारत सरकार को उस समय के आसपास रुपयों में नकद भुगतान करना होता है जबकि भुगतान निर्यात-आयात बैंक द्वारा सम्भरकों को देय हो जाते हैं । ऐसे नकद भुगतानों के समय पर किये जाने की सुरक्षा के लिये गैर-सरकारी आयातकों को सरकार को बैंक गारण्टी अथवा उपयुक्त जमानत देनी पड़ती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार द्वारा गारण्टी दिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऋण भारत सरकार को दिया जाता है और सरकार गैर-सरकारी आयातकों को रुपयों में नकद भुगतान पर केवल आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराती है ।

(ग) इस ऋण के अन्तर्गत मुख्य लाभ उठाने वाले नौपरिवहन, रेयन, कागज, बिजली और वस्त्र उद्योग रहे हैं ।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड

†११५८. **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री मुरारका :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में १९५८–५९ में कितना वास्तविक उत्पादन, मूल्य तथा इकाई दोनों में हुआ ; और

(ख) पिछले वर्षों की तुलना में वह कैसा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) ६९७.५३ लाख रुपए । इकाई वार उत्पादन का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं है ।

(ख) १९५६–५७ में ५०४.९८ लाख रुपए का उत्पादन हुआ था और १९५७–५८ में ६०८.२४ लाख रुपए था ।

दिल्ली में अपराधों की स्थिति

†११५९. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पांगरकर :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री शि० ना० रामौल :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १९६० में हत्या, छुरा मारने, आत्म-हत्या, चोरियों और उपद्रवों के कितने मामले अलग अलग रजिस्टर किये गये ;

(ख) १९५९ के तुलनात्मक आंकड़े क्या है;

(ग) इन मामलों में से कितनों में अपराधी गिरफ्तार किये गये और कितनों में कोई गिरफ्तारियां नहीं की जा सकी ;

(घ) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से कितनों को दण्डित किया गया और कितने बरी कर दिये गए;

(ङ) क्या यह भी सच है कि रजिस्टर्ड गुण्डों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(च) पिछले छै महीनों में कितने गुण्डे गिरफ्तार किये गये हैं; और

(छ) दिल्ली में गुण्डागर्दी दूर करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बातार)** : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी विवरण (क) और (ख) में सन्निहित है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२**]

(ङ) पुलिस में रजिस्टर्ड गुण्डों की संख्या में १९६० में कुछ वृद्धि हुई है।

(च) अगस्त, १९६० से जनवरी, १९६१ तक आबकारी अधिनियम, अफीम, अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, दण्ड प्रक्रिया संहिता की १०७, १०९ और ११० धाराओं, भारतीय पुलिस संहिता की धारा १६० और उत्तर प्रदेश मनोरंजन अधिनियम (जैसा कि दिल्ली में लागू किया गया है) के अन्तर्गत २५० गुण्डे गिरफ्तार किए गए।

(छ) पुलिस समस्त शहर में गश्त कर रही है और सतर्कता बरत रही है।

जनगणना

†**११६०. श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि आगामी दस वर्षीय जनगणना के प्रयोजन के लिये मातृभाषा नहीं पूछी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो अनुरोधों का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) किन किन राज्यों ने यह अनुरोध किया है ; और

(घ) उसके सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). आसाम, महाराष्ट्र, मैसूर और पंजाब की सरकारों ने सुझाव दिया है कि १९६१ की जनगणना में मातृभाषा की गणना नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उससे कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं और इन राज्यों के कुछ भागों में शान्ति भी भंग हो सकती है।

(घ) भारतीय जनगणना में मातृभाषा सम्बन्धी प्रश्न १८७२ से पूछा जा रहा है और उसको छोड़ देना सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा से विमुख होना है। इसलिये यह निर्णय किया गया कि भूतकाल की तरह १९६१ में भी मातृभाषा की गणना की जाए।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†**११६१. श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के तेतीस प्रतिशत न्यायाधीशों के राज्य से बाहर से लिये जाने के सम्बन्ध में राज्यों के मुख्य मन्त्री केन्द्रीय गृह मन्त्री से मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा का क्या परिणाम हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) गृह मन्त्री द्वारा १३ जनवरी, १९६१ को मुख्य मन्त्रियों की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें जिन मामलों पर चर्चा हुई थी उनमें राज्य पुनर्गठन आयोग की इस सिफारिश के क्रियान्वयन का प्रश्न भी था कि न्यायालयों में एक तिहाई न्यायाधीश सम्बन्धित राज्य से बाहर के होने चाहियें।

(ख) यह महसूस किया गया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त समझे जाने वाले व्यक्तियों की एक अखिल भारतीय सूची राज्य पुनर्गठन आयोगकी इस सिफा-

†मूल अंग्रेजी में

रिश के क्रियान्वयन के लिये उपयोगी होगी। तदनुसार जिन राज्यों मे अभी तक ये सूचियां नही प्राप्त हुई थीं उनसे यह अनुरोध किया गया कि वे अपने मुख्य न्यायाधीशों मे विचार विमर्श करके शीघ्र ही राज्य सरकार की सिफारिशें भेजें।

इस्पात संयंत्रों में प्रशिक्षणार्थी

†११६२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त प्रशिक्षणार्थी जिन्हें विदेशों में प्रशिक्षण दिलाया गया है, इस्पात संयंत्रों में खपा लिए गए हैं; और

(ख) क्या उनमें से कोई फोरमैन बनाये जाने के लिए अयोग्य सिद्ध हुए हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा जो प्रशिक्षणार्थी विदेश भेजे जाते हैं वे उनके अपने कर्मचारी होते हैं और प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्त कर लेने पर इस्पात संयत्रों में खपा लिए जाते हैं। इसलिये किसी भी प्रशिक्षणार्थी के, जिसने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, बेरोजगार रह जाने का कोई प्रश्न नही है।

(ख) फोरमैन जैसे उच्च पदों पर तरक्कियां समय समय पर योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाती हैं।

ग्रामों के पुलिस थानों में टेलीफोन

†११६३. { **श्री नवल प्रभाकर** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के गांवों में स्थित पुलिस थानों में टेलीफोन व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्यान्वित हो जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में पांच पुलिस थानों में से एक में टेलीफोन पहले से ही है। शेष चार पुलिस थानों में टेलीफोन लगाने की मंजूरी दे दी गई है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को खाना देने की सहायता प्राप्त योजना

†११६४. { **श्री श्रीनारायणदास** :
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय घर पर रह कर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सहायता प्राप्त खाना देने की योजना पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को भी कुछ अशदान करना पड़ता है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा वित्तीय अंशदान किस प्रकार का होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नही । परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कहने मे दिल्ली विश्वविद्यालय ने आयोग को मई, १९५७ में घर पर रह कर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक "छात्र-गृह" की स्थापना की योजना पेश की थी जिसमें नियन्त्रित मूल्य पर बिना लाभ-हानि के आधार पर सस्ते भोजन का उपबन्ध सम्मिलित था । परन्तु आयोग ने उस विश्व-विद्यालय को इस योजना के क्रियान्वियन के लिये नही चुना था ।

(ख) मे (घ). प्रश्न उत्पन्न नही होते ।

विदेशों को दी जाने वाली पेंशनें

११६५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितना रुपया प्रतिवर्ष विदेशों को निवृत्ति-वेतन पेंशनों की अदायगी के लिये दिया जाता है; और

(ख) इसमें कितना विदेशी मुद्रा में तथा कितना भारतीय मुद्रा में अदा करना पड़ रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहते हैं कि विदेशी में रहने वाले पेंशनरों को भारत सरकार ने पेंशनो के रूप में कितनी रकम अदा की है । सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगीं ।

अल्प बचत प्रतिभूतियां

†**११६६. श्री दामानी** में क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० की अवधि में अल्प बचत प्रति-भूतियों को समय के पूर्व भुना लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न शीर्षको के अन्तर्गत सकल वसूली के सम्बन्ध में उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्प बचतों को अधिक आकर्षक बनाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). वार्षिकी प्रमाणपत्रों को छोड़ कर, जिनमें पूंजी का पुनर्भुगतान ब्याज के साथ मासिक किश्तों में किया जाता है, राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण पत्र और ट्रेजरी बचत निक्षेप प्रमाण पत्रों को एक वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के पश्चात् किसी भी समय भुनाया जा सकता है तथा उन्हें जितनी देर में भुनाया जाएगा उतनी हीं अधिक राशि मिल सकेगी । अतः इन प्रमाणपत्रो की बिक्री और भुनाया जाना लगातार चलता रहता है । समय से पूर्व भुनाए गए प्रमाणपत्रों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध नही है । परन्तु १९५९–६० की सकल वसूलियों और शुद्ध वसूलियों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाणपत्र		ट्रेजरी बचत निक्षेप प्रमाणपत्र	
सकल वसूली	शुद्ध वसूली	सकल वसूली	शुद्ध वसूली
८३.२५ करोड़ रुपए	६८.९० करोड़ रुपए	१०.६४ करोड़ रुपए	१० १९ करोड़ रुपए

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अल्प बचत आन्दोलन के विकास के संबंध में निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता रहा है और योजनाओं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है। हाल में उठाए गए कदमों में से निम्नांकित का उल्लेख किया जा सकता है :

(१) संचयी समय निक्षेप (क्यूमूलेटिव टाइम डिपाजिट), वेतन बचत (पेरोल सेविंग) और इनामी बाण्ड योजनायें शुरू करना ।

(२) १३३० रुपए के नए वार्षिक प्रमाणपत्र चालू करना

(३) प्रमाणपत्रधारी के मर जाने पर बिना कानूनी सबूत या हक पेश किए देयराशि के भुगतान के लिए नामांकन की सुविधा चालू करना ।

(४) बचत प्रमाणपत्रों पर परिपक्व होने के बाद का ब्याज का भुगतान साढ़े तीन करोड़ वार्षिक दर से करना ।

(५) कुछ प्रकार की संस्थाओं द्वारा नियोजनों की अधिकतम सीमाओं में वृद्धि ।

(६) ट्रेजरी बचत निक्षेप प्रमाणपत्रों की प्राधिकृत एजेण्टों के द्वारा कमीशन पर बिक्री ।

जनता को पूंजी का निर्गमन

†**११६७. श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल १९५९ से ३१ मार्च १९६० की अवधि में उद्योग वार जनता को पूंजी के निर्गमन के लिए सरकार को मिले अभ्यावेदनों के ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) निर्गमन के साथ संबद्ध शर्तें लगा कर अथवा शर्तें न लगाकर जो स्वीकृति दी गई है उसके ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने किन कारणों से आवश्यक शर्तें लगाना ज़रूरी समझा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) से (ग). १-४-५९ से ३१-३-१९६० की अवधि में प्राप्त अभ्यावेदनों का, शर्तों के साथ तथा बिना शर्तों के साथ दी गई अनुमति का, अथवा लम्बित मामलों का एक विवरण तथा सभी अनुमति देने के मामलों में लगाई जाने वाली शर्तों का तथा कुछ मामलों में लगाई गई विशेष शर्तों का और इन शर्तों को लगाने के कारण बताने वाला, विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३]**

अधिकार अंशों का निर्गमन[1]

†**११६८. श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों में अधिकार अंशों के निर्गमन के लिए प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो ये अभ्यावेदन कितनी धनराशि के थे; और

(ग) स्वीकृत अभ्यावेदनों की धनराशि कितनी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अधिकार अंशों के निर्गमन के लिए १९५९ तथा १९६० में प्राप्त अभ्यावेदन क्रमश: ७०.५८ करोड़ रुपये तथा १२९.८९ करोड़ रुपये के थे जिनमें से फरवरी १९६१ के अन्त तक क्रमश: ६८.८ करोड़ रुपये तथा ११६.७९ करोड़ रुपये की पूंजी का निर्गमन स्वीकार किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Issue of right shares

फिल्म वित्त निगम

†११६९. **श्री दामानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम ने उद्योग की आवश्यकताओं के लिए धन देना आरंभ कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने लोगों को धन दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) जी हां ।

(ख) ऋण के लिए प्राप्त ग्यारह अभ्यावेदन निगम के विचाराधीन हैं । अभी तक कोई ऋण स्वीकार नहीं किया गया है ।

कोयला धोने के कारखाने

†११७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के अधीन सरकार ने कोयला धोने के कारखानों के विकास तथा स्थापना का कोई कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो कोयला धोने के कितने तथा कहां पर कारखाने स्थापित करने का विचार है और किन कारखानों का किस सीमा तक विकास करने का विचार है ; और

(ग) प्रत्येक कारखाने की स्थापना/विकास में कितना धन व्यय होगा और योजना का कुल व्यय कितना होगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी योजना में तीन स्थानों पर कोयले का कोक बनाने के लिए नये कारखाने स्थापित करने का तथा तीन कारखानों, जो स्थापित है अथवा स्थापित किए जा रहे हैं, का निम्न प्रकार से विस्तार करने का विचार है :—

नये कोयला धोने के कारखाने	कच्चा कोयला भरे जाने की क्षमता
१. काथरा	३० लाख टन-वार्षिक
२. करणपुरा . .	३५ लाख टन-वार्षिक
३. सुतीकडीह-सुदानदीह	३० लाख टन-वार्षिक

स्थापित अथवा स्थापित किए जाने वाले करखानों का विस्तार	कच्चा कोयला भरे जाने की क्षमता	
	प्रारंभिक	अतिरिक्त
१. दुग्दा .	२.४	२.४
२. मोजूडीह . .	१.२	०.८
३. दुर्गापुर (इस्पात कार्यों का भाग) . .	१.५	१.२

इसके अतिरिक्त कोयले का कोक न बनाने के कारखाने भी बनाने का विचार है । परन्तु इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) तीसरी योजना में कोयले का कोक बनाने की अतिरिक्त क्षमता के लिए १७ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कारखाने की स्थापना अथवा विकास लिए व्यय होने वाले धन के प्राक्कलन बताना इस समय संभव नहीं है।

हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग

†११७१. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग को हिमालय पर्वतारोहण संस्था के विस्तार और विकास के बारे में अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् द्वारा स्थापित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इसके बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्था के विस्तार और विकास के लिए विशेषतया अखिल भारतीय खेल कूद परिषद् ने कोई समिति नहीं नियुक्त की थी। परन्तु परिषद् ने खेल के रूप में पर्वतारोहण के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए तथा उसकी उन्नति के सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सिफारिश की है कि दार्जिलिंग में हिमालय पर्वतारोहण संस्था का विकास, देश में पर्वतारोहण को खेल का रूप देने के लिए किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक यंत्र होना आवश्यक है। समिति ने सभापति को आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए कहा है।

(ग) समिति के सभापति की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

पटना में कोयला सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय कान्फ्रेंस

११७२. **श्री विभूति मिश्र**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारों के प्रतिनिधियों और कोयला खानों तथा मजदूर संघों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त कान्फ्रेंस जनवरी, १९६१ में पटना में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए उक्त बैठक में क्या ठोस योजना बनाई गई ; और

(ग) इसके लिए केन्द्रीय सरकार कितना सहयोग देगी ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जनवरी, १९६१ में पटना में बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश राज्यों के प्रतिनिधियों की एक अन्तर्राज्यीय कान्फ्रेंस हुई। कोयला खनन से सम्बन्ध रखने वाले हितार्थियों या श्रम संघों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे।

(ख) ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। राज्यों से सम्बन्धित सामान्य हितों के कई अन्य प्रश्नों पर वार्ता हुई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में

अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां का मकान

†११७३. **श्री आसर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय तथा मुस्लिम लीग के प्रवर्तक सर सैयद अहमद खां के मकान का पुन: उद्धार करने के लिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को धनराशि दीं ;

(ख) यदि हां, तो उस के लिये कुल कितनी धन राशि दी गई है ; और

(ग) धनराशि देने के क्या कारण थे ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को १,६२,७८२ रुपये दिये हैं जिस से 'सर सैयद का मकान' नामक निष्क्रान्त सम्पत्ति पुनर्वास मंत्रालय से खरीदी जायेगी और विश्वविद्यालय का क्षेत्र बढ़ाकर उस जमीन पर कर्मचारियों के क्वार्टर बनाये जायेंगे ।

सर्वोदय केन्द्रों को सहायता

†११७४. **श्री आसर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार सर्वोदय केन्द्रों को वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५९-६० तथा १९६०-६१ में कितनी धनराशि दी गई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). भारत सरकार सर्वोदय केन्द्रों को कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है परन्तु खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा पंजीबद्ध संस्थाओं के द्वारा इन केन्द्रों को कुछ सहायता देता है । यह जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

अन्दमान में जेलों का ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षण

†११७५. **श्री आसर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अन्दमान में जेलों का ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षण करने का कोई प्रस्ताव मिला है क्योंकि इन जेलों में वीर सावरकर तथा अन्य क्रान्तिकारियों को कैद किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) अन्दमान की सैलूलर जेल का भवन अब रहने के अयोग्य घोषित कर दिया गाया हैं और उस को गिराया जायेगा । परन्तु जेल के सेंट्रल टावर का संरक्षण स्मारक के रूप में किया जा रहा है और यहा पर क़ैद किये गये भारतीय देशभक्तों की पीड़ाओं की यादगार के लिये एक बोर्ड लगाने का विचार है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

दक्षिण भारत में तेल का सर्वेक्षण

†११७६. **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :
श्री वोडयार :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी की तलहटी के अतिरिक्त अन्य दक्षिण भारत में किसी स्थान पर तेल की नई खोज आरम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). पूर्व तट पर गोदावरी की तलहटी में भूतत्वीव तथा आकर्षण के सर्वेक्षण किये जा रहे हैं।

अधिक समय तक रहने के लिये एक चीनी दम्पत्ति की गिरफ्तारी

†११७७. **श्री आसर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ जनवरी, १९६१ को कलकत्ता पुलिस ने इस देश को छोड़ने के आदेश का कथित उल्लंघन कर के अधिक समय तक रहने के कारण एक चीनी दम्पत्ति को गिरफ्तार किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें गत अगस्त १९६० को भारत छोड़ने के आदेश दिये थे ; और

(ग) यदि हां, तो उन के विरुद्ध इतने विलम्ब से कार्यवाही क्यों की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ३० अगस्त, १९६० को विदेशियों को यह आदेश दिये गये थे कि ९० दिन की अवधि में भारत छोड़ दें। इस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद ही राज्य सरकार ने उन के विरुद्ध कार्यवाही की। अब वह भारत से चले गये हैं।

कोलम्बो योजना देशों की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय

†११७८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना देशों के कौन कौन से देशों ने कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की उच्चतम दरें बताई हैं ;

(ख) गत चार अथवा पांच वर्षों में किन पांच देशों में राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय की अधिकतम दरें थीं ; और

(ग) राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बारे में कोलम्बो वर्ग के अन्य देशों की तुलना में भारत की क्या स्थिति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) कोलम्बो योजना के जिन देशों के बारे में जानकारी उपलब्ध है उन में से जापान की १९५३ तथा १९५८ के बीच के वर्षों में कुल आय तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दरें अधिक हैं।

(ख) १९५३ तथा १९५८ के बीच (जिन देशों के बारे में जानकारी उपलब्ध है) पांच देशों की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय में अधिकतम वृद्धि दिखाने वाला विवरण नीचे दिया जाता है :—

	प्रति व्यक्ति उत्पाद के क्रमांक १९५८ (समान मूल्य) १९५३=१००	कुल उत्पादन के क्रमांक १९५८ (समान मूल्य) १९५३=१००
	१	२
इज़रायल	१५३	१८५
वेनेज़ुएला	१५२	१७६
आस्ट्रिया .	१४०	१४१
पश्चिम जर्मनी	१३१	१३९
ग्रीस . . .	१३१	१३८

इस का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय के आंकड़े बड़ी कठिनाइयों से बनाये जाते हैं क्योंकि जनसंख्या और जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि के आधार पर वह बनाये जाते हैं।

(ग) भारत में १९५३-५४ तथा १९५८-५९ के बीच राष्ट्रीय आय लगातार मूल्यों के आधार पर १७ प्रतिशत बढ़ गई है; इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय ९ प्रतिशत बढ़ गई है। दूसरी अवधि के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

	राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रतिशतता	प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की प्रतिशतता
जापान	३३	२७
फिलीपाइन	२९	१४
बर्मा	१८	१२
लंका	१५	३

सिक्कों की धातुएं

†११७९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपया, पचास नये पैसे, पच्चीस नये पैसे, दस नये पैसे, पांच नये पैसे, दो नये पैसे तथा एक नया पैसा में विभिन्न प्रकार की धातुओं का विभिन्न अनुपात इस समय क्या है और क्या हाल में ही इस सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया गया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या बाजार में जाली सिक्के बहुत बड़ी तादाद में हैं और यदि हां, तो कौन सा सिक्का बाजार में अधिकांशत: जाली है ;

(ग) जाली सिक्के तथा ठीक सिक्के में किस प्रकार अन्तर पहचाना जा सकता है ; और

(घ) अब तक सभी प्रकार के सिक्के कितनी तादाद में जारी किये गये हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) दशमिक प्रणाली के विभिन्न सिक्कों में जो धातुयें होती हैं उनके ब्यौरे नीचे दिए जाते हैं। मई १९५६ में घोषणा के बाद उनकी धातुओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है :

सिक्के	धातुयें
१०० नये पैसे ५० नये पैसे २५ नये पैसे	शुद्ध निकल
१० नये पैसे ५ नये पैसे २ नये पैसे	तांबा और निकल (७५ प्रतिशत तांबा और २५ प्रतिशत निकल)
एक नया पैसा	ब्रोंज (९७ प्रतिशत तांबा, २½ प्रतिशत जिंक, और ½ प्रतिशत टीन)

(ख) सरकार ऐसा नहीं समझती है कि बड़ी संख्या में जाली दशमिक सिक्के बाजारों में हैं ।

(ग) जाली सिक्कों तथा ठीक सिक्कों को पहचानने का कोई निर्णयात्मक परीक्षण नहीं है । परन्तु जाली सिक्के तथा ठीक सिक्के में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर होता है । जैसे उस का रंग, ऊपरी दिखावा, वजन, मोटाई की समानता सफाई, तथा उस पर लिखे हुए अक्षरों की समानता ।

(घ) आंकड़ों से पता लगता है कि अक्तूबर १९६० के अन्त तक सभी प्रकार के दशमिक सिक्के लगभग ३२५ करोड़ बाजारों में हैं ।

प्रोफेसर हाल्डेन के लिये भारतीय नागरिकता

†११८०. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री प्र० गं० देव :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो० जे० बी० एस० हाल्डेन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि उनको भारतीय नागरिक बना लिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). गत अगस्त में प्रो० जे० बी०एस० हाल्डेन ने भारतीय नागरिक बनने की इच्छा प्रकट की थी । उनसे नागरिकता नियम १९५६ के अधीन निर्धारित फार्म में आवेदन पत्र भेजने को कहा गया है । उनके आवेदन पत्र की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

ब्रिगेडियर रिखी

†११८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री डाग हैमरशोल्ड के सैनिक सलाहकार ब्रिगेडियर रिखी को कांगो में सेवा से मुक्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) भारत सरकार को ऐसे किसी प्रस्ताव का ज्ञान नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

१९६१ के गणराज्य दिवस पर यातायात व्यवस्था

११८२. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१ में गणतन्त्र दिवस पैरेड के लिये जो यातायात के प्रबन्ध किये गये थे वह सब ही ठप्प हो गये थे; और

(ख) क्या इसका कारण यह था कि कार पार्क लेबल बहुत बड़ी संख्या में दिये गये थे और कार पार्क के लिये जो स्थान नियत किये गये थे उनमें इतनी गाड़ियों के ठहरने का स्थान न था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निवृत्ति वेतन नियमों का पुनरीक्षण

†११८३. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की सरकारी निवृत्ति वेतन पाने वालों की संस्था ने भारत सरकार को निवृत्ति वेतन नियमों आदि का पुनरीक्षण करने के लिये ज्ञापन भेजा है ;

(ख) उनकी विशेष मांग क्या थी; और

(ग) उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) पश्चिमी बंगाल सरकारी निवृत्ति वेतन पाने वालों की संस्था से १९५९ तथा १९६० में दो ज्ञापन मिले थे जिनमें निम्नलिखित विभिन्न मांगें की गई थीं :

१. सेवा के कर्मचारियों के समान ही निवृत्ति वेतन पाने वालों को मंहगाई भत्ता देना ।

२. निवृत्ति वेतन में अस्थाई वृद्धि का भुगतान ।

३. कम किए गए निवृत्ति वेतन को पुनः देना ।

४. न्यूनतम निवृत्ति वेतन का निश्चयन ।

५. निवृत्ति वेतन पर आय कर की छूट ।

६. केन्द्रीय तथा राज्य सरकार निवृत्ति वेतन नियमों में समानता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

७. निवृत्ति वेतन पाने वालों को चिकित्सा सुविधायें देना ।

८. ब्रिटेन सरकार आदि की निवृत्ति वेतन योजनाओं के आधार पर निवृत्ति वेतन बढ़ाना।

९. निवृत्ति वेतन पाने वालों के अनुभवों का राष्ट्रीय सेवा के लिये उपयोग ।

(ग) भाग (ख). में बताई गई सभी मांगों पर भारत सरकार ने विचार कर लिया है और उन्होंने इसमें से किसी को भी स्वीकार करने योग्य नहीं समझा है ।

समुद्र सीमा शुल्क एक्ट का संशोधन

११८४. श्री विभूति मिश्र : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र सीमा शुल्क एक्ट में संशोधन करने जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). इस सवाल पर विचार किया जा रहा है ।

मनीपुर में खोरडाक नदी में अवरोध

†**११८५. श्री लै० अचौ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोकटाक झील से आगे इम्फाल नदी की ओर जाते हुए खोरडाक नदी में, पांच मील तक नौगमाहखोंग स्थान पर हायसिन्थ (एक फलदार पौदा) उग आने के कारण अवरोध हो गया है; और

(ख) क्या सरकार ने उन ग्रामवासियों को जिन्होंने अभ्यावेदन दिये हैं, अवरोध साफ करने के लिये कोई सहायता दी है ?

†**ग्रह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की ज' रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवकाश पेशगियां

†**११८६. श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रसिद्ध छुट्टियों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेशगी देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह राशि कितनी होगी ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). सम्भवतया माननीय सदस्य प्रसिद्ध उत्सवों पर केन्द्रीय सरकार के नानगजटेड कर्मचारियों को दिये जाने वाली पेशगियों का जिक्र कर रहे हैं । इसके बारे में वर्तमान आदेशों के अनुसार जो कर्मचारी केन्द्रीय असैनिक सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम १९६० के अधीन मूल वेतन ३७५ रुपये मासिक (अथवा पहले वेतन क्रमों में ३०० रुपये मासिक) पाते थे; उनको एक पत्री वर्ष में किसी भी उत्सव पर ७५ रुपये अथवा एक माह का मूल वेतन, जो भी कम हों, पेशगी मिल सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असम से शरणार्थी

†११८७. **श्री विमल घोष :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में भाषा सम्बन्धी उपद्रवों के कारण कितने बंगला-भाषी शरणार्थी असम से बंगाल आये हैं;

(ख) आजकल कितने शरणार्थी असम लौट गये हैं;

(ग) इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये भारत सरकार ने कितनी सहायता दी ;

(घ) क्या उनके पुनर्वास के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ङ) यदि हां तो वह किस प्रकार का है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार १९ जनवरी, १९६१ तक ६२,४१३ व्यक्ति असम से उस राज्य में आये जिनमें से २० फरवरी, १९६१ तक ५,४०६ व्यक्ति असम वापिस लौट गये हैं।

(ग) जो वास्तविक शरणार्थी परिवार अब भी पश्चिम बंगाल के शिविरों में पड़े हुए हैं, उन्हें असम वापिस लौटने की सहूलियत देने के लिये भारत सरकार ने उम परिवारों को असम जाने के लिये रेल किराया या बस किराया, यात्रा का फुटकर खर्च और १५ दिन के लिये थोड़ा सा भत्ता देने की जिम्मेदारी उठा ली है ।

(घ) और (ङ). जैसा कि वित्त मन्त्री ने २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३६९ के उत्तर में बताया है, पश्चिम बंगाल सरकार से यह प्रार्थना प्राप्त हुई है कि असम राज्य में जुलाई के उपद्रवों के सम्बन्ध में जो लोग असम से पश्चिम बंगाल गये थे उनकी देखभाल पर उस सरकार द्वाराकिया गया खर्च, पूरा या उसका एक हिस्सा केन्द्रीय सरकार दे । भारत सरकार इस प्रार्थना पर विचार कर रही है ।

अदालतों में बकाया मामले

†११८८. **श्री कालिका सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४७८ कँ उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में बकाया मामलों की सबसे हाल की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या उस संख्या में लेख (रिट) सम्बन्धी बकाया मामलों की संख्या का बहुत बड़ा अनुपात है; और

(ग) यदि हां, तो वह अनुपात कितने प्रतिशत है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). ३१ दिसम्बर, १९६० को विद्यमान स्थिति दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४]**

---

†मूल अंग्रेजी में

मुद्रा (करेन्सी) का विस्तार

†११८९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ के लिये देशनांक १०० मान कर १९५५ से १९६० तक भारत प्रत्येक वर्ष मुद्रा विस्तार के क्या देशनांक हैं;

(ख) रुपयों में वास्तविक आंकड़े देते हुए वर्ष १९५५ से १९६० में मुद्रा का कुल कितना विस्तार हुआ है;

(ग) इस विस्तार का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) पिछले पांच साल में जो दर बतायी गयी है क्या उसी दर पर और आगे भी विस्तार होता रहेगा और यदि हां, तो क्यों ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) वर्तमान आंकड़ों की तुलना में चलन में मुद्रा के आंकड़े केवल १९४८–४९ के वित्तीय वर्ष के अन्त से ही उपलब्ध हैं। १९४८–४९ के अन्तिम शुक्रवार को देशनांक १०० मान कर, १९५५ से १९६० तक जनता के पास मुद्रा के देशनांक इस प्रकार हैं :—

निम्न वर्षों का अन्तिम शुक्रवार	देशनांक
१९५५ .	१०५
१९५६ .	११३
१९५७ .	११६
१९५८ .	१२२
१९५९ .	१३३
१९६०	१४५

(ख) १९५५ के और १९६० के अन्तिम शुक्रवार के बीच मुद्रा का कुल विस्तार लगभग ५१३ करोड़ रुपये हुआ।

(ग) बाजार पर मुद्रा विस्तार के प्रभाव को अन्य बातों जैसे उत्पादन की प्रवृत्तियां, बचत और निदेश आदि के प्रभाव से अलग करना सम्भव नहीं है।

(घ) पहले ही इसका अनुमान लगा लेना सम्भव नहीं है।

दार्जिलिंग में नेपाली बोलने वालों की जनगणना

†११९०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में रहने वाली पहाड़ी आदिम-जातियों में से केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, कामी और दमई लोगों को ही पिछली जनगणना में नेपाली-भाषी लोगों में शामिल किया गया था;

(ख) क्या नेपाली बोलने वाली अन्य जातियों को शामिल नहीं किया गया था ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यही कारण है कि १९४१ और १९५१ की जनगणना में नेपाली-भाषी जनसंख्या में काफी कमी हुई है :

(घ) क्या इस जनगणना में यह हिदायत दी गयी थी कि राय, नामंग, मांगर, गुहंग, नेवार आदि जातियों को नेपाली भाषी जनता में शामिल किया जाये; और

(ङ) यदि नहीं, तो नेपाली-भाषी लोगों की उचित जनगणना करने का और कौनसा दूसरा ढंग अपनाने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)**: (क) जी नहीं। जिस किसी व्यक्ति ने अपनी मातृभाषा नेपाली बतायी उसे नेपाली-भाषी लिखा गया चाहे वह किसी भी जाति का क्यों न हो।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १९४१ की जनगणना में भाषा सम्बन्धी आंकड़ इकट्ठे नहीं किये गये थे। इसलिये १९४१ और १९५१ की जनगणना में नेपाली भाषी लोगों की संख्या में कमी का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

(घ) और (ङ). गणना करने वाले व्यक्तियों को यह हिदायत दी गयी है कि किसी व्यक्ति द्वारा बतायी गयी मातृभाषा पूरी पूरी, उपभाषा सहित, लिखी जाये। मातृभाषा की परिभाषा इस प्रकार की गयी है : "वह भाषा जिसमें उस व्यक्ति की मां बचपन में उससे बोलती हो या जो मुख्यतया घर में बोली जाती हो।"

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

†११९१. **श्री वोडयार** :
श्री अगाड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के संगठन के पुनर्गठन सम्बन्धी किसी योजना पर विचार कर ही है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनसूचित आदिम जातियों के वर्तमान आयुक्त का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो कब तक;

(ङ) वर्तमान आयुक्त की क्या उम्र है ;

(च) वह इस पद पर कब से है; और

(छ) उसका कार्यकाल बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख). जी हां। इस विषय पर अब भी विचार हो रहा है। इस दशा में कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

(ग) और (घ). वर्तमान पदधारी का कार्यकाल १७ नवम्बर, १९६१ तक बढ़ा दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ङ) ६३ वर्ष ।

(च) नवम्बर, १९५० से ।

(छ) इस पद के लिये उसकी उपयुक्तता ।

त्रिपुरा में अपराध

†११९२. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७–५८, १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ में त्रिपुरा में कुल कितने अपराध हुए ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में कितने मामलों में अपराधी पकड़ लिये गये और उन्हें गिरफ्तार किया गया ;

(ग) कितने मामलों में अदालतों ने उन्हें सजा दी;

(घ) पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों में कितने अपराध हुए; और

(ङ) क्या ऐसे अपराधों की संख्या बढ़ रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** :

(क)

१९५७–५८ .	१९०२
१९५८–५९ .	२५०७
१९५९–६० .	२८६५
१९६०–६१ (जनवरी १९६१ तक) .	२६०४

(ख)

	मामले पकड़े गये	अपराधी गिरफ्तार किये गये
१९५७–५८ .	४५७	९८७
१९५८–५९ .	७२५	२२४३
१९५९–६० .	६८६	१३७४
१९६०–६१ (जनवरी १९६१ तक) .	७१७	१२४३

(ग)

	मामलों की संख्या	जिन अपराधियों को सजा दी गयी उनकी संख्या
१९५७–५८ .	२४०	३३४
१९५८–५९ .	२८०	३७५
१९५९–६० .	२६६	३३४
१९६०–६१ (जनवरी १९६१ तक) .	१५२	१९०

(घ)

१९५७–५८ .	२१२
१९५८–५९ .	३५६
१९५९–६० .	४९५
१९६०–६१ (जनवरी १९६१ तक) .	३६९

(ङ) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में सहकारी आवास समितियां

†११९३. **श्री मो० ब० ठाकुर :**
श्री क० उ० परमार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन में अभी तक कितनी सहकारी आवास समितियां पंजीकृत की गयी हैं;

(ख) उनमें से कितनी समितियों को जमीन दी गयी है ;

(ग) बाकी सहकारी समितियों को जमीन देने में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) दिल्ली प्रशासन ने जो जमीन जब्त कर ली है वह कब दी जायगी और उसमें देर के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २१ नवम्बर, १९६० तक २५६ समितियां पंजीकृत की गयी थीं ।

(ख) छः ।

(ग) और (घ). दिल्ली में जमीन प्राप्त करने, उसका विकास करने तथा उसे देने के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली नीति पर विचार किया जा रहा है । सहकारी आवास समितियों को जमीन देने तथा अन्य सम्बन्धित मामलों के सवाल पर भी सामान्य प्रश्न के साथ-साथ विचार किया जा रहा है ।

कलकत्ते के भारतीय संग्रहालय के कर्मचारी

†११९४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के भारतीय संग्रहालय के कर्मचारियों ने अभी हाल में यह शिकायत की है कि उन्हें कई महीनों का वेतन नहीं दिया गया है ; और

(ख) क्या इस शिकायत की जांच की गयी है और क्या बकाया वेतन दिया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एशियाटिक सोसाइटी

†११९५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुरानी किताबें, पाण्डुलिपियां आदि के संरक्षण, उनकी खरीद और उनकी सूची बनाने के लिये एशियाटिक सोसाइटी को सालाना कितना अनुदान दिया जाता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि इस बात का खतरा है कि एशियाटिक सोसाइटी के पाण्डुलिपियों के अनोखे संग्रह को कीड़े नष्ट कर दें; और

(ग) इस खतरे का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) से (ग). १९५३–५४ से १९५९–६० तक सालाना ५,००० रुपये ।

चूंकि सोसाइटी की वस्तुओं को सबसे बड़ा खतरा उपयुक्त स्थान की कमी से है इसलिये भारत सरकार ने सोसाइटी की दुर्लभ पांडुलिपियों और अन्य महत्वपूर्ण संग्रह को अधिक अच्छी तरह रखने के लिए एक नयी इमारत बनाने के लिये १९५९–६० और १९६०–६१ में सोसाइटी को ७ लाख रुपया दिया है ।

तीसरी पंचर्षीय योजना में कोयले की खुदाई

†११९६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयला खुदाई कार्यक्रम के लिए सहायता के लिए भारत सरकार और अमरीकी विकास ऋण निधि के बीच बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां तो कितनी ऋण सहायता मांगी गई थी और किस रूप में ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला खदाई कार्यक्रम

†११९७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना मेंकोयला खुदाई कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए तकनीकी सहायता सहयोग का सवाल ब्रिटेन, फ्रांस और पूर्व तथा पश्चिम जर्मनी के सामने रखा है; और

(ख) यदि हां तो क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). खुली खान और जमीन के नीचे की खानों से खुदाई, केन्द्रीय कारखाने (वर्कशाप) और कोयला धोने के कारखाने (वाशरीज़) कायम करने तथा उनके रख रखाव आदि के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी से विदेशी तकनीकी सहायता मांगी जा रही है। इन देशों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । और कई दौरों में उन पर विचार किया जा रहा है । इनमें से प्रत्येक देश से कितनी और किस प्रकार की सहायता से लाभ उठाया जाये इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय करने में अभी कुछ समय लगेगा ।

भारतीय बन्दरों का सर्वेक्षण

†११९८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार जापानी मानवशास्त्र विज्ञान विशेषज्ञ मैसूर विश्वविद्यालय से भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर भारतीय बन्दरों का एक सम्मिलित सर्वेक्षण करने वाले हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी ली गयी थी;

(ग) क्या सर्वेक्षण आरंभ हो गया है;

(घ) इस सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य हैं; और

(ङ) किन-किन प्रदेशों का सर्वेक्षण किया जायगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :**

(क) जी नहीं किन्तु चार जापानी शत्रानरत्रगण विशेषज्ञ (प्राइम टोलोजिस्ट) सर्वेक्षण करने वाले हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस सर्वेक्षण का उद्देश्य मैसूर राज्य में बन्दरों की आदतें और स्वभाव का अध्ययन करना है ताकि क्यासानूर वनरोग का प्राकृतिक इतिहास तैयार किया जा सके । यह देखा गया है कि मैसूर राज्य के शिभोगा जिले में इस रोग का प्रभाव आदमियों और बन्दरों पर पड़ा है । आशा है कि इस सर्वेक्षण से भारत में बन्दरों की चालचलन तथा आदतों संबंधी शास्त्र के अध्ययन के विकास के लिए प्रोत्साहन मिलेगा ।

(ङ) आरंभ में मैसूर हुबली सिरसी क्षेत्र में ।

पंजाब में राजनैतिक पीड़ित

†**११९९. श्री दलजीत सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार पंजाब के राजनैतिक पीड़ितों को सालाना कितनी सहायता देती है ;

(ख) पंजाब राज्य में ऐसे कितने राजनैतिक पीड़ित हैं जिन्हें सालाना ऐसी सहायता मिल रही है; और

(ग) अभी कितने मामलों पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री):** (क) और (ख). *जानकारी* देने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २ , अनुबन्ध संख्या ५५]**

(ग) कोई नहीं ।

दिल्ली की अदालतों में हिन्दी के फार्म

१२००. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की अदालतों में प्रयोग में आने वाले कितने फ़ार्मों का अब तक हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है और कितनों का इस समय हो रहा है; और

(ख) अब तक कितने फार्म हिन्दी में छप चुके हैं और कितने अभी तक छपने के लिए प्रेस में पड़े हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). अब तक दिल्ली प्रशासन ने सम्मन तथा नोटिस सम्बन्धी तीन फार्मों का हिन्दी अनुवाद कराया है । पंजाब उच्च न्यायालय की अनुमति प्राप्त होने पर इन फार्मों को छपाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्रशासन के पदाधिकारियों का सम्मेलन म भाग लेना

१२०१. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में दिल्ली प्रशासन के कितने पदाधिकारियों को सम्मेलनों में सम्मिलिति होने के लिए तथा अन्य राजकीय कार्यों के लिए अन्य राज्यों में भेजा गया; और

(ख) न पर कितना व्यय हुआ ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के दौरे

१२०२. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों द्वारा १९६०-६१ में कितने दौरे किये गये ; और

(ख) उनको भत्ते देने पर कितना धन व्यय किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में सौफ्ट कोक

१२०३. **श्री नवल प्रभाकर :**
श्री भक्त दर्शन .

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, १९६१ में दिल्ली में धुआ रहित पत्थर के कोयले (सौफ्ट कोक) के दाम निर्धारित मूल्य से अधिक रहे हैं ; और

(ख) यदि हां तो इस विषय में दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये प्रयत्नों का व्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन के पास कोई शिकायत नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में पोस्त की खेती

१२०४. **श्री सरजू पाण्डेय :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कितने एकड़ भूमि में पोस्त की खेती करने की मंजूरी दी गई ;

---

†मूल अग्रेजी में

(ख) जितने एकड़ की मंजूरी दी गई थी क्या उस सारे क्षेत्र में खेती की गई थी :

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अगले वर्ष पोस्त की खेती के लिए कितने एकड़ भूमि की मंजूरी दी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) ३४,०६२ एकड़ ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जिन नये जिलों में पोस्त की खेती की इजाजत दी गयी है उनके ज्यादातर काश्तकारों ने पोस्त की खेती के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को मंजूरी का एलान किये जाने से पहले ही आलू की खेती करने के लिए बीज खरीद लिए थे और इस लिए वह पोस्त की खेती न कर सके ।

(घ) अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ ।

मध्य प्रदेश में डिग्री कालेज

१२०५. श्री रा० चं० शर्मा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रदेश में कितने डिग्री कालेज हैं ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन कालेजों को अनुदान स्वीकृत किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष और चालू वर्षों में कितना कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) (ख) और (ग). १९५९–६० और १९६०–६१ में विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन ने ४,९३,३९८ रुपये और ४९ नये पैसे की राशि ३३ डिग्री कालेजों को दी।

शिवसागर में ऐतिहासिक अवशेष

†**१२०६. श्री प्र० च० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में शिव सागर में "रंग घर" और 'कारंग-घर" नामक दो ऐतिहासिक इमारतों के अवशेषों की ठीक तरह से देखभाल की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन साल में हर साल उनके रख रखाव पर कितनी रकम खर्च की गयी ; और

(ग) उनकी देख भाल के लिए किन कर्मचारियों को रखा गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**:(क)जी हां ।

(ख) (१) रंगघर मंडप

१९५७–५८ .	१,७२१ रुपये
१९५८–५९ . .	३,३६५ रुपये
१९५९–६०	४४८ रुपये

†मूल अंग्रेजी में

(२) कारंग पर महल

१९५८–५७	१,०८९ रुपये
१९५८–५९	२,५१९ रुपये
१९५९–६०	२,४५३ रुपये

(ग) उप-मंडल कर्मचारी, अर्थात् संरक्षण सहायक (कन्जर्वेशन असिस्टेंट) फोरमैन और एक स्मारक संरक्षक (मोन्यूमेन्ट अटन्डेन्ट)

उड़ीसा में प्राथमिक अध्यापक

†१२०७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६१–६२ में उड़ीसा में प्राथमिक अध्यापकों का मंहगाई भत्ता बढ़ाने के लिए उड़ीसा सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां तो कितनी ;

(ग) क्या इस प्रार्थना पर अब तक विचार किया जा चुका है ; और

(घ) यदि हां तो क्या ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) अभी ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हिमाचल प्रदेश के छात्र

†१२०८. **श्री शि० ना० रामौल :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिन छात्रों को बिना कोई छात्रवृत्ति दिये अन्य राज्यों की शिक्षा संस्थाओं या तकनीकी संस्थाओं में उनके लिए सुरक्षित स्थानों के कोटे के अनुसार उनके प्रवेश के लिए सिफारिश की थी, अब उनसे प्रशासन को यह वचन देने के लिए कहा जा रहा है कि वे तीन साल तक प्रशासन की सेवा करें ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो छात्र उपयुक्त वचन देने के लिए सहमत नहीं होता उससे उसके बदले में ३,००० रुपये की रकम मांगी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रवेश के समय दोनों पार्टियों के बीच कोई करार न होने की दशा में ऐसी मांग करने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

उड़ीसा में बाढ़ों से प्रभावित अनुसूचित जाति के लोगों को सहायता

†१२०९. **श्री बै० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि अगस्त १९६० की अत्यधिक बाढ़ों से प्रभावित अनुसूचित जाति लोगों के लिये वित्तीय सहायता दी जाए ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां ।

(ख) दूसरी योजना के अन्तर्गत पिछड़ी श्रेणियों के लिये आवंटित निधि से विशेष सहायता की प्रार्थना धन की उपलब्धि न होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकी । तथापि राज्य सरकार को मंत्रणा दी गई है कि वह बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने पर आवश्यक व्यय करे और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को आकस्मिक सहायता अनुदान की योजना के अन्तर्गत इस व्यय में केन्द्रीय सरकार का अंश प्राप्त करें । राज्य सरकार को भी यह अनुमति दी गई थी कि चालू वर्ष में पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण के लिये अनुमोदित कुछ योजनाओं को बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में केन्द्रित करे और यदि उसके लिये कुछ धन को बदलने की आवश्यकता पड़े तो राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह यह कार्य मंत्रालय के अनुमोदन की प्रत्याशा में ऐसा परिवर्तन कर ले ।

सरकारी कर्मचारियों की परिवार पेंशन निधि

†**१२१०. श्री गोरे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **सरकारी** कर्मचारी परिवार पेंशन निधि के अन्तर्गत कितनी राशि इकट्ठी की गई थी जब इसे जीवन बीमा निगम ने अपने हाथ में लिया ;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने उक्त निधि के नियमों में कोई परिवर्तन किया है, जिससे उन सरकारी कर्मचारियों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जो पुराने नियमों के अन्तर्गत इसमें अंशदान दे रहे थे ; और

(ग) क्या सरकारी कर्मचारियों को अपनी सेवा निवृत्ति के पश्चात् भी अंशदान देते रहना होगा ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) २८,८८,३४५ रुपये ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी, हां ।

सैनिक इजीनियरी सेवा कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधायें

†१२११. { **श्री जगदीश अवस्थी :**
श्री अर्जुनसिंह भदौरिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब तक सरकारी ठेकेदारों के कारिन्दों और एम०ई०एस० के कर्मचारियों को काम के स्थान पर जो चिकित्सा सुविधाएं दी जाती थीं, वे १९५९ में अचानक हटा दी गई है और कुछ डाक्टरों की सेवाओं को छोड़कर वैकल्पिक प्रबंध किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त वैकल्पिक व्यवस्था विभिन्न स्थानों पर विभिन्न परियोजनाओं पर समान रूप से लागू नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो अपने संघों के द्वारा भेजे गये कर्मचारियों के अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई हैं या करने का इरादा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि संविदा की सामान्य शर्त आई० ए० एफ० डब्ल्यू० २२४६ की शर्त संख्या २६ की उपखंडिका ४ में संशोधन भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त की सलाह से किया गया है और यदि हां, तो इस भेद को हटाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६]**

हिमाचल प्रदेश प्रशासन

१२१२. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कितने सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में पुर्नियुक्त किया है ; और

(ख) उनकी विशेष योग्यतायें क्या हैं और उनकी पुर्नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तानी और भारतीय विद्यार्थी

१२१३. श्री पद्म देव : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने पाकिस्तानी विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कितने भारतीय विद्यार्थी पाकिस्तान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ; और

(ख) दोनों सरकारों की ओर से इन विद्यार्थियों को क्या-क्या सुविधायें दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). सूचना अभी उपलब्ध नहीं है और इकट्ठी की जा रही है ।

मण्डी में बाढ़ पीड़ितों को सहायता

१२१४. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में सरकार ने १९६० के बाढ़ पीड़ितों की सहायता के हेतु कितनी धन राशि व्यय की ; और

(ख) व्यय की गई धनराशि में से कितना धन तकावी ऋण के तौर पर बांटा गया और उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मण्डी में बाढ़ पीड़ितों द्वारा बनाये गये मकान

१२१५. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में १९६० में बाढ़ ग्रस्त परिवारों में से कितने परिवारों ने मकान बना लिये हैं और कितने अभी तक बेघर पड़े हैं ; और

(ख) तकावी ऋण के अतिरिक्त सरकार ने लोगों की और क्या-क्या सहायता की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित 'घराट'

१२१६. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश में १९६० की बाढ़ में जो घराट बह गये थे उन में से कितनों का पुनर्निर्माण हो चुका है और कितने शेष रह गये हैं ; और

(ख) घराटियों को बसाने के हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये और इसपर कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता का बन्द किया जाना

†१२१७. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता हाल ही में राज्य सरकार द्वारा इस आधार पर बन्द कर दी गयी है कि केन्द्र आवश्यकता के अनुसार राज्य सरकार की सहायता नहीं करता ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी राशि मांगी थी; और

(ग) केन्द्र ने कितनी राशि मंजूर की ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) से (ग). भारत सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं । हमने उड़ीसा सरकार को पूछा था, और उनका उत्तर आने पर सूचना सभा पटल पर रख दी जायगी ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन

†१२१८. **श्री हेमराज** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या परिवर्तन स्वीकार करने का विचार करती है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

महात्मा विदुर की कुटिया

१२२०. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री अब्दुल लतीफ :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में दारानगर-गंज के निकट गंगा नदी के किनारे महाभारत के प्रसिद्ध महात्मा विदुर की कुटी और दूसरी इमारतें अभी तक मौजूद हैं, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस विदुर कुटी व अन्य इमारतों की देखभाल और देख-रेख के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

मनीपुर राज्य पोलो टीम

†१२२१. **श्री ले० अचौसिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मनीपुर राज्य पोलो टीम के भूतपूर्व खिलाड़ियों से राज्य के घोड़ों और मनीपुर सरकार की टीमों को बनाये रखने के लिये पारिश्रमिक देने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि पुरानी पोलो टीम को जून १९५१ तक १५० प्रति मासिक अनुदान मिलता रहा है और उसके बाद से मनीपुर शासन ने अनुदान बन्द कर दिये ;

(ग) क्या पोलो समिति ने भी जिसके पुराने खिलाड़ी सदस्य हैं, मनीपुर में परम्परागत पोलो खेल को कायम रखने और उसके विकास के लिये वित्तीय सहायता के लिये सरकार को कई अभ्यावेदन दिये हैं ;

(घ) क्या सरकार ने उन अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय दिये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) सूचना मनीपुर प्रशासन से एकत्रित की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पजाब में पीतल के बर्तनों का उद्योग

†१२२२. **श्री दी० च० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पीतल के बर्तनों के उद्योग के विकास के लिये कोई व्यापक योजना अन्तिम रूप से बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की गई है। पंजाब में तथा देश में अन्यत्र ऐसे उद्योगों के लिये सब संभव सहायता दी जाती हैं।

औद्योगिक मजदूरों के लिये समाज सुरक्षा योजना

†१२२३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक मजदूरों के लिये एक व्यापक समाज सुरक्षा योजना बनाने के लिये स्थापित अध्ययन दल के प्रतिवेदन पर विचार किये जाने की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) उसका क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). संबधित हितों से प्राप्त शिक्षण परिक्षणाधीन हैं। यह विचार किया गया है कि कोई निर्णय करने से पूर्व एक त्रिदलीय सम्मेलन में इस मामले पर चर्चा की जाये ।

हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण

†१२२४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पद्म देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसधान परिषद् ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया है और अन्तिम प्रतिवेदन अभी तैयार किया जा रहा है ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७

†१२२५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री तंगामणि :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में सशोधन करने के प्रस्ताव किस प्रक्रम पर हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार किया जा रहा है ।

त्रिपुनीथुरा में तार फैक्टरी

†१२२६. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिभुनीथुरा में एक तार फैक्टरी की स्थापना के लिये, जापान से पूंजी उपकरण प्राप्त करने का लाइसेंस ट्रको ऐंटर प्राइज़िज प्राइवेट लिमिटिड को दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जापान से पूंजी उपकरणों के आयात के लिये फर्म का प्रस्ताव सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर लिया गया है। अभी आयात के लिये उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दण्डकारण्य विकास पंचवर्षीय योजना

†१२२७. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दण्डकारण्य विकास पंचवर्षीय योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) योजना अभी तैयार की जा रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रतलाम और भोपाल के लिये गन्दी बस्ती सफाई परियोजनायें

†१२२८. **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री कुन्हन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १७ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश सरकार से रतलाम और भोपाल में गन्दी बस्ती सफाई परियोजनाओं सम्बन्धी प्रस्ताव आये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाई की गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार को सलाह दी गई है कि दोनों परियोजनायें एक रतलाम में ३८ मकानों के निर्माण की तथा दूसरी भोपाल में ६० मकानों के निर्माण की, गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिये ठीक होगी ।

सरकारी या सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थाओं द्वारा गैर सरकारी वस्तुशास्त्रियों को काम पर लगाया जाना

†१२२९. **श्री वें० प० नायर:** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि सरकारी या सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थायें, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को पूछ कर या बिना पूछे, निर्माण कार्यों के लिये गैर सरकारी वस्तु शास्त्रियों की सेवायें लेती हैं ।

(ख) क्या सरकार ने इस मामले में गैर सरकारी वस्तुशास्त्रियों से ऐसी सेवायें लेने के बारे में इन संस्थाओं को कोई हिदायतें दी हैं ; और

(ग) १९५७–५८, १९५८–५९ तथा १९५९–६० में गैर सरकारी वस्तु शास्त्रियों को कितना शुल्क दिया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की वास्तुशास्त्र सम्बन्धी शाखा केन्द्रीय सरकार की सभी सिविल इमारतों के (रेलवे की इमारतों को छोड़कर), तथा उनको छोड़ कर जहां काम विशेषीकृत ढंग का होता है और जिसे वे नहीं कर सकते या, कुछ मामलों में विदेशों में भारतीय मिशनों के कामों का छोड़ कर जहां स्थानीय वास्तु शास्त्रियो को लगाना लाभदायक होता है, वास्तुशास्त्र सम्बन्धी डिजाइन बनाती है तथा टाउन प्लानिग करती है ।

(ग) जहां तक मालूम हो सका है, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त निकायों द्वारा गैर-सरकारी वास्तुशास्त्रियों को शुल्क के रूप में १९५७-५८, १९५८-५९, तथा १९५९-६० में क्रमशः ३,३४,८१९ रुपये, ४,२५,२३० रुपये, तथा ८४,०७८ रुपये दिये गये हैं ।

सरकारी मकानों में सब्जियां बोने के लिये स्थान

†१२३०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि संसद्-सदस्यों, अफसरों तथा अन्य लोगों को दिये गये सरकारी मकानों में सब्जियां बोने के लिये स्थान होता है ;

(ख) इस उपलब्ध स्थान में कितने प्रतिशत स्थान पर सब्जियां बोई जाती हैं ; तथा

(ग) भारत सरकार ने इसके लिये क्या कार्यवाई की है कि इस उपलब्ध भूमि को मैदान या बेकार पड़े रखने के स्थान पर उचित उपयोग में लाया जाये ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: (क) और (ख). विस्तृत सांख्य-की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जिस क्षेत्र पर सरकारी क्वाटरों के आहातों में सब्जियां बोई जाती हैं, उसके उपयोग का मामला किरायेदारों पर छोड़ दिया गया है। मैदानों के क्षेत्रों को घटाने तथा अधिक स्थान को सब्जियां अथवा फूल बोने के लिये उपयोग में लाने के लिये क्या सक्रिय कार्यवाही की जा सकती है, इस मामले पर सरकार विचार करेगी। सब्जिया बोने के बारे मे प्रविधिक सलाह प्रार्थना पर, बागवानी निदेशालय द्वारा दी जाती है ।

महाराष्ट्र में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी

†१२३१. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून से दिसम्बर १९६० की अवधि के बीच महाराष्ट्र में रंजीबद्ध बेकार स्नातकों और इन्टरमीजिएटों में से कितने व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : जूलाई-दिसम्बर १९६० के बीच ७९५ व्यक्ति । जुन दिसम्बर १९६० की अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि आंकड़े त्रैमासिक आधार पर इकट्ठे किये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दमुआ कोयला खान जांच

†१२३२. श्री पांगरकर :
श्री कुन्हन :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २२ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमुआ खान के प्रबन्धक के आचरण की जांच करने के लिये विनियमों के अन्तर्गत नियुक्त जांच न्यायालय ने अपनी उपपत्तियां पेश कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस का मूख्य निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय चलचित्रों का निर्यात

†१२३३. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य पूर्वी देशों को भारतीय चल चित्रों का निर्यात हाल ही में घट गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) जनवरी-नवम्बर १९६० के बीच मध्यपूर्वी देशों को चलचित्रों के निर्यात में १९५९ की इस अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेडियो के पुर्जों का आयात

†१२३४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो के पुर्जों के आयात के लिये बड़ी राशि अभी भी खर्च की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो १९६०-६१ में कितनी राशि खर्च की गई ; और

(ग) भारत के रेडियो के सब पुर्जों के निर्माण के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). पिछले कुछ वर्षों के आयात का मूल्य १.७ करोड़ रुपये प्रति वर्ष तक रहा है । वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के लिये रेडियो के पुर्जों के आयात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं । तथापि, अप्रैल से नवम्बर १९६० की अवधि के लिये आयात का मुल्य ११८.७ लाख रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रेडियो के पुर्जों के निर्माण के लिये बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के दोनों क्षेत्र में बहुत सी योजनायें अनुमोदित की जा चूकी हैं और उन में से कुछ कार्यान्वित की जा रही हैं। कुछ महत्व पूर्ण रेडियो पुर्जों की कुल लाइसेंस की गई तथा अनूमोदित क्षमता नीचे दी जाती है :—

पुर्जे	वार्षिक क्षमता लाइसेंस दी गई/अनूमोदित (१० लाख सख्या में)
१. वल्व	१.८०
२. ट्रांजिस्टर और डायोड्ज़	३.८८
३. लाउड स्पीकर	४.००
४. बेरिएबल कंडैंसर	२.६०
५. पेपर कैपैसिटर	२६.००
६. सिरैमिक कैपैसिटर	१८.००
७. इलक्ट्रोलिटिक कैपैसिटर	६.५०
८. सिलवर्ड मीका कैपैसिटर	१२.००
९. कैपैसिटर (प्लास्टिक फिल्म)	६.१०
१०. कार्बन रिज़स्टर्स	४३.००
११. पोटैंश्यो मीटर	७.००
१२. बैंड वेंत्र खिच	२.८०

वनस्पति का निर्यात

†१२३५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों का वनस्पति का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** वनस्पति का निर्यात खोपरा के आयात से मिला हुआ है, जिस में काफी लाभ होता है। अन्तर्राष्ट्रीय भावों पर वनस्पति बेचने में निर्माता/निर्यातकों को जो हानि होती है, उस की उन्हें क्षतिपूर्ति करने के लिये ऐसा किया गया है। इसके अतिरिक्त, वनस्पति के निर्माताओं/निर्यातकों को भी पुनर्नवीकरण या बदलने के लिये अपेक्षित पुर्जों और मशीनरी तथा रसायनों के लिये, निर्यात किये गये वनस्पति के मूल्य के किराया भाड़ा माफ के ५ प्रतिशत तक आयात लाइसेंस भी दिये जाते हैं।

जम्मू तथा काश्मीर में खादी का उत्पादन

†१२३६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० और १९६०-६१ में जम्मू तथा काश्मीर में मासवार कितनी खादी का उत्पादन किया गया था ; और

(ख) १९६०-६१ के लिय खादी उत्पादन के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७]**

(ख) १९६०-६१ के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में निष्क्रान्त व्यक्तियों की इमारतें

†**१२३७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ऐसी कितनी निष्क्रान्त इमारतें हैं जो कि दावों के बदले विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित कर दी गई हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**:

१८,७८०	बेच दी गई हैं
४,४१५	आवंटित की गई हैं
कुल २३,१९५	

काफी का निर्यात

†**१२३८. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में कितनी काफी का निर्यात किया गया था ;

(ख) उससे कितनी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई थी ;

(ग) १९६० में काफी का कुल उत्पादन कितना हुआ था ;

(घ) १९६० में भारतीय फर्मों की ओर से कितने प्रतिशत काफी का निर्यात किया गया था ; और

(ङ) उक्त अवधि में कितने प्रतिशत काफ़ी का निर्यात भारतीय तथा अभारतीय फर्मों द्वारा ब्रिटिश एक्सचेंज बैंकों के माध्यम से किया गया था ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १६,५६०,९३९ किलोग्राम ।

(ख) ६,६९,७४,९३५ रुपये ।

(ग) १९६०-६१ में कुल लगभग ५३,०५० मीट्रिक टन के उत्पादन का अनुमान है ।

(घ) १९६० में लगभग ६० प्रतिशत काफ़ी का निर्यात भारतीय फर्मों द्वारा किया गया था ।

(ङ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

दिल्ली की गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनायें

†**१२३९. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० और १९६०-६१ के लिये दिल्ली की गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनाओं के लिये दिल्ली प्रशासन को आवंटित राशियां अदा कर दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी राशि अदा की जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये सीधे ही दिल्ली नगर निगम को आवंटित करती है और निगम ही दिल्ली की इन योजनाओं को तैयार करने और उन की कार्यान्विति के लिये जिम्मेवार है। १९५९-६० में इन योजनाओं के लिये निगम को कुल १४७.०० लाख रुपये आवंटित किये थे। निगम ने उस राशि में से केवल २५.३३ लाख रुपयों का ही उपयोग किया है। इस वर्ष के लिये आवंटित कुल १५० लाख रुपयों की राशि में से निगम की मांग अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

हिमाचल प्रदेश में लोहे और लोहे की चादरों का वितरण

†१२४०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ में विभिन्न उद्योगों के लिये हिमाचल प्रदेश में कोटे के आधार पर कितने लोहे, लोहे की चादरों, ताम्बे और पीतल का वितरण किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : १९६०-६१ में हिमाचल प्रदेश के उद्योगों के लिये निम्नलिखित मात्राओं में आवंटन किया गया है :—

१. लोहे और लोहे की चादरें	७७१ टन
२. ताम्बे के डल्ले	१०० टन
३. पीतल के टुकड़े	१८० टन

उक्त वस्तुओं के वास्तविक वितरण के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पंजाब में उद्योगों के विकास के लिये सहायता

†१२४१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के उद्योगों के विकास के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब सरकार को कितनी राशि आवंटित की गयी थी ; और

(ख) उस राशि से किन-किन उद्योगों को लाभ हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) १९५९-६० के अन्त तक २,९९,६५,८९४ रुपये।

(ख) रेशम कृमि पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा अन्य लघु उद्योग और औद्योगिक बस्तियां।

दिल्ली में असैनिक निर्माण-कार्य

†१२४२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में दिल्ली के सामान्य पूल में असैनिक निर्माण कार्यों के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी थी ; और

(ख) अभी तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) १९६०-६१ में '७८—दिल्ली परिव्यय' और '५० असैनिक निर्माण कार्य केन्द्रीय' के अधीन असैनिक निर्माण कार्यों के लिये ४,९७,७२,००० रुपये मंजूर किये गये थे । (इन कार्यों में नये कार्य तथा प्रारम्भिक किये जा चुके कार्य भी सम्मिलित हैं) ।

(ख) आशा है कि १९६०-६१ में इन सभी मंजूर कार्यों पर ३,९७,७०,७०० रुपये खर्च किये जायेंगे ।

पंजाब में युवक नियोजन तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन योजना

†१२४३. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में युवक नियोजन तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन योजना के अधीन सेक्शन खोले गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ;

(ग) कहां-कहां ; और

(घ) उनसे अभी तक क्या-क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां ।

(ख) ७ ।

(ग) अम्बाला, अमृतसर, पटियाला, हिसार, जालन्धर, लुधियाना और रोहतक ।

(घ) दिसम्बर, १९६० के अन्त तक १२,३८३ नवयुवकों को व्यावसायिक मार्ग दर्शन दिया गया था ।

क्रोम का निर्यात

†१२४४. **श्री न० म० देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ में सरकार उच्च कोटि के क्रोम की कितनी मात्रा का निर्यात करने की आशा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : निर्यातकर्ताओं तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा कुल लगभग ३०,००० टन उच्च कोटि के क्रोम के अयस्क के निर्यात की अनुमति दी जायेगी । इसमें ४८ प्रतिशत तथा उससे अधिक मात्रा में विद्यमान क्रोमाइट वाले अयस्क होंगे ।

अहमदाबाद में कपड़ा मिलें

†१२४५. **श्री न० म० देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले की कमी के कारण अहमदाबाद की कई कपड़ा मिलें बन्द हो गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) कोयले की कमी के कारण अहमदाबाद में किसी भी कपड़ा मिल के बन्द होने के सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । पर हां, इन मिलों को दिये जाने वाले कोयले की कमी के सम्बन्ध में रिपोर्ट मिली है और वहां कोयला शीघ्रता से भेजने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता से आकाशवाणी के कार्यक्रम

†१२४६. **श्री न० म० देव :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि कलकत्ता रेडियो स्टेशन से शाम के समय ६० मीटर और मीडियम वेव से प्रसारित किया जा रहा कार्यक्रम ठीक सुनाई नहीं देता ; और

(ख) त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). कलकत्ता रेडियो स्टेशन के विभिन्न वेवों से प्रसारित किया जा रहा कार्यक्रम सामान्यतया ठीक प्रकार से सुनायी देता है। परन्तु शाम के समय ठीक प्रकार से सुनायी न देने का कारण स्थानीय अथवा अस्थायी स्थितियां तथा सेटों की सीमायें हो सकता है। यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रविधिक रूप से कलकत्ता स्टेशन तथा लगभग सभी प्रादेशिक रेडियो स्टेशनों के ट्रांसमीटरों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ट्रांसमीटरों की शक्ति के अनुपात से केवल सीमित दूरी तक सुनायी दे सकते हैं, कलकत्ता जैसे महत्वपूर्ण रेडियो 'स्टेशनों' से भी प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को सारे देश में दूर-दूर तक सुनायी पड़ सकना' संभव नहीं है। दूर की ¾ दूरी को पूरा करने के लिये प्रत्येक रेडियो स्टेशन पर अत्यधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने पड़ेंगे। ऐसे ट्रांसमीटर केवल अखिल भारतीय कार्यक्रमों के लिये ही इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

कांगो में भारतीय कर्मचारी

१२४७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सूपकार :
श्री दामानी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगों में कई भारतीय सैनिकों और असैनिक कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और उनमें से कुछ को गहरी चोटें पहुंची हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या इस विषय पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारियों से पूछ-ताछ की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ). पिछले नवम्बर की जिन घटनाओं से संयुक्त राष्ट्र की फौजें (भारतीयों सहित) प्रभावित हुई थीं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी ३० नवम्बर, १९६० को सदन में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे में दे दी गई थी। उस ब्यौरे में यह बताया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने राष्ट्रपति कसावुबु के पास कड़े विरोध-पत्र और शिकायतें भेजी थीं। उसके बाद, कांगो-स्थित संयुक्त राष्ट्र कर्मचारियों को लेकर घटनाओं की रिपोर्ट नहीं मिली ; लेकिन पिछले सप्ताह मार-पीट के कई मामले हुए। इन घटनाओं से भारतीय कर्मचारियों का कोई वास्ता नहीं था।

---

†मूल अंग्रेजी में

आसाम में रासायनिक उर्वरक कारखाना

†१२४८. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री उस्मान अली :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सूपकार :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आसाम में एक रासायनिक उर्वरक कारखाने की स्थापना के लिये जापानी सहयोग की शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: आसाम में उक्त कारखाना स्थापित करने के लिये सहयोग के लिये जापान से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

हज यात्री

†१२४९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बहुत अधिक लोग हज के लिये यात्रा करना चाहते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रमजान से पहले और बाद में जलयानों में स्थानों की उपलब्धि के सम्बन्ध में पर्याप्त कठिनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). जी, हां । भारत से वहां जाने वाले यात्रियों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। १९६१ की हज यात्रा के लिये २०,००० यात्रियों के लिये प्रबन्ध किया गया था । अक्तूबर, १९६० में जलयानों के सम्बन्ध में योजना बनाई गई थी और इच्छुक यात्रियों द्वारा बुकिंग के लिये वे जलयान रिलीज़ कर दिये गये थे । जनवरी, १९६१ के अन्त सभी यात्रियों को बुक कर लिया गया था । हवाई जहाजों से यात्रा करने वालों के लिये विमान यात्रा का भी प्रबन्ध किया जा रहा है । सरकार केवल इतने ही अर्थात् २०,००० यात्रियों के लिये ही अधिक से अधिक चार जलयानों का प्रबन्ध कर सकती है ।

भारतीयों का विदेशों से भारत वापस आना

†१२५०. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६० में कई भारतीय राष्ट्रजनों को सरकारी खर्च पर विभिन्न देशों से वापस लाना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें वापस भेजे जाने के क्या कारण थे ;

(ग) उनकी कितनी संख्या है और वे किस-किस देश से वापस भेजे गये हैं ; और

(घ) उन्हें वापस लाने पर सरकार को कुल कितनी राशि खर्च करनी पड़ी थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशों में उनकी निराश्रित अवस्था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कुल ९३ व्यक्ति जिनमें से ५९ बालिग़ और ३४ नाबालिग़ हैं। वे निम्नलिखित देशों से आये हैं :—

बर्मा	५८
पश्चिमी जर्मनी	४
इटली	४
अमरीका	३
पूर्वी अफ्रीका	११
फ्रांस	१
यूनानी	१
ईरान	२
ईराक	२
इंडोनेशिया	५
लाओस	१
स्विटजरलैण्ड	१

(घ) कुल ३२,७८१ रुपये ९२ नये पैसे की राशि।

अल्यूमीनियम संयंत्र, रिहाण्ड

१२५१. श्री भक्त दर्शन : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहाण्ड (उत्तर प्रदेश) में अल्यूमीनियम का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) उस कारखाने में कब तक उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा की जाती है ; और

(ग) कारखाने को स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या सहायता और सहयोग दे रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). रिहाण्ड में अल्यूमीनियम का कारखाना, आशा है इस साल के अन्त तक बनकर तैयार हो जायगा। उत्पादन १९६२ के आरम्भ से शुरू हो जाने की आशा है।

यह कारखाना विदेशी सहयोग से एक निजी पार्टी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भारत सरकार उसकी सहायता केवल ऐसे मामलों में कर रही है जैसे संयंत्र और मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस देना, सहयोग करारों को मंजूर करना, कारखाना लगाने के लिये नियन्त्रित वस्तुयें उपलब्ध कराना इत्यादि। इस कारखाने को चलाने के लिये राज्य सरकार रिहाण्ड जल विद्युत् प्रायोजना से उचित दर पर बिजली उपलब्ध करायेगी।

डालमिया सार्थ

†**१२५२. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि डालमिया सार्थों के सम्बन्ध में की जा रही जांच के बारे में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** उसके बाद जांच आयोग को 'मामलों के ब्यानों' के सम्बन्ध में कोई उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। इन सभी उत्तरों पर, जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, विचार किया जा रहा है । पांच समवायों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचार लगभग पूरा हो गया है । विभिन्न पार्टियों द्वारा उठायी गयी विभिन्न आपत्तियों के प्रकाश में दिखाये जाने वाले अन्य कागजातों और गवाहों की सूचियां तैयार की जा रही हैं । कागजातों पर विचार करने के अतिरिक्त, अन्य पार्टियों द्वारा जिन कागजातों के बारे में उत्तर दिया गया है, उन पर भी आयोग द्वारा विचार किया जायेगा ।

श्री आर० के० डालमिया तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा पेश की गयी लिखित याचिका पर पंजाब उच्च न्यायालय के सर्केट बेंच द्वारा अभी सुनवायी प्रारम्भ नहीं हुई है ।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१

†**१२५३. श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन उद्योगों को भी, जो कि प्रबन्धकों से झगड़े के कारण बन्द हो गयी हों, या उनके दिवाला निकल गया हो, अपने अधीन ले लेने के उद्देश्य से उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन और अधिक शक्ति प्राप्त करने के प्रश्न के बारे में इस समय क्या स्थिति है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मामला अभी विचाराधीन है ।

हथकरघे का कपड़ा

†**१२५४. श्री राम कृष्ण गुप्त:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघे के कपड़े को सुकड़ने से बचाने के लिये उसे 'सेनफोराइज' करने के सम्बन्ध में प्रस्थापना की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) केवल मात्र हथकरघे के कपड़े को 'सेनफोराइज' करने के लिये कारखाना स्थापित करना लाभप्रद नहीं समझी गयी है ; इसलिये इस प्रस्थापना को छोड़ दिया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया ऋण

†**१२५५. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों की कितनी कितनी ऋण राशियां बकाया रहती हैं ; और

(ख) ऋण और उसकी अदायकी की शर्तें क्या हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख) मई, १९५९ में मन्त्रिमण्डल सचिवालय द्वारा सरकारी क्षेत्र के प्रमुख औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य के सम्बन्ध में जारी

†मूल अंग्रेजी में

किये गये एक विवरण से यह बता दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी ऋण राशि और कितनी दर पर दी गयी है। दि गये ऋणों की अवधि उपक्रमों के अनुसार अलग अलग होती है और यह अवधि उपक्रम के उत्पादन और विस्तार कार्यक्रम के आधार पर तदर्थ निश्चित की जाती है।

कांच उद्योग को हेवी सोडा एश की सप्लाई

†१२५६. **श्री ब्रजराज सिंह:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि गत कई महीनों में फिरोजाबाद के कांच उद्योग को भारी सोडा एश का बहुत कम संभरण किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यद्यपि राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के कांच प्रौद्योगिक विज्ञों को पर्याप्त मात्रा में भारी सोडा एश आवंटित करने के उपरान्त भी उनके अभिकर्ताओं ने नवम्बर–दिसम्बर, १९६० में उसका संभरण करने से इन्कार कर दिया गया था।

(ग) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम की इतनी इस नीति के बारे में भी ज्ञात है जिसके अधीन निगम नवम्बर और दिसम्बर के मास में 'मांग' से भी अधिक मात्रा में भारी सोड़ा एश संभरण के लिये भेजा गया था ;

(घ) क्या सरकार को राज्य व्यापार निगम की इस नीति के बारे में भी ज्ञात है जिसके अधीन उद्योगों को सोडा एश का संभरण पहले आने वाले मांग के अनुसार पहले किया जाता है और क्या सरकार ने इस नीति पर विचार करके उसके लिय मंजूरी दी है ; और

(ङ) क्या सरकार सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि नवम्बर-दिसम्बर, १९६० में फिरोजाबाद के उद्योग को मासवार कितना भारी सोडा एश संभरित किया गया था?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जनवरी, १९६१ में सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं कि फिरोजाबाद के कुछ एक कारखानों का नवम्बर–दिसम्बर, १९६० में भारी सोडा एश का को टा प्राप्त नहीं कर सके। इसका कारण यह है कि इन कारखानों ने भारी सोडा एश के लिये अपनी मांग अन्य सभी कारखानों की अपेक्षा देर से भेजी थी। इस अवधि में भारी सोडा एश के लिये मांग में अकस्मात वृद्धि हो गयी। इसे केवल संग्रहीत स्टाक के द्वारा ही पूरा किया जा सकता था परन्तु विदेशी मुद्रा की कमी के कारण वैसा नहीं किया जा रहा है।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने नवम्बर, १९६० में उत्तर प्रदेश के कांच सम्बन्धी प्रौद्योगिक विज्ञों को ६०० टन भारी सोड़ा एश आवंटित किया था। कुल ५४ यूनिटों में से केवल ११ यूनिट ही अपना कोटा प्राप्त न कर सके क्योंकि सारा स्टाक पहल ही पूरा हो गया था। दिसम्बर में भी उत्तर प्रदेश सरकार को उतनी ही मात्रा ही आवंटित की गयी थी जो कि फैक्टरियों को वास्तव में २ जनवरी, १९६१ को संभरित किया गया था।

(ग) और (घ). राज्य व्यापार निगम ने नवम्बर, १९६० में कोई भी रिलीज़ सम्बन्धी हिदायत जारी नहीं की थी क्योंकि भारी सोडा एश के लिय उपभोक्ताओं की पुनरीक्षित मांग अभी नहीं पहुंची थी। जब मांगें आयीं, तो पहले आने वाली मांग के लिये पहले संभरण के आधार पर

†मूल अंग्रेजी में

उन्हें कार्यान्वित किया गया। यद्यपि अकस्मात मांग के अत्यधिक बढ़ जाने के परिणाम कांच के सभी कारखानों की भारी सोडा एश सम्बन्धी मांगों को पूरा नहीं किया जा सका, तथापि हल्के सोडा एश का पर्याप्त मात्रा में संभरण किया जा सका।

(ङ) फिरोजाबाद के कांच उद्योग के अक्तूबर, १९६० तक औसत २५० से ३०० टन प्रति-मास भारी सोडा ऐश खरीदा था। अक्तूबर, १९६० से पहले कोई शिकायत प्राप्त नही हुई थी और उसके बाद निम्नलिखित मात्राओं में उसका सम्भरण किया गया था :—

अक्तूबर, १९६०	७४० टन
नवम्बर, १९६०	१२२ टन
दिसम्बर, १९६०	२८१ टन
जनवरी, १९६१	३८४ टन

रबड़ बागान योजना के लिये सहायता

†१२५७. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल रबड़ बागान योजना के लिये वहा की सरकार को किसी प्रकार कीं वित्तीय सहायता देने की बात पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, ता क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नही श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता।

पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी में आये कर्मचारी

†१२५८. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मन्त्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९६० से जनवरी, १९६१ के अन्त तक पुनर्वास मन्त्रालय के छंटनी में निकाले गये कितने कर्मचारियों को खपाया गया; और

(ख) शेष कर्मचारियों को खपाने के लिये क्या हो रहा है।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) छंटनीं में निकाले गये १,३७३ लोगो में १,०१५ व्यक्ति विभिन्न मन्त्रालयों में और अधीनस्थ दफ्तरों में नौकर रख लिये मये। कुछ लोगो ने अपने प्रयत्न से नौकरी ढूंढ ली है क्योंकि बाद के लागों ने सहायता की मांग नही की।

(ख) जो कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा के नही, ऐसे निकाले गये लोगों के सेवा सम्बन्धीं कागजात रोजगार तथा प्रशिक्षण के मुख्य निदेशालय के विशेष एकक को भेज दिये जाते हैं। यह व्यवस्था गृह-कार्य मन्त्रालय, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय तथा संघ लोक सेवा आयोग के बीच बातचीत से तय पायी है और वह एकक खपाने के काम को प्राथमिकता दे रहा है।

---

†मूल अंग्रेजीं में

जोरबाग व गोल्फ़ लिंक (नई दिल्ली) में तीन मंजिले मकान

†१२५९. **श्री अजित सिंह सरहदी:** क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से गोल्फ लिंक रोड, जोर बाग तथा राजनयिक बस्ती में तीन मंजिले मकान बनाने की प्रार्थनाएं प्राप्त की हैं क्योंकि इन इलाकों में भूमि बड़ी महंगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० चं० रेड्डी):** (क) नई दिल्ली नगरपालिका ने सिफारिश की है कि दिल्ली में मकानों की कमी के कारण इन बस्तियों के भूमिधारियों को तीसरी मंजिल बनाने का अधिकार दे दिया जाय अर्थात् पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

नागा क्षेत्र में बाहर वालों की गतिविधियां

†१२६०. **श्रीमती रेणुका राय :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाहर वाले अब भी नागा क्षेत्र में दंगा फिसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं ; और

(ख) ऐसे लोगों की रोकथाम करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है।

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** (क) और (ख). सरकार के पास कोई जानकारी नहीं कि बाहर वाले नागा क्षेत्रों में दंगे कराने की कोशिश कर रहे हैं।

सीमा पर उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण आदिम जाति आंदोलन

†१२६१. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीफा की सीमा पर रहने वाले आदिवासी तिब्बत जाकर दैनिक आवश्यकता की चीजें लाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ऐसा करने से उन्हें रोका जाता है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) तथा (ख). सीमा वासी सामान्यतः आत्म निर्भर हैं। कुछ लोग व्यापार के लिये सीमा पार जाते रहे हैं। किन्तु उत्तरी सीमा के हालात के कारण इस चीज में कमी हो गयी है। प्रशासन ने उपभोक्ता सहकारी संस्थायें खोल कर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की है।

अश्रुगैस के गोले

†१२६२. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अश्रु गैस के गोलों के निर्माण करने वाले कारखाने की स्थापना के लिये अनुज्ञप्ति दे दी गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां तो किसे ;

(ग) क्या यह सच है कि स्वतन्त्रता के बाद उनकी जरूरत बढ़ गयी है; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नही श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

(ग) और (घ). पिछले कुछ वर्षों में अश्रु-गैस के गोलों की जरूरत बढ़ीं है । १९५५–५६ से लेकर अब तक मंगाये गये गोलों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	रुपये
१९५५–५६ . . .	६,६४,५५६
१९५६–५७ . . .	९,६१,३६३
१९५७–५८	४,१०,३६०
१९५८–५९ . . .	७,०७,७७०
१९५९–६०	११,६२,०८२
१९६०–६१ . .	१४,००,०००

उड़ीसा में गुड़िया बनाने का उद्योग

†१२६३. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही:** वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने गुड़िया बनाने के उद्योग के विकास की कोई योजना भेजीं है;

(ख) यदि हां, योजना किस प्रकार की है और उसके लिये कितनी रकम रखी गयी है; और

(ग) दूसरी योजना के दौरान इस उद्योग के लिये राज्यों को कितनीं सायता दी गयी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नही, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

(ग) १९५६–५७ से १९५९–६० तक इस उद्योग के विकास के लिये ४,३४,२९२ रुपये सहायता के तौर पर और ३२,२५० रुपये ऋण के रूप में दिय गये । १९६०–६१ सम्बन्धी वित्तीय सहायता चालू वित्त वर्ष के अन्त तक तय की जायगी और वह सहायता विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय के आधार पर तय होगी ।

इस्पात उद्योग के श्रमिकों के संघों द्वारा बाहर से धन की प्राप्ति

†१२६४. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग के एक श्रमिक संघ में अमेरिका के सामूहिक इस्पात श्रमिक संघ से कुछ धन प्राप्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना ?

†**प्रधान मंत्री तथा वदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) और (ख). सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारीं नही है ।

---

†मूल अंग्रेजीं में

संभरण और उत्सर्जन निदेशालय में धोके का मामला

†१२६५. श्री रघुनाथ सिंह: क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वह व्यक्ति जो "अफ्रीकी एशियाई परिषद्" तथा "भारतीय सहकारी संघ" का कोषाध्यक्ष है, निदेशालय को धोका देने के अपराध के लिये गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अपराध का ब्यौरा क्या है और कितनी रकम का मामला है।

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अखिल कु० चन्दा): (क) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उन्होंने मदनलाल सोटानी नामक एक व्यक्ति को इस अपराधा में पकड़ा है। हमें पता नहीं कि अफ्रीकी एशियाई परिषद् आदि के साथ उसका क्या सम्बन्ध है।

(ख) कलकत्ता की एक फर्म ने १९४६ में उत्सर्जन के सूती पैराशूट खरीदे। उन्होंने ४०,००० रुपये के बयाने की रकम को वापस लेने की प्रार्थना भी की जो एक तो २५,००० की रसीद से और दूसरे १५,००० की रसीद से दाखिल किये गये थे। गलतीं से लेखा अधिकारियों ने २५,००० रुपये सितम्बर, १९४७ में लौटा दिये और फिर अगस्त, १९४८ में ४०,००० रुपये की सारी रकम लौटा दी। इस प्रकार वह २५,००० रुपया ज्यादा दे बैठे। तब यह मामला पुलिस के हवाले कर दिया गया। मार्च, १९५७ से इस मामले की पड़ताल चल रहीं है। जुलाई १९५९ में पुलिस ने कहा कि श्री एम० एल० सोटानी ने फर्म के प्रतिनिधि की हैसियत से रुपया प्राप्त किया था। अभी तक पड़ताल हो हीं रहीं है।

साइकल बनाने के कारखाने

†१२६६. श्री दी०चं० शर्मा: क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में साइकल बनाने के कितने एकक हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ख) क्या सरकार ऐसे एककों पर आगे चल कर रोकथाम लगाना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(१) बड़े पैमाने के एकक

इस क्षेत्र में २१ एककों को स्वीकृति दी गयी है। ये एकक एक साल में एक पाली काम करके, १२,९७,५०० पूरे साइकल तैयार कर सकते हैं। इस समय बीस कारखाने पूरे साइकल बना रहे हैं और उनकी निर्धारित उत्पादन क्षमता ११,१७,५०० साइकल बनाने की है।

तीसरी योजना के मसविदे में २० लाख साइकलों का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि विद्यमान कारखाने ही दो पालीं काम से इतना उत्पादन कर सकते हैं अत : अभी नये कारखानों को नही खुलने दिया जा रहा।

---

†मूल अग्रेजीं में

(२) छोटे पैमाने का उद्योग

इस समय ऐसे १५१ एकक हैं। १९६० में इन्होंने लगभग १.४८ लाख साइकल तैयार किये।

तीसरी योजना के लिये ०.५ मिलियन साइकलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस क्षेत्र में एकक खोलने की रुकावट नहीं है। उद्योगों के विकास की दृष्टि से समय-समय पर इनकी स्थापना के लिये स्वीकृति दी जाएगी।

कम्पनी बनाने में विलम्ब

†१२६७. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी बनाने में इस कारण विलम्ब हो जाता है कि उससे पूर्व प्रास्पैक्ट्स की स्वीकृति, पूंजी जारी करने के लिये स्वीकृति और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन अनुज्ञप्ति लेने में ही बड़ी देर लग जाती है ;

(ख) यदि हां, तो वह मुख्य पहलू कौन से हैं जिनके निगमन के बारे में सरकार आग्रह करती है; और

(ग) विभिन्न प्रक्रियाओं को शीघ्र कराने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). पूंजी जारी करने की अनुमति के लिये जिन चीजों पर आग्रह किया जाता है वे हैं अधिकृत, प्रदत्त और चुकता पूंजी की रकम और, व्यापार का ब्यौरा तथा इसके अलावा निदेशकों, प्रबन्धकों, उनके कम्पनी में हितों हिस्सों के वितरण, विदेशी सहायता का विवरण आदि के बारे में भीं जानकारी प्राप्त की जाती है। यह भी जाना जाता है कि क्या अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति ली गयी है ? अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति देने से पहले, योजना का ब्यौरा विदेशी सहयोग की शर्तों, श्रमिकों की संख्या, संयंत्र आदि का मूल्य, कच्चे माल के संसाधनों आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है।

आवेदनों का पुनरीक्षण सामान्य प्रक्रिया के अनुसार शीघ्रता से किया जाता है ताकि आवेदनों का निबटारा शीघ्र ही हो जाये।

पंखे

†१२६८. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८, १९५९ और १९६० में कुल कितने छत के पंखे और कितने मेजी पंखे बने ;

(ख) कितने बाहर भेजे गये; और

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९५८, १९५९ तथा १९६० के दौरान विकास विंग की सूची के अनुसार विभिन्न फर्मों ने इतने-इतने पंखे बनाये :—

पंखों की किस्म	१९५८	१९५९	१९६०
छत के पंखे	४,१९,३७०	४८७,३१९	५८३,७७३
मेजी पंखे	१७०,७३०	१६४,४६४	३२०,२६०

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये निर्यात किये गये :

छत के पंखे	१८,२३६	३६,८७३	५४,०३६
मेजी पंखे	२,९३७	७,३६३	१९,६९८

(ग) छतों और मेजी पंखों की अलग-अलग आमदनी ज्ञात नहीं है।

किन्तु सामूहिक रूप से पंखों, नियमाकों और उनके पुर्जों से जो आमदनी हुई उसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

१९५८	रुपये	२३.२३ लाख
१९५९	रुपये	३८.७४ लाख
१९६०	रुपये	८९ लाख

उद्योगों का केन्द्रीयकरण

†१२६९. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उद्योगों का प्रबन्ध कुछ एक गिने चुने उपक्रमियों के हाथों में ही न रहे, इस प्रवृत्ति की रोकथाम करने के लिए अनुज्ञप्तियां देने की खातिर क्या सरकार ने मध्य-आय के उपक्रमियों की एक सूची बनाई है; और

(ख) इस प्रवृत्ति को रोकने के दूसरे कौन-कौन से उपाय किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अनुज्ञप्तियां देते समय सदा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि आर्थिक सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में संचित न हो। नये उपक्रमियों को बराबर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस चीज को उद्योग (विनियमन तथा विकार) अधिनियम, १९५१ के अधीन बनी सूची से देखा जा सकता है जो उद्योग व्यापार पत्रिका में समय-समय पर छपती रहती है। सभी प्रकार के उद्योगों की स्थापना में नये उपक्रमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत और भूटान के बीच सम्पर्क मार्ग (लिंक रोड)

†१२७०. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूटान में भारतीय सहायता से कितने सम्पर्क मार्ग बनाये जायेंगे ; और

(ख) योजना पर कितनी लागत आएगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) निम्न सड़कों को बनाने का विचार है :—

१. जयगांव से पारो तक
२. दरंगा से ताशीगंग तक
३. सर्भंग से वंदीकोदरंग तक
४. हाथीसर से तोंग्सा तक

(ख) अनुमानित लागत १५ करोड़ रुपया होगी जिसे भारत सरकार करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूटान में रेडियो स्टेशन

†१२७१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सहायता से भूटानी क्षेत्र में रेडियो स्टेशन स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना पर कितनी लागत आएगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

कास्टिक सोडा और सोडा ऐश

१२७२. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने गत वर्ष से कास्टिक सोडा और सोडा क्षार (एश) का भी आयात शुरू कर दिया है ; और

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि राज्य व्यापार निगम की इस नीति का देश में कास्टिक सोडा और सोडा एश के निर्माण तथा वितरण पर बुरा प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । राज्य सरकार व्यापार निगम इन रसायनिक पदार्थों का १९५६ से आयात कर रहा है ।

(ख) जी, नहीं ।

कांच उद्योग के लिये हेवी सोडा ऐश की कमी

†१२७३. **श्री लै० अचौ० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कांच उद्योग को भारी सोडा ऐश की बड़ी कमी रही है जो कांच के लिए एक कच्चे माल की तरह है और इस कारण कांच के उत्पादन पर भी बड़ा प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनभाई शाह)** : (क) और (ख). कांच उद्योग को सोडे की कमी पिछले साल तो न रही । कांच का उत्पादन १९५९ में २,१२,००० टन था मगर १९६० में बढ़कर २,२३,००० टन हो गया । नवम्बर-दिसम्बर १९६० में फीरोजाबाद के उद्योग के लिए सोडे की अस्थायी कमी रही और कमी ज्यादा मांग के कारण थी ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी

†१२७४. **श्री तगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और सभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी, जो भारत से प्रशासित होते हैं तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों जो सिक्कम में नियुक्त हुए हैं, उन्हें प्रतिकर भत्ता दिया जाता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय रूप से नियुक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के, कर्मभारित कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को जिनकी सिक्किम में नियुक्ति हुई है, प्रतिकर भत्ता दिया जाता है ;

(ग) क्या यह सच है कि चिमी पाइंट और पश्चिमी बंगाल के रेंज सस्पेंशन पुल के बीच जो कि सिक्किम की सीमा के पास है, सड़कों के संधारण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को नियुक्त किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इन कर्मचारियों को कुछ प्रतिकर भत्ता दिया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या इन्हें प्रतिकरात्मक भत्ता देने का कोई प्रस्ताव है ।

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री क० चं० रेड्डी)** :

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं । उन्हें सामान्य मंहगाई भत्ता दिया जाता है जो अन्य कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है ।

(ङ) कर्मचारियों को कुछ भत्ता देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'ई' डिवीजन के कमभारित कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†१२७५. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के (ङ) खंड के स्थायी रूप से रखे गये कितने कर्मचारियों को सेवानगर में क्वार्टर मिले हैं;

(ख) क्या उनसे सफाई शुल्क भी लिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनसे यह शुल्क क्यों लिया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) छः ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

उर्वरक

१२७६. { **श्री खुशवक्त राय** ;
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ ;

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में (वर्षवार) देश को कितने **उर्वरक** की आवश्यकता होगी ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रति वर्ष देश में कितना उर्वरक तैयार होगा ; और

(ग) इस की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) से (ग). तीसरी योजना में उत्पादन का लक्ष्य प्रति वर्ष १० लाख टन नाइट्रोजन युक्त तथा ४–५ लाख टन फासफेट युक्त उर्वरक रखने का विचार है। आवश्यकता और उत्पादन का वर्षों के अनुसार व्योरा देना सम्भव नहीं है। उर्वरकों की खपत और उत्पादन का अनुमान साथ के विवरण में दिया गया है। खपत और उत्पादन के बीच की कमी को जहां तक सम्भव होगा आयात द्वारा पूरा करने का प्रस्ताव है।

(हजार टनों में)

वर्ष	अनुमानित खपत		अनुमानित उत्पादन	
	नाइट्रोजन युक्त	फासफेट युक्त	नाइट्रोजन युक्त	फासफेट युक्त
१९६१-६२	४१०	१००	१६५	१००
१९६२-६३	५००	१६०	२१०	१६०
१९६३-६४	६००	२४०	३२०	२४०
१९६४-६५	८५०	३२०	५७०	३२०
१९६५-६६	१०००	४००	८५०	४००

मर्सेडीज-बैंज कारों के लिये आयात लाइसेंस

†१२७७. **श्री अरविंद घोषाल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या किसी व्यक्ति ने सरकार से जन्म दिन के उपलक्ष्य के रूप में पश्चिमी जर्मनी से मर्सेडीज-बैंज कार लाने की अनुज्ञप्ति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो प्रार्थी का क्या नाम है और क्या उसे इसकी अनुमति दी गई ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) और (ख). पश्चिमी जर्मनी से, जन्म दिन के उपाहर के रूप में मर्सेडीज बैंज कार मंगाने के सम्बन्ध में कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य कदाचित् उस सी० सी० पी० का जिक्र कर रहे हैं जोकि कुछ समय पूर्व श्रीमती कृष्णा हाथीसिंह के नाम जारी किया गया था। वह निम्न बातों की ओर ध्यान देते हुए जारी किया गया था।

(१) सी० सी० पी० श्री हथीसिंह को १९५६ में जारी किया गया था। उसका तब से कोई उपयोग नहीं किया गया।

(२) उक्त कार के सम्बन्ध में कोई विदेशी मुद्रा व्यय नहीं करनी पड़ी। आयात करने के पूर्व उक्त कार का उपयोग उन्हों ने तथा उन के पुत्र ने लंडन तथा यूरोप में छह मही कर लिया था।

†मूल अंग्रेजी में

छोटी टरबाइनों का उत्पादन

†१२७८. पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छोटी टरबाइनों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ;

(ख) वे कारखानों से तैयार हो कर कब तक निकलने लगेंगे ; और

(ग) उनकी क्या लागत आयेगी और वे कितनी बिजली तैयार करेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). विवरण संग्लन है।

विवरण

(क) से (ग) जी नहीं। तथापि भोपाल का बिजली के भारी उपकरणों का कारखाना अभी हाल बड़े जल विद्युतीय और वाष्प के टरबाइन बनाने का विचार कर रहा है जो क्रमशः ५ मेगावाट से १५० मेगावाट और ३० मेगावाट से ६० मेगावाट तक होंगे। कारखाना टरबाइनों के निर्माण का कार्य १९६२-६३ से आरम्भ करेगा और तैयार माल की निकासी १९६४-६५ तक होने लगेगी। अनुमान है कि उत्पादन एकक की लागत मोटे तौर पर १०० रु० प्रति किलोवाट बैठेगी। विद्युत् उत्पादन की मात्रा उत्पादक स्टेशन के आकार और स्वरूप पर निर्भर करेगी।

रानी एलिजाबेथ के आगमन पर आकाशवाणी द्वारा आंखों देखा हाल

†१२७९. श्री अ० मू० तारिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रानी एलिजाबेथ के आगमन पर आकाशवाणी द्वारा जो आंखों देखा हाल प्रसारित किया गया था या प्रैस सूचना विभाग द्वारा निमंत्रित पत्रकारों को जो पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी दी गई थी उस में भारत के अंग्रेज़ी शासकों, विशेषतः वाइसरायों और जार्ज पंचम के सम्बन्ध में प्रशंसा की गई थी।

(ख) पृष्ठभूमि सम्बंधी नोटों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा की गई प्रगति और सफलताओं का कोई दिग्दर्शन नहीं करवाया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). जी नहीं। आंखों देखे हाल के प्रसारण के सम्बन्ध में एक प्रलेख कार्यक्रम प्रसारित किया गया था जिसमें ऐतिहासिक तथ्यों के रूपमें ब्रिटिश राज परिवार द्वारा भारत की पहिली यात्रा का उल्लेख किया गया था। प्रैस सूचना विभाग द्वारा जो पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी प्रेषित की गई थी उसमें विभिन्न समारोहों के मुख्य पहलुओं, रानी की यात्रा से सम्बन्धित स्थानों, संस्थाओं और समारोहों का महत्व, ऐतिहासिक तथा स्थापत्यकला संबंधी महत्व दिखलाया गया था। इनका उद्देश्य यात्रा सम्बन्धी समाचार देने वाले पत्र संवाददाताओं के कार्य में सुविधा पहुंचाना था विशेषतः उनको जो विदेशों से आये हुऐ थे। अतः योजना तथा प्रगति सम्बन्धी बातों के उल्लेख करने का कोई अवसर नहीं था। जिन विषयों पर पृष्ठ भूमि संबंधी नोट तैयार किये गये थे वे यात्रा से सम्बन्ध रखते हैं, तथा उस में राष्ट्रीय गान, राजघाट, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, रामलीला, खादी तथा ग्रामोद्योग, घरेलू उद्योग, राष्ट्रीय छात्र सेना, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था इत्यादि।

†मूल अंग्रेजी में

एक जहाज के भारतीय कैप्टेन का कराची में मुकदमा

†१२८०. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री स० अ० मेहदी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक भारतीय जहाज के कैप्टन पर, माल जमा करने का स्थान घोषित न करने के कारण मुकदमा चलाया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

सिन्धिया स्टीमशिप कम्पनी के जहाज, सरस्वती के कैप्टन उमरीगर पर कराची न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा रहा है ;

हम कराची के भारतीय उच्चायुक्त ने स्टीमशिप कम्पनी के स्थानीय कार्यालय को विधि संबंधी सहायता दी है । तथा वे इस मामले पर कड़ी निगाह रखे हुए हैं ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनायें

†१२८१. श्री कालिका सिंह :
श्री सरजू पांडेय :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ५ दिसम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी योजनायें क्रियान्वित की गई हैं, तथा कितनी योजनायें स्वीकृत हैं तथापि क्रियान्वित नहीं की गई हैं ;

(ख) पूर्वी उत्तर प्रदेश की वे औद्योगिक परियोजनायें, चाहे वे योजना के भीतर हैं या बाहर, कौन सी हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है तथा वे कौन सी हैं जो तीसरी परियोजना में शामिल की जायेंगी, ; और

(ग) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश में चीनी और सूत कातने के कारखानों की भी स्थापना की जा रही है यदि हां तो कहां ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८].

गणतंत्र दिवस के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का सन्देश

†१२८२. श्री कालिका सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर प्रधान मंत्री से कोई सन्देश क्यों प्राप्त और प्रसारित क्यों नहीं किया गया ;

(ख) मास्को रेडियो ने प्रधान मंत्री का सन्देश को प्रसारित किया गया तथा आकाशवाणी ने उसे ही प्रधान मंत्री के सन्देश के रूप में प्रसारण कार्यक्रम में शामिल किया ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा नव वर्ष के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के सन्देशों के सम्बन्ध में कौन सी प्रथा सही रूप से विकसित हुई हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा०केसकर): (क) से (ग). प्रथा यह है कि गणतंत्र दिवस के पहिले दिन, राष्ट्रपति राष्ट्र को अपना सन्देश प्रसारित करते हैं। जबकि स्वतंत्रता दिवस पर, ध्वजा-रोहण समारोह के अवसर पर दिया गया प्रधान मंत्री का भाषण आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जाता है। नव वर्ष के दिन कोई विशेष सन्देश प्रसारित नहीं किया जाता है।

(ख) मास्को रेडियो ने गणतंत्र दिवस की पहली संध्या को प्रधान मंत्री की एक पत्रकार से भेंट का वृत्तान्त प्रसारित किया था। पी० टी० आई० द्वारा लिया गया यही संवाद, सामान्य समाचारों के बुलेटिन में शामिल किया गया।

चेकोस्लोवेकिया के सहयोग से मोटर साइकिलों का निर्माण

†१२८३. **श्री प्र० के० देव :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चेकोस्लोवेकिया के सहयोग से बंगलौर में मोटर साइकिलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) चेकोस्लावकिया के सहकार से मैसूर में मोटर साइकिलों के निर्माण का एक प्रस्ताव है। मैसर्स आइडियल मोटर्स को उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, १९५१ के अधीन मैसूर में जावा मोटर साइकिलों के निर्माण के लिये एक औद्योगिक उपक्रम की स्थापना का लायसेंस दिया गया है। इस फर्म ने चेकोस्लावेकिया की एक फर्म से मोटर साइकिलों के निर्माण के लिये समझौता कर दिया है।

जहां तक सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तों का सम्बन्ध है, वे दोनों पक्षों के बीच हुए हैं अतः गोपनीय प्रकार के हैं, इस कारण उन्हें प्रगट नहीं किया जा सकता है।

रानी एलिजाबेथ के संवाददाता सम्मेलन से भारतीय पत्रकारों को अलग रखना

†१२८४. **श्री होरटकर :**
श्री मुहम्मद इलयास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ, उस की पाकिस्तान की यात्रा के दौरान हुए एक संवाददाता सम्मेलन के अवसर पर, भारतीय संवाददाताओं को उस में भाग नहीं लेने दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने, भारतीय राष्ट्रिकों के प्रति किये गये पाकिस्तान की सरकार द्वारा विभेदपूर्ण व्यवहार के प्रति कोई अभ्यावेदन दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सरकार को रानी एलीजाबेथ द्वारा पाकिस्तान में की गई किसी प्रैस कान्फ्रेंस का पता नहीं है । तथापि पाकिस्तान के प्रेसीडेंट के आवास पर २ फरवरी को एक समारोह हुआ था जिस में रानी तथा ड्यूक आफ एडिनवर्ग प्रैस प्रतिनिधियों से मिले । भारतीय पत्रकारों को इस समारोह में नहीं बुलाया गया था ।

(ख) जी नहीं ।

त्रिपुरा प्रशासन द्वारा विज्ञापन पर व्यय

†१२८५. **श्री दशरथ देव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६०, और १९६०–६१ में विज्ञापन शीर्षक के अधीन त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद तथा त्रिपुरा प्रशासन ने कितना व्यय किया ;

(ख) किन स्थानीय समाचार पत्रों को इस कार्य के लिये उपयोग किया गया तथा किन पत्रों को पृथक रखा गया ;

(ग) वर्ष १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१ में क्रमश: त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद, तथा त्रिपुरा प्रशासन द्वारा जिन समाचार पत्रों का उपयोग किया गया उनको विज्ञापनों का कितना कितना अंश मिला ?

(घ) कुछ स्थानीय समाचार पत्रों को क्यों पृथक रखा गया ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है, उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में असिस्टेंट के लिये समाज कार्य में प्रशिक्षण

†१२८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय के बहुत से असिस्टेंट समान कार्य और श्रम विधियों के क्षेत्र में कुछ विशेष प्रशिक्षण लेना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो आंशिक समय के पाठ्यक्रम की सुविधायें देने पर इनमें से कितने व्यक्ति प्रशिक्षण लेना चाहेंगे ; और

(ग) यदि अपेक्षित संख्या में व्यक्ति डिप्लोमा पाठ्यक्र लेने को उपलब्ध हो तो क्या सरकार, दिल्ली में उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगी जिससे उन विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त की जा सके ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). केवल एक असिस्टेंट ने अभी हाल आवेदन किया था ।

(ग) सचिवालय में एसिस्टेंटों के समान कार्य पर विचार करते हुए इसे आवश्यक नहीं समझा गया ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में असिस्टेंटों के लिये समाज सेवा में अल्प सेवा पाठ्यक्रम

†१२८७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) श्रम और रोजगार मंत्रालय में ऐसे कितने एसिस्टेंट हैं जो इस ग्रेड में सात वर्ष से अधिक सेवा कर चुके हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनमें से कितने अर्थशास्त्र में, और कितनों के पास समाज विज्ञान सम्बन्धी विषयों स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं ;

(ग) भाग (ख) के अधीन कितने व्यक्ति ३५ वर्ष से कम की आयु के हैं, तथा वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के अल्प सेवा पाठ्यक्रम तथा इसी प्रकार के अन्य पाठ्यक्रमों को प्राप्त करने के योग्य हैं ; और

(घ) क्या सचिवालय के सामान्य कार्यों के एक अंश के रूप में उन्हें किन विषयों से काम पड़ता है, उनके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये, उनको जत्थों में प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) अड़तीस ।

(ख) बारह ।

(ग) और (घ). दो असिस्टेंट ३५ वर्ष से कम आयु के हैं। किसी समान सेवा पाठ्यक्रम के लिये एसिस्टेंटों की उपयुक्तता का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि इस प्रशिक्षण का उनके सचिवलय के काम से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पसटसन के बोरों की खरीद

†१२८८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभर** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा जून और दिसम्बर, १९६० के बीच कितने नये पटसन के थैले खरीदे गये ; और

(ख) क्या सरकार ने पुराने अथवा मरम्मत किये गये थैलों को खरीदने की सम्भावना पर विचार किया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) ३६३ लाख थैले ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है । सामान्यतः सरकार द्वारा पुराने माल की खरीद नहीं की जाती है । क्योंकि वह माल स्तर का नहीं होता है और उसका मल्यांकन करने व उनका निरीक्षण करने में बहुत कठिनाई होती है ।

डीजल ट्रक इंजनों का निर्माण

†१२८९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ मोटर गाड़ियों के कारखानों को अपने डीजल ट्रक के इंजिन स्वयं बनाने की इजाजत दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड उत्तरपाड़ा, पश्चिम बंगाल, और मैसर्स प्राइमर औटोमोबाइल लिमिटेड बम्बई, दोनों ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९५१ के अधीन अपने चैसिस में जिसके निर्माण की अनुमति

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्हें इस अधिनियम के अधीन मिली है, अपने पसन्द का स्वचालित इंजिन के निर्माण का आवेदन किया है । सरकार सिद्धान्ततः इन निर्माताओं को अपने डिजिल इंजिन बनाने की अनुमति देने के लिये तैयार हो गई है ।

दिल्ली में अध्यापकों के लिये मकान

†१२९०. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने, केन्द्रीय निर्माण, आवास और संभरण मत्रालय से अध्यापकों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये जमीन देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक उत्पादन

†१२९१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार ने निर्माण एककों के उत्पादन में, अनुज्ञप्त उत्पादन से भी अधिक को अनुमति देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, आगामी वर्षों में इस निश्चय के परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के रूप में उत्पादन पर अब भी किसी प्रकार की सीमा लागू होती है, यदि हां, तो वह क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह))** : (क) देश में औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने, तथा स्वदेशी मशीनों और कच्चे माल के बढ़ते हुए उपयोग के लिये, अभी हाल यह निश्चय किया गया कि वे निर्माण एकक जिन्हें उत्पादन के लिये विदेशी मुद्रा दी गई है, वे, यदि अग्रेत्तर मशीनों और कच्चे माल का आयात किये बिना, स्वदेशी मशीनों और कच्चे माल से अपना उत्पादन बढ़ा सकें तो वे अपना उत्पादन अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक बढ़ा सकते हैं । जब ये एकक अपना उत्पादन अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक बढ़ा लेते हैं तो आवश्यक होने पर उनकी अनुज्ञप्त क्षमता बढ़ा दी जाती है ।

(ख) इस निश्चय से जो उत्पादन वृद्धि होगी उसका अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

(ग) विभिन्न उद्योगपतियों को मिलने वाला विदेशी विनिमय उत्पादों की अनिवार्यता, राष्ट्रीय महत्व, निर्यात संभावनायें तथा भुगतान की शर्तें इत्यादि पर निर्भर करता है । भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए किसी कारखानों को विदेशी मुद्रा के आवंटन से उसके उत्पादन पर कोई रोक नहीं लगती है ।

पानीपत में कागज मिल

†१२९२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पानीपत में एक कागज मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). गन्ने की खोई को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करके प्रति वर्ष ३०,००० टन कागज और गूदा तैयार करने के लिये २० फरवरी, १९६१ को मेसर्ज़ बेदी एण्ड कम्पनी (प्रायवेट) लिमिटेड, बंगलौर को पानीपत (पंजाब) में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया है। भारतीय सार्थ का एक अमरीकी सार्थ के साथ विदेशी सहयोग के लिये करार करने का इरादा है जिसकी शर्तें अभी पक्षों द्वारा तैयार की जानी और सरकार द्वारा उसको अनुमोदित किया जाना बाकी है।

आसाम में उर्वरक कारखाना

†**१२९३. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सहायता से लगायी जाने वाली प्राथमिक परियोजनाओं में १० लाख पौंड का उर्वरक कारखाना भी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कारखाना आसाम में लगाया जायेगा ;

(ग) इसमें उत्पादन कब आरम्भ होगा ; और

(घ) क्या स्थान चुन लिया गया है और यदि नहीं, तो यह कार्य कब किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). नहरकटिया (आसाम) में एक उर्वरक कारखाना लगाने का प्रस्ताव है। विदेशी मुद्रा की लागत में धन लगाने के बारे में अन्तिम रूप से अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर

†**१२९४. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर और पूर्व जर्मनी के बीच हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के विस्तार और विकास की योजनाओं में सहयोग देने के बारे में कोई समझौता किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के अधीन क्या विस्तार और विकास किया जायेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जर्मन जनवादी गणतंत्र ने सरकारी क्षेत्र में एक नया मशीनी औजार कारखाना लगाने में सहयोग देने का प्रस्ताव किया है। सहयोग की शर्तों के बारे में समझौते का प्रारूप तैयार किया गया है। इस समझौते पर भारतीय शिष्टमण्डल के लेपज़िक मेले का दौरा करने के बाद जहां शिष्टमंडल जनवादी गणतंत्र के मशीनी और जार उद्योग के उत्पादों और कार्यकरण को देखेगा, पूर्व जर्मनी में हस्ताक्षर किये जायेंगे। समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी जावेंगी। शिष्ट मण्डल जर्मन जनवादी गणतंत्र के सहयोग से नये भारतीय कारखाने में उत्पादन किये जाने वाले उपकरणों का चुनाव भी करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

जापान में भारतीय दूतावास भवन

†१२९५. **श्री रा० चं०शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टोकियो में भारतीय दूतावास भवन के निर्माण के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं जब कि भूमि अर्जित किये कई वर्ष हो गये हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ११,४७,१५८ रु० ।

(ख) जमीन तो १९५६ में ले ली गई थी लेकिन निर्माण-कार्य इसलिए जल्दी शुरू नहीं किया जा सका कि लागत ज्यादा बैठती थी और विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां थीं ।

नीलाम खरीदारों को विक्रय प्रमाणपत्र

†१२९६. **श्री शिवदत्त उपाध्याय** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेम नगर, देहरादून में सरकार-द्वारा निर्मित सम्पत्ति के नीलाम खरीदारों को विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के मामले में क्या प्रगति की गयी है जिस में बस्ती के लिये नक्शे की अनुपस्थिति के कारण विलम्ब हो गया है ; और

(ख) सभी विक्रय-प्रमाणपत्र किस तिथि तक जारी कर दिये जायेंगे ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). बस्ती का नक्शा उपलब्ध है। तथापि, उस बस्ती में सरकार द्वारा निर्मित सम्पत्ति के लाइन नक्शे छापे जा रहे थे। कुछ क्षत्रों के बारे में ये छप चुके हैं। अन्यों के लिये इनके जल्दी ही छप जाने की आशा है। यह आशा की जाती है कि उसके बाद शीघ्र ही विक्रय प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जायेंगे ।

भारतीय विदेश सेवा (ख)

†१२९७. { **श्री जगदीश अवस्थी** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा (ख) में छुट्टी के लिये रक्षित पदों समेत सामान्य पदावली में द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में पृथक-पृथक कितने मंजूर शुदा पद हैं ;

(ख) उन पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कितने पदाधिकारी पृथक-पृथक काम कर रहे हैं ;

(ग) उपरोक्त भाग (क) में मंजूर-शुदा पदों पर पृथक-पृथक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के और गैर-भारतीय विदेश सेवा (ख) के द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कितने पदाधिकारी काम कर रहे हैं;

(घ) भारततीय विदेश सेवा (ख) के द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के कितने पदाधिकारी एक्स-कैडर पदों पर कार्य कर रहे हैं और उनका पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ङ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित मंजूर-शुदा पदों में से कितने पद अभी खाली पड़े हैं और उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ङ). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९]**.

काफी हाउसों के बन्द होने के कारण बेरोजगारी

*१२९८. **श्री पद्म देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १३ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काफी बोर्ड द्वारा चलाये जाने वाले काफी हाउसों के बन्द होने के फलस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गये थे और उनमें से कितनों को अभी तक आजीविका का साधन नही जुटाया जा सका है ; और

(ख) क्या सरकार इन व्यक्तियों को कहीं खपाने का प्रयत्न कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ६५२, जिसमें से ७४ को फिर काम पर लगाया जा चुका है । बे रोजगार हुये कुछ कमचारियों ने अपने सहकारी काफी हाउस खोल लिये हैं और उनमें काम कर रहे हैं । जिन व्यक्तियों की आजीविका का कोई साधन नही है उनकी संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जैसे-जैसे स्थान खाली होते जा रहे हैं काफी बोर्ड बेरोजगार हुये व्यक्तियों को खपाने का प्रयत्न कर रहा है। बोर्ड की नौकरी में इन व्यक्तियों की वरिष्ठता का जो क्रम है उसी के अनुसार उन्हें खपाया जा रहा है ।

पूना में आसवनशाला[1]

†१२९९. **श्री गु० के० जेधे** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूना जिले में सहकारी चीनी कारखानों के शीरे को इस्तेमाल करने के लिये सरकार ने पूना जिले में अथवा महाराष्ट्र राज्य में किसी स्थान पर एक आसवनशाला लगाने के लिये एक-गैर-सरकारी सार्थ को अनुज्ञा प्रदान की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित गैर-सरकारी सार्थ का क्या नाम है और यह कारखाना किस स्थान पर लगाया जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो सरकार उन कारखानों के शीरे का किस प्रकार उपयोग करेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्ज़ पोलीकेम लिमिटेड, बम्बई को पूना जिले में नीरा में १०/१५ लाख गैलन प्रतिवर्ष औद्योगिक मद्यसार बनाने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है । मेसर्ज़ वालचन्दनगर इन्डस्ट्रीज़, वालचन्द नगर द्वारा उस जिले में १० लाख गैलन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली एक रसायन शाला लगायी जा चुकी है । जब पूना जिले में इन दो रसायनशालाओं में पूर्ण रूप से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा तो यह आशा की जाती है कि वे उस क्षेत्र में उपलब्ध शीरे को खपा लेंगी ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Distillery.

मनीपुर का प्रौद्योगिक-आर्थिक सर्वेक्षण

†१३००. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २१ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक गवेषणा परिषद् से मनीपुर के प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में रिपोर्ट मिल गई है ; और

(ख) क्या यह सभा पटल पर रखी जावेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). यह रिर्पोट गृह-कार्य मंत्रालय में मिल गयीं है और छप जाने पर यह सभा पटल पर रखी जावेगी ।

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार

†१३०१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने कीं कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायपुर को जगदलपुर से मिलाने वाली राष्ट्रीय राजपथ संख्या ४३ के एक बड़े भाग का संधारण-कार्य दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने संभाल लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने यह कार्य कब संभाला और इसके क्या कारण है ; और और

(ग) क्या इस सड़क की क्षत अवस्था के बारे में प्राधिकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां ।

(ख) दण्डकारण्य में बसने वालों को काम देने के ख्याल से १ नवम्बर, १९५९ से ।

(ग) हमें कोई शिकायत नही मिली है परन्तु दण्डकारण्य विकास प्रधिकार से इस बारे में पूछा गया है कि क्या उन्हे कोई शिकायत मिली है ।

स्थगन प्रस्ताव

सिमलाबहल और बदरुचुक कोयला खानों में दुर्घटनायें

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री सा० मा० बनर्जी ने झरिया के निकट बदरुचुक कोयला खान में ५ मार्च, १९६१ को और सिमलाबहल कोयला खान में पिछले सोमवार को हुई दुर्घटनाओं, जिनमें क्रमश: ५ और ४ मजदूरों की मृत्यु हो गई है, के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : (वाराणसी) : मैंने भी इसके सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न की पूर्व सूचना दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अल्पसूचना प्रश्न के लिये माननीय मंत्री की सहमति जरूरी है । स्थगन प्रस्तावों के बारे में यदि मैं जरूरी समझता हूं कि सभा और देश की जनता को उसकी जानकारी होनी चाहिये तो मैं उसे सभा के सामने रख देता हूं । इन दुर्घटनाओं के फलस्वरूप ९ व्यक्ति अपनी जान खो बैठे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसी सम्बन्ध में एक ध्यान दिलाने के प्रस्ताव की ओर एक अल्पसूचना प्रश्न की पूर्व-सूचना भी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : समाचार पत्रों के समाचार के अनुसार, पिछले सोमवार को सिमलाबहल कोयला खान की छत गिरने से ४ खनिकों की मृत्यु हो गई है । उनके शव बुधवार को निकाले गये थे ।

समाचार के अनुसार, झरिया में एक दूसरी दुर्घटना के फलस्वरूप ५ मजदूरों की मृत्यु हुई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जब मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दूंगा तभी माननीय सदस्य इस प्रकार पूरा भाषण दे सकते हैं । अभी तो मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री हमें दुर्घटनाके बारे में तथ्य बतायें ।

†**योजना और श्रम तथा रोजगार उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि सिमलाबहल और बदरुचुक कोयला खानों में दुर्घटनायें हुई हैं ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : स्थगन-प्रस्तावों के लिये हमें एक उक्ति प्रथा बनानी चाहिये । यह सही प्रक्रिया नहीं है कि स्थगन प्रस्ताव पर प्रस्तावक का भाषण हो और मन्त्री उसका उत्तर दें, उस स्थगन प्रस्ताव को अध्यक्ष की अनुमति मिले बगैर ही पहले आपको निर्णय करना चाहिये कि किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जा रही है, या नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुमति दी जा सकती है, या उससे इंकार किया जा सकता है जब यह निश्चित कर लिया जाये कि वह मामला अविलम्बनीय भी है और लोक-महत्व का भी । इन दुर्घटनाओं में ९ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है । मैं जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है । उसके बाद ही अनुमति देने या न देने का निर्णय किया जा सकता है । यदि प्रस्तावक के आरोपों में कोई सार नहीं होगा तो मैं अनुमति नहीं दूंगा । आगे भी हम यही प्रक्रिया अपनाते रहेंगे ।

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : पहली दुर्घटना २७ फरवरी, १९६१ और दूसरी ५ मार्च, १९६१ को हुई थी ।

सिमलाबहल कोयला खान में चार मजदूर खान के एक खम्भे के एक भाग को तराश रहे थे उसी समय, दस बजे रात को छः फीट की ऊंचाई से छत का एक हिस्सा धसक पड़ा, जिससे उन चारों की मृत्यु वहीं उसी दम हो गई थी । एक घण्टे के अन्दर ही, खान उप मुख्य निरीक्षक, प्रादेशिक निरीक्षक के साथ घटना स्थल पर पहुंच गये थे । निरीक्षक अधिकारियों की देखरेख में उन चारों मजदूरों के शव दो बजे सुबह से पहले-पहले निकाल लिय गये थे । प्रबन्धकों की ओर से मृत व्यक्तियों के परिवारों में से प्रत्येक को प्रसादतः २५० रुपये दिये जा रहे हैं ।

प्रारम्भिक जांच पड़ताल से पता चला है कि दुर्घटना का कारण यह था कि उस छत को सम्भालने के लिये वे खम्भे पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि छत के नीचे की दालान बहुत ज्यादा चौड़ी कर ली गई थी । यह कोयला खान विनियम, १९५७ की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है और इसलिये इसका दायित्व प्रबन्धकों पर है । उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी ।

बदरुचुक खान में ५ मार्च, १९६१ को साढ़े चार बजे सुबह दुर्घटना हुई थी । खान अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक, उपमुख्य निरीक्षक और प्रादेशिक निरीक्षक घटना-स्थल पर साढ़े आठ बजे पहुंच गये

---

†मूल अंग्रेजी में

थे। उन्होंने मजदूरों के सहायता पहुंचाने के काम में हाथ बंटाया। वह दुर्घटना भी छत गिरने के कारण हुई थी। दुर्घटना उस समय हुई जब खनिकों का एक दल खम्भे को काट कर जगह चौड़ी करने की कोशिश में था। पहली बार ३० फुट की ऊंचाई से छत धसक पड़ी। उनको बचाने की कोशिश चल ही रही थी कि दूसरी छत भी धसक पड़ी। उस दुर्घटना में पांच मजदूरों की मृत्यु हुई और चार को गम्भीर चोटें आईं।

इस दुर्घटना की भी प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि नियमों के अनुसार छत को पर्याप्त ढंग से सहारा देने के लिये लकड़ी के लट्ठे नहीं लगाये गये थे। इसलिये प्रबन्धकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

सिमलाबहल खान में लगभग ६० और बदरुचुक खान में १२७४ मजदूर काम पर थे। इन दुर्घटनाओं के कारण किसी भी मजदूर की रोज़ी नहीं गई, और न ही उत्पादन में कोई कमी आई है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : उपमन्त्री ने कहा है कि खान निरीक्षणालय प्रबन्धकों की जिम्मेदारी कहां तक है यह निश्चित करने के लिये जांच कर रहे हैं, लेकिन निरीक्षणालय की जिम्मेदारी तय करने के लिये क्या किया जायेगा ? निरीक्षणालय के अधिकारियों को देखना चाहिये था कि छतों के लिये पर्याप्त सहारा नहीं दिया गया था।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : खान निरीक्षणालय के अधिकारी नियमित रूप से उसकी जांच करते रहते हैं, और उस जांच का रिकार्ड रहता है। इन दुर्घटनाओं के लिये प्रबन्धक ही जिम्मेदार हैं। और निरीक्षणालय का प्रतिवेदन भी आने वाला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि छत का सहारा कमजोर होने की बात निरीक्षणालय ने पहले क्यों नहीं देखी ये दुर्घटनायें हुईं कैसे ? दोनों दुर्घटनाओं में समय और स्थान का कितना अन्तर था ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : दोनों दुर्घटनाएं छत गिरने के कारण हुई थीं। दोनों दो अलग-अलग खानें हैं, अलग-अलग दो क्षेत्रों की।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** (खम्मम) : ३० फीट ऊंची छत रखने के लिये खान मुख्य निरीक्षक से अनुमति लेनी पड़ती है और वह जाकर निरीक्षण करता है कि उसके लिये बचाव का पूरा इन्तजाम किया गया है या नहीं। इन खानों की जांच सबसे आखिरी बार कब की गई थी ?

†**श्री ल० ना० मिश्र** : हम इन सब की जांच करेंगे। खान मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन आने वाला है, और तब हम देखेंगे कि निरीक्षकगण भी दुर्घटना के लिये जिम्मेदार हैं या नहीं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : यदि तुरन्त बचाव के उपाय नहीं किये जायेंगे, तो और भी दुर्घटनायें हो सकती हैं। इसलिये इस स्थगन-प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिये, फिर चाहे उस पर एक सप्ताह के बाद ही चर्चा हो। मैं आपका विनिर्णय जानना चाहता हूं—यह प्रस्ताव नियमानुकूल है या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रतिवेदन प्रकाशित होते ही हम उस पर चर्चा करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह दुर्घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। इनमें ९ व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है। जैसा कि श्री विट्ठल राव ने कहा है, यदि निरीक्षक ने पहले जांच कर ली होती, तो शायद ये दुर्घटनायें न होतीं। लेकिन अच्छा यह होगा कि पहले हम सारे तथ्य जान लें। ताज्जुब की बात है कि श्री त्यागी चाहते हैं कि मैं आज ही इसके लिय अनुमति दे दूं।

जो विषय अत्यन्त अविलम्बनीय महत्व के नहीं होते मैं उसी समय उनकी अनुमति देने से मना कर देता हूं। पहले कुछ माननीय सदस्यों ने यह तरीका अपनाया था कि मेरी अनुमति न मिलने पर भी चर्चा शुरू करने की कोशिश की थी। अब यह दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है। माननीय सदस्य मेरे आदेशों की परवाह नहीं करते। यदि मैं श्री त्यागी के कहने पर चलूं तो सभा पर नियन्त्रण ही कर सकूंगा। माननीय सदस्य किसी भी दल के हों, वे ९ व्यक्तियों की मृत्यु के इस मामले को महत्वहीन नहीं कह सकते। श्री त्यागी को इतनी सरसरी तौर पर इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिये। यदि निरीक्षक की कोई लापरवाही साबित होती है, तो मन्त्री की भी लापरवाही मानी जायेगी। इसलिये यह विरोध निरर्थक है।

मैं अपना कोई भी निर्णय तभी कर सकता हूं जब मुझे उससे सम्बन्धित पूरे तथ्य पता लग जायें। तभी मैं यह निर्णय कर सकूंगा कि इसके लिये सभा की अन्य कार्यवाही को स्थगित करना उचित होगा या नहीं। इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित होगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : एक सप्ताह के अन्दर अन्दर।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : माननीय उपमन्त्री ने दुर्घटनाओं की सूचना सभा को तत्काल क्यों नहीं दी।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : दुर्घटना ५ तारीख को हुई थी। कल सभा की बैठक स्थगित हो गई थी। आज मैं सभा को उसकी सूचना दे ही रहा हूं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्रम मन्त्रालय के एक अधिकारी को उस क्षेत्र में जांच के लिये भेजना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मन्त्री के वक्तव्य को देखते हुए, मेरा उनसे अनुरोध है कि वह प्रतिवेदन यथाशीघ्र सभा में पेश किया जाय। श्री इन्द्रजीत गुप्त और श्रीमती पार्वती कृष्णन् की पूर्व सूचनाओं से लगता है कि एक ही दुर्घटना नहीं हुई थी। मैं चाहता हूं कि वह प्रतिवेदन यथाशीघ्र हमारे सामने आये और उस पर खूब खुल कर चर्चा की जाय। और यदि तब तक माननीय सदस्य कुछ अन्य बातों के बारे में भी जांच कराने के इच्छुक हों, तो उनको माननीय मन्त्री को लिख कर भेज देना चाहिये।

इसलिये अभी इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देना जरूरी नहीं है।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : खान मुख्य निरीक्षक से इस मामले में निष्पक्ष जांच की आशा नहीं है। इसलिये खान मन्त्रालय के कुछ प्रमुख-प्रमुख प्रविधिक अधिकारियों को यह काम सौंपना चाहिये।

†**श्री ल० ना० मिश्र** : मुख्य निरीक्षक का प्रतिवेदन देखने के बाद ही, आवश्यक समझने पर, ऐसी जांच कराई जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें पहले निरीक्षक का प्रतिवेदन देख लेना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित गो० ब० पन्त के निधन पर प्रधान मन्त्री का संदेश

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : मैं पन्त जी के निधन पर प्रधान मन्त्री द्वारा भेजा गया यह सन्देश सभा को पढ़ कर सुनाता हूं :

"पिछले दो हफ्तों में हमें जिस घटना की आशंका थी वह हो चुकी है और पन्त जी के स्वस्थ हो जाने की जो क्षीण आशा थी वह भी मिट गई है और हम अनाथ और एकाकी हो गये हैं। वे प्रिय मित्र और सुहृदय थे, हमारे स्वाधीनता संघर्ष में महान् जननायक थे, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद महान् नेता, परामर्शदाताओं में सर्वाधिक बुद्धिमान, मृदु स्वभाव के होते हुए भी कार्य के लिये दृढ़ निश्चयी थे, किन्तु उन्हें किसी के प्रति द्वेष न था। वे हमारे प्रिय हिमालय पर्वत की सन्तान थे और उनमें हिमालय जैसी शान्ति और अचलता विद्यमान थी। वे चट्टान के समान अडिग थे और लोगों के विचार और मार्गदर्शन के लिये प्रकाशस्तम्भ से थे, उनकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं या उन्हीं जैसा व्यक्ति हमें अब कहां मिल सकता है? उनका कार्य संसद् में उत्कृष्ट था किन्तु इससे भी अच्छा कार्य वे जीवन में ही करते रहे और उन्हें अपनी मातृभूमि के प्रति अत्यन्त भक्ति थी और देश के सभी जनों के कल्याण में उन्हें बहुत आस्था थी। हम उन्हें अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस कार्य में उन्होंने अपनी शारीरिक व्याधियों और कठिनाइयों के बावजूद अपनी कुशाग्र बुद्धि और पूरी शक्ति लगा दी थी उसे हम भी उतनी ही लगन से करते रहेंगे। जीवन के अन्तिम क्षण तक जब तक उन्हें होश रहा वे भारत की सेवा के लिये अथक परिश्रम करते रहे। हमें भी जीवन के अन्तिम क्षण तक इसी प्रकार सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो।"

सभा पटल पर रखे गये पत्र

डाक घर बचत प्रमाण पत्र (दूसरा संशोधन) नियम

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं, श्री मोरारजी देसाई की ओर से सरकारी बचत प्रमाण पत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७०७/६१.]**

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवदन

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : मैं कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर की वर्ष १९५९-६० की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० २७०८/६१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अठहत्तरवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का अठत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर आक्रमण के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती रेणुका राय ने पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की ओर ध्यान दिलाया है । वह उपस्थित नहीं हैं । विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाये ।

†**वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : मैं यह विवरण सभा-पटल पर रखती ।

विवरण

हमारी सूचना के अनुसार, खुलना के आसपास की औद्योगिक बस्तियों--दौलतपुर और खालिसपुर--में अल्प संख्यक समुदाय (हिन्दुओं) पर २६ फरवरी की सुबह हमले किये गये थे । कुछ हिन्दुओं के मकानों में आग भी लगा दी गई थी । पूर्वी पाकिस्तानी अधिकारियों के वक्तव्यों के अनुसार, ५ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है । स्थानीय अधिकारियों ने उस सिलसिले में तुरन्त कार्यवाही की थी । झगड़े को और फैलने से रोकने के लिये धारा १४४ लगा दी गई थी । २६ फरवरी की दोपहर से २७ फरवरी की सुबह तक खुलना रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालय में पुलिस ने लगभग १०० हिन्दू यात्रियों को शरण दे रखी थी ।

२८ फरवरी को जैसोर की बाहरी बस्तियों में कुछ मकानों में आग लगाई गई थी । १ मार्च को राजाशाही में भी कुछ घटनायें हुई थीं । पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा अखबारों में जारी किये गये एक इश्तिहार के मुताबिक, सैदपुर की घटनाओं में १५ व्यक्ति घायल हुए और ४ मरे थे । गड़बड़ी पर काब करने के लिये पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी थी और २०० गिरफ्तारियां की गई थीं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : मुझे खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि ८ मार्च, १९६१ को सुबह के समय, करीब २ बजकर ५७ मिनट पर, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के किशनगंज-कटिहार सैक्शन में तिल्ता रेलवे स्टेशन पर एक गम्भीर रेल दुर्घटना हो गई है । तिल्ता स्टेशन की नम्बर २ लाइन पर संख्या २४ डाऊन अमीनगांव-मनिहारघाट यात्री गाड़ी आते समय वहीं खड़ी हुई ७०५ माल गाड़ी से टकरा गई थी । उसके फलस्वरूप सवारी गाड़ी के दो डिब्बे एक दूसरे में धस गये थे और मालगाड़ी के पांच माल-डिब्बे पटरी से नीचे गिर गये थे । सबसे हाल की सूचना के अनुसार, उससे ग्यारह व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अन्य ३७ व्यक्तियों को चोटें आईं

---

†मूल अंग्रेजी में

जिनमें से ग्यारह की चोटें गम्भीर हैं। उस मलवे में से छः यात्रियों के शव निकाल लिये गये हैं और पांच लाशें अभी दबी पड़ी हैं। अन्य हताहतों के बारे में जांच की जा रही है। गाड़ी के गार्ड ने घायल यात्रियों की प्राथमिक चिकित्सा की। बाद में, कुर्सेओंग के सहायक चिकित्सा अधिकारी ने उनकी चिकित्सा की। कटिहार से घटना-स्थल के लिये चिकित्सीय सहायता गाड़ी भेजी गई थी। सभी घायल व्यक्तियों को कटिहार और पूर्णिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है।

इस दुर्घटना से वहां का रेलवे मार्ग रुक गया है, दूसरी पटरी डालने की चेष्टा की जा रही है। आशा है कि आज १ बजे दोपहर तक गाड़ियों का आना-जाना शुरू हो जायेगा।

रेलवे का सरकारी निरीक्षक इस दुर्घटना की संविहित जांच करेगा।

आज माननीय रेलवे मंत्री विमान द्वारा घटनास्थल पर जा रहे हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में यदि कोई और सूचना मिले तो माननीय मंत्री उसे सभा के सामने पेश कर दें।

†**श्री शाहनवाज खां** : जी, हां।

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ को संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ को संशोधित करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सभा का कार्य

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : यह बैठक आज कितने बजे स्थगित होगी ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शायद सवा चार बजे। मैं संसद्-कार्य मंत्री के आने पर ठीक-ठीक समय बता दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे १९६०-६१)--जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब सभा वर्ष १९६०–६१ के आय-व्ययक (रेलवेज़) से संबंधित अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर आगे चर्चा जारी रखेगी। श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): मांग संख्या १३ श्रमिक-कल्याण से सम्बंधित है। मैं उसका स्वागत करता हूं। अच्छा तो यह होता कि श्रमिक-कल्याण सम्बंधी सभी मदों को अलग-अलग रखा जाता। लेकिन केवल चार रेलवेज़ में ही इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिये मांग क्यों रखी गई है; अन्य रेलवेज़ में क्या ये सुविधायें पहले से मौजूद हैं? मेरी भावना है कि सभी रेलवेज़ में समान रूप से सुविधायें दी जानी चाहिये।

मांग संख्या १७ रेलवेज़ की उपयोगिता से सम्बंधित है। लेकिन इसको ९ करोड़ रुपये क्यों रखा गया है? मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी लाइनों का नवीकरण होना है या कौन से नये पुल बनने हैं, जिनकी वार्षिक, आय-व्ययक पारित करते समय लेखा नहीं गया था। इसका मतलब है कि रेलवेज़ ने इस मामले में पहले से सतर्कता नहीं दिखाई। तभी तो अनुपूरक मांगें रखने की जरूरत पड़ी है।

देश में कोयले की समस्या गम्भीर हो गई है। इसका कारण यही है कि कोयले की ढुलाई की योजना किसी वैज्ञानिक आधार पर तैयार नहीं की गई थी। आज ही के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में खबर है कि कोयले की कमी के कारण गुजरात और पंजाब में कारखाने बन्द हो रहे हैं। उसके लिये पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध नहीं। माननीय मंत्री बतायें कि माल डिब्बे सुलभ बनाने के लिये क्या किया गया है।

संयंत्र तथा मशीनों के संभरण के लिये उत्तरदायी संस्थाओं और रेलवेज़ के बीच सह-कार्य नहीं है। इसीलिये निर्माण कार्यों में विलम्ब होता है। आज के जैसे वैज्ञानिक युग में यह अनिश्चितता अक्षम्य है। ऐसे विलम्ब से रेलवेज़ की ही हानि होती है। इन अनुपूरक मांगों का अनुमोदन किया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** (कानपुर) : मांग संख्या ६ में कहा गया है .....

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) :** यह मांग वापस ले ली गई है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** रेलवे कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिये। शुरू में प्रधान मंत्री ने इसका आश्वासन भी दिया था। वेतन-दरों के पुनर्निधारण के बारे में तो अधिकारियों के साथ चर्चा करने का अवसर मिलना ही चाहिये।

मांग संख्या १७ रेलवे मार्गों के नवीकरण के सम्बन्ध में है। रेल मार्गों के नवीकरण के दौरान अब पता चला है कि 'मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी' ने त्रुटिपूर्ण और कम-टिकाऊ लोहे के स्लीपरों का संभरण किया है। प्रविधि-विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे स्लीपरों की आयु ४० वर्ष होनी चाहिये, लेकिन मेसर्स बर्न एण्ड कम्पनी ने जो स्लीपर १९६०–६१ में दिये थे वे भी अब इस्तेमाल के लायक नहीं रह गये हैं। इसकी जांच कराई जानी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अभी-अभी एक जांच के दौरान पाया गया था कि कलकत्ता की फर्म ने भी कम वज़न के स्लीपर रेलवेज़ को दिये हैं। उनसे यात्रियों के लिये बड़ा खतरा हो जाता है। रेलवे मंत्रालय उनके बारे में क्या रुख अपना रही है?

मांग संख्या १८ यात्री-सुविधाओं के बारे में है। एक के ऊपर एक तीन बर्थों वाले डिब्बे बड़े असुविधा जनक हैं। उनको बदला जाना चाहिये।

†**श्री अरविन्द घोषाल** (उलुबेरिया) : मैं माननीय मंत्री का ध्यान दो कटौती प्रस्तावों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अनुपूरक मांगों के जरिये इतनी बड़ी-बड़ी राशियां मांगना अनुचित है। इस प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये। लोक लेखा समिति ने कई बार इसकी आलोचना की है।

रेलवे चालकों ने कई बार शिकायतें की है कि खराब क़िस्म का कोयला मिलने के कारण वे ट्रेनों की रफ्तार नहीं बढ़ा सकते। १९५० में ८ मील चलने में ट्रेनों को २४ मिनट लगते थे, अब ३६ मिनट तक लग जाते हैं।

इसी कारण, खराब कोयले के कारण, उपनगरीय गाड़ियों में रोशनी की व्यवस्था नहीं हो पाती।

इसी कारण जब-तब इंजन खराब होते रहते हैं। इसलिये अच्छे किस्म के कोयले का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

कोयले की खपत बढ़ती जा रही है। इसलिये कोयले की बचत के तरीके निकालने वाले रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये।

यात्री सुविधा समिति तो बनी हुई है, पर समिति के सदस्यों का कोई भी सुझाव नहीं माना जाता। रेलवेज़ को उन पर विचार तो करना चाहिये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : मैं मांग संख्या १३ को ले रहा हूं। वह श्रमिक कल्याण से सम्बन्धित है। श्रमिक कल्याण का यह हाल है कि रेलवेज़ ने खड़गपुर में रेलवे कर्मचारियों के ८० साल पुराने क्वार्टरों का भी किराया बड़ा दिया है, उनकी मरम्मत कराये बगैर ही। उन क्वार्टरों की हालत बहुत खराब है। रेलवे मंत्रालय को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिये।

खड़गपुर के नीमपुरा और मथुराकली क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर तो ५००–६०० व्यक्ति पीछे भी एक नल नहीं है। उस सम्बन्ध में कई याचिकायें भेजी गईं, पर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

खड़कपुर में कब्रिस्तानों और शमशान घाटों की हालत भी बड़ी खराब है। वे टूटे-फूटे और गन्दे पड़े रहते हैं। उनकी मरम्मत का दायित्व रेलवे प्रशासन पर है।

विभिन्न रेलवे कारखानों में नव शिक्षार्थियों को पांच साल के बाद भी पक्की नौकरी नहीं दी गई है। मैंने इस सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय को लिखा भी था, पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। इस पूरे प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री शाहनवाज़ खां** : सब से पहले मैं उन बातों का उत्तर देना चाहूंगा जो श्री शर्मा ने कही हैं परन्तु अभाग्य वश इस समय वह सभा ही में नही हैं। उन्होंने कहा कि यदि बजट ठीक ढंग से बनाया जाये तो अनुपूरक अनुदान मांगने की जरूरत न रहेगी। परन्तु ऐसा सामान्यतया होता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री शाहनवाज खां]

विस्तारपूर्वक इसका उत्तर देने से पहले मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। जब कि सारा बजट ९४८.२० करोड़ रुपये का है, अनुपूरक मांगें केवल ५१.९८ करोड़ रुपये की है। यह ५% तक बैठा जो अधिक नहीं है। यह बजट के बाद की चीजों के सम्बन्ध में ही मांगी गयी हैं। सामान्य बजट ही की भांति आये वर्ष, बजट के बाद की चीजों को पूरा करने के लिये रेलवे बजट में भी अनुपूरक मांगे पेश की जाती हैं। श्री घोषाल ने भी यही बात कही।

अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करते समय जो आरम्भिक बातें कही गयीं थीं यदि श्री शर्मा ने उन पर ध्यान दिया होता तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि राजस्व व्यय के बारे में अनुपूरक मांगें केवल मात्र मांग संख्या ७ और ८ के अन्तर्गत है जो निर्माण से भिन्न है। इन मांगों को इस कारण बढ़ाना पड़ा कि एक तो कोयले के मूल्यों में दो बार वृद्धि हुई और दूसरे श्रमिक कल्याण उपकार निधि बनी। पहले इन चीजों का पता नही था।

मांग संख्या ८ में, बिजली घरों में पैदा की जाने वाली बिजली की लागत साम्मिलित है जिसपर कोयले के मूल्य के कारण काफी प्रभाव पड़ता है। प्रकाशित पुस्तक के पृष्ठ ३, पर यह बताया गया है कि सामान्य कार्य सम्बन्धी व्यय के लिये अतिरिक्त रकमों की आवश्यकता की बजाय भी मूल शुद्ध अनुदान से कुछ बचत होगी परन्तु यह बचत सामूहिक दृष्टि से होगी।

जहां तक निर्माण सम्बन्धी अनुदान संख्या १३, १५, १६ १७ और १८ के अधीन अनुपूरक मांगों का सम्बन्ध है, उनकी स्थिति, १९६०-६१ के लिये रेलवे की अनुपूरक मांगों से सम्बद्ध उस पुस्तिका में स्पष्ट कर दी गयी है जिस सभा में १५ फरवरी, १९६१ को पेश किया गया था। विषयप्रवेश के शब्दों को पढ़कर यह बात साफ हो जायेगी कि यद्यपि उनमें ४७.०६ करोड़ रुपये की अतिरिक्त रकम की मांग की गयी है परन्तु वास्तविक खर्चा केवल १५ करोड़ रुपये तक का ही है। इस बात की व्याख्या भी की गयी है कि बजट के समय ही १५ करोड़ रुपये की कमी वित्त मंत्रालय की सलाह से कर दी गयी थी। अब केवल उसी रकम को फिर से लेने का काम किया जा रहा है और इसके लिये भी वित्त मंत्रालय से पहले सलाह कर ली गयी है। मूल अनुदान के अनुमान को लोक लेखा समिति की सिफारिश के आधार पर कम करके दिखाया गया था ताकि बजट में अधिक रकम की व्यवस्था पहले ही न की जाय। रेलवे बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पृष्ठ २६ पर भी इस बात की व्याख्या की गयी है कि पहले कम अनुदानों की व्यवस्था कर लेने से आगे का अधिक खर्च ज्यादा नियमित हो जाता है क्यों कि जैसे जैसे निर्माण कार्य परिपक्व होते जाते हैं वैसे वैसे ठीक खर्च होता रहता है।

श्री शर्मा ने कहा कि रेलवे वालो ने शीघ्रता में घाटे का बजट बना कर दिखाया और चीजों को अस्पष्ट रखा। मुझे तो आशा थी कि मांगे वापस लेने के कारण श्री शर्मा हमारी प्रशंसा करेंगे क्योंकि इससे तो रेलवे मंत्रालय की सावधानी ही का परिचय प्राप्त होता है।

यदि माननीय सदस्य प्रकाशति पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ का अवलोकन करें तो उन्हें ज्ञात हो जायेगा कि इसका प्रकाशन ९ फरवरी को हुआ था। अनुपूरक मांगों का संकलन जनवरी में दिसम्बर तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया था और बाद के महीनों की आवश्यकताओं के कारण इन में अंतर पड़ने की बात किसी भी प्रकार से असाधारण नही मानी जा सकती। इसी कारण हमने कुछ मांगों को वापस ले लिया।

श्री विट्ठल राव ने, रेलवे सिगनल वर्कशाप सिकन्दराबाद के बारे में अपने विचार प्रकट किये। उन्होंने कहा कि वहां अब भी अनेक अस्थायी श्रमिक काम कर रहे हैं। १९५६ से पहिले उस वर्कशाप में केवल मरम्मत का काम ही होता था परन्तु उसके बाद उसमें उत्पादन का काम भी शरू किया गया।

हमने दूसरी योजना के अन्त तक ५० लाख के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया और उसी काम की पूर्ति के लिये हमें अस्थायी कर्मचारी रखने पड़े। मेतुगुड़ा वर्कशाप में इस समय ऐसे ५०० कर्मचारी हैं। इनमें ९ लोगों को जिन्होंने ६ महीने बिता दिये हैं, अस्थायी बना दिया गया है। आगामी चार मास तक अधिकांश लोग ६ मास पुराने हो जायेंगे और उन्हें अस्थायी बना दिया जायेगा। इस से हालात काफी हद तक सुधर जायेंगे।

श्री विट्ठल राव ने कहा कि कोयले का प्रयोग ठीक ढंग से किया जाये और उसे किफायत से इस्तेमाल किया जाय। श्री घोषाल आदि ने भी यही बात कही। हमने इस विषय की देख रेख करने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति बनायी है। उन्होंने कुछ सिफारिशें भी की हैं जिन्हे हम कार्यान्वित कर रहे हैं। हम एक यात्रा के लिये जांच के आधार पर राशन मुकर्रर कर रहे हैं। चालक कर्मचारियों को ठीक ढंग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। श्री घोषाल ने कहा कि कुछ चालक बाहर वालों को जला हुआ कोयला दे देते हैं। यह चीज कानून के खिलाफ है और दुखद भी है। यदि वे हमें किसी का नाम बतायें तो हम उसके खिलाफ कारवाई करें। हमने निरीक्षण संगठन स्थापित किये हैं। सदस्यों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि हमें कोयले का देखना चाहिये क्योंकि घटिया प्रकार के कायले से गाड़ियों की रफ्तार में काफी फर्क पड़ रहा है। वास्तव में यह है कि बढ़िया कोयला आज इस्पात खानों का दिया जा रहा है और हमें घटिया ही मिल रहे है। किन्तु हमारा निरीक्षण संगठन करनपुर और बोकारों में काम शुरू करने वाला है जिससे हालात सुधर जायेंगे।

कुछ सदस्यों ने कोयला धोने के कारखाने लगाने की बात कही। इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने एक तदर्थ समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने सिफारिश की है कि करनपुर, रानीगंज अनूपपुर, सिंगरौली और बाद में जूनारदेव तथा सिंगोरनी में ऐसे कारखाने लगाने जायें। मंत्रालय इस रिपोर्ट पर विचार कर रहा है और मुझे आशा है कि शीघ्र ही इस बारे में निर्णय हो जायेगा। रेलवे बड़ी उत्सुक्ता से यह चाहती है कि उन्हें बढ़िया कोयला मिले।

†**श्री बिमल घोष** (बैरकपुर) : परन्तु कोयला धोने के कारखाने नहीं बन रहे।

†**श्री शाहनवाज खां** : श्री विट्ठलराव ने दक्षिणी रेलवे के घाटे की बात कही कि उन्हें जहाज से कोयला ले जाना पड़ता है। इसके कारणों पर माननीय मंत्री ने अनेक बार प्रकाश डाला है। सरकार रेलों के विकास के लिये ही यह घाटा सहन कर रही है। दक्षिणी-रेलवे को ३० लाख टन कोयले की जरूरत रहती है और उसमें से आधा कोयला बिहार और बंगाल की खानों से आता है। ५० प्रतिशत प्रथम श्रेणी का कोयला सिंगारेनी और तलचर के कोयला क्षेत्रों से उपलब्ध हो जायगा। आशा है कि तीसरी योजना के अंत तक हम सारा कोयला रेलों के द्वारा ढोने लगेंगे।

श्री विट्ठल राव ने रेलवे यूनीफार्म समिति की रिपोर्ट की बात कहते हुये कहा कि उस पर अमल करने में भी काफी देर हो रही है। समिति ने अपनी रिपोर्ट, अगस्त १९५७ में दी थी। यदि इस विभागीय समिति की सिफारिशों को माना जाता तो काफी वित्तीय वाक्वद्धतायें करनी पड़तीं। किन्तु इस समय हम हर तरफ बचत करने में लगे हुये हैं। फिर भी इस रिपोर्ट पर अमल किया जायेगा। माननीय सदस्य ने कहा कि कम्बल ही देर से प्राप्त हुये। कम्बलों का संभरण मध्य रेलवे तीसरे साल करती है हर साल नहीं। अब संभरण किया जा रहा है।

श्री विट्ठल राव ने यह भी पूछा कि क्या रेलवे, गैर-सरकारी माल डिब्बे निर्माण करने वाली फर्मों को इस्पात पहुंचाने के लिये भी जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उन्हें पहले लोहा और इस्पात नियंत्रक के माध्यम से इस्पात मंगाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। किन्तु जब कभी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री शाहनवाज खां]

वैसा नही हो सकता तो रेलवे की सहायता ली जाती है। तब हम कोशिश करते हैं और जितना माल उन्हें दिलवा सकते हैं दिलवा देते हैं।

मांग संख्या १६ के अन्तर्गत भारी व्यवस्था का जिक्र भी कई सदस्यों ने किया है। यह ज्यादातर मंगाये गये इस्पात के कारण है। बात यह है कि संसार भर ही में इस्पात की भारी कमी है और इसी कारण रेलवे ने इस्पात मंगाने का काम भी अपने ऊपर ले लिया है। संभरण के कारण ही हमने इस्पात मंगवाया और इसी आधार पर यह मांग की है।

कुछ माननीय सदस्यों ने पटड़ियों की मरम्मत और नवीकरण के बारे में कहा। इस्पात के मिलते ही यह काम भी तेजी से होने लगेगा। इसी कारण शीर्ष के अन्तर्गत अधिक मांग की गयी है।

श्री विट्ठल राव ने रेलवे गवेषणा संगठन के काम का उल्लेख भी किया। उन्होंने पूछा कि क्या हम ने डिब्बे की सवारी की कोटि में कोई जांच पड़ताल की है या करेंगे। हम वास्तव में यात्रा को और ज्यादा सुखद बनाने की दृष्टि से काम कर रहे हैं।

जहां तक "बाक्स" डिब्बों का सम्बन्ध है, इस्पात की कमी के कारण उनके बारे में कुछ कठिनाई थी। हमने उन डिब्बों का निर्माण शुरू कर दिया है क्योंकि विद्यमान लाइन क्षमता में अधिक यातायात के लिये लौह अयस्क सम्बन्धी व्यवस्था करने का एकमेव उपाय यही था। हमने ९,६८७ माल डिब्बों का आर्डर दिया है जिनमें से १७०० डिब्बे फरवरी के अन्त तक प्राप्त हो चुके हैं; अर्थात् हर महीने २०० डिब्बे और फिर हर महीने ३०० डिब्बे मंगाया करेंगे। रेलवे कार्यशालाए ये डिब्बे बना रही हैं।

श्री दी० चं० शर्मा ने कहा कि रेलवे वालों ने खेलों में कुछ करके नहीं दिखाया। परन्तु रेलवे वालों का शौक सर्व विख्यात है।। हमारी हाकी टीम नेशनल चेम्पियनशिप जीतती रही है। पिछले साल ही हम हारे। हमें आशा है कि इस वर्ष हम फिर जीतेंगे।

हमारी फुटबाल की टीम भी अच्छी है। हमारी फुटबाल टीम तो सब ही से बढ़िया है। क्रिकेट की टीम भी हमारी अच्छी है। हम बढ़िया शिक्षक लगाते हैं। लाला अमरनाथ जैसे प्रसिद्ध खिलाड़ी हमारे युवकों को क्रिकेट सिखा रहे हैं। इस साल उन्होंने सर्वेसेस की क्रिकेट टीम को हराया।

भागदौड़ और कुदफांद में भी हमारे जवान अग्रणी हैं। पिछले साल जो ओलम्पिक खेलों के लिए रेलवे की ओर से १५ खिलाड़ी वहां गये थे। उनमें महिलाएं भी थीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : चैम्पियन पैदा करने अलग बात है और स्वस्थ वातावरण पैदा करना दूसरी चीज है।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं भी चैम्पियनों की बात नहीं कर रहा। हम सर्वसाधारण को खेल कूद में प्रतियोगिता का अवसर देने के बाद ही अच्छे खिलाड़ियों को चुनते हैं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कुमारी आरती साहा, जो इंगलिश चेनल को पार करने वाली पहली स्त्री है, वह भी रेलवे ही की है।

श्रीमती इला पालचौधरी ने कहा कि हावड़ा में महिला टिकटचैकरों को तंग किया गया। वहां पर उनकी संख्या २८ है। इस शिकायत के बाद हमने पूरी जांच करवाई। हमने इस काम

†मूल अंग्रेजी में

के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को लगाया और हर स्त्री टिकट चैकर का परीक्षण किया गया। किन्तु शिकायतें सारवान साबित न हुईं। बस उनसे केवल यही कहा जाता था कि वे वर्दियां ठीक तरह से पहनें और अपना काम ठीक ढंग पर करें। इस कारण यह आरोप झूठा निकला। यह छोटी सी बात है।

श्री शर्मा ने कहा कि कुछ कारखाने कोयले की कमी के कारण बन्द हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है और अब दुबारा कुछ नहीं कहा जायेगा। किन्तु जहां तक हमें पता है कोई कारखाना बन्द नहीं हुआ है। यदि वह कारखानों की सूची हमें दें तो हम उस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही भी करेंगे।

उसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक्सप्रेस माल गाड़ियां चलाने का वचन दिया था। रेलवे वालों ने यह वचन निभाया है। ऐसी गाड़ियां चल रही हैं और बड़ी लोकप्रिय हो गयी हैं।

उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्डर देने में देर होने के कारण देर ही से माल प्राप्त होता है। आप एक उदाहरण लीजिए। हमने बिजली से चलने वाले इंजन मंगाने का आर्डर जापान वालों को दिया था। परीक्षण के समय उनमें कुछ नुक्स निकल आया। चूंकि हमने उन्हें ठीक करने का आग्रह किया इस कारण उन्हें पहुंचाने में देर हो गयी। ऐसे कारण भी तो हो जाते हैं।

श्री बनर्जी ने कास्ट आयरन स्लीपरों के बर्न एड कम्पनी द्वारा किये गये संभरण का उल्लेख किया। स्लीपरों के निरीक्षण का काम संभरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय का काम है। सारे स्लीपर उन्हीं का संगठन देखता है। यदि हमें किसी चीज में नुक्स दिखाई देता है तो हम फिर से मामले को उठाते हैं। यदि माननीय सदस्य विस्तृत बात बतायें तो हम सहर्ष उस पर कार्यवाही करेंगे।

कुछ सदस्यों ने थ्री-टायर डिब्बों का जिक्र किया। यह प्रबन्ध कठिन था किन्तु नये डिब्बे बड़े ही आरामदेह हैं। ऊपर तक की टायर में भी उन्हें आरामदेह ही कहना होगा। इन्हें छोटा ऊंचा नहीं बल्कि काफी ऊंचा बनाया जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : किन्तु आप उन पर बैठ नहीं सकते।

†**श्री शाहनवाज खां** : इसे सुविधा मानना चाहिये। हमारे यहां पर थर्ड क्लास के किराये दुनिया में सब से कम हैं। तब भी हम बराबर सुविधायें बढ़ाते चले जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने खड़गपुर में कर्मचारियों के क्वार्टरों की दुर्दशा का वर्णन किया। मैं उनसे सहमत हूं। हम नये क्वार्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वार्टरों की कमी हर जगह है। हमारे सामने यही सवाल है कि क्या हम इन्हें गिरा कर नये क्वार्टर बनवाए और तब लोगों को यह दें। हम हर साल ५०,००० क्वार्टर बनवाते हैं। अब इससे भी ज्यादा बनवाने लगेंगे। किन्तु पैसे का भी तो सवाल है। क्वार्टरों की हालत सुधारने को हमारा भी बड़ा जी चाहता है।

जहां तक किराये का सवाल है हम सामुहिक रूप से उसे लागू कर रहे हैं। उसी आधार पर हम किराया लेंगे।

खड़गपुर में पानी का प्रबन्ध नहीं था। हम उसे ठीक कर रहेहैं। उसके लिए भी काफी रकम हमने रख ही ली है। शिशिक्षुओं के प्रश्न को आपने अनियमित ही घोषित कर दिया था इस कारण

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री शाहनवाज़ खां]

उसका जिक्र नहीं करूंगा । यदि माननीय मित्र उस सम्बन्ध में कुछ जानना चाहेंगे तो बाद में कुछ कहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२	विविध व्यय	३,३८,०००
७	कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन)	४,२६,४१,०००
८	कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन	७९,६८,०००
१३	चालू लाइनों पर काम (राजस्व)—श्रम कल्याण	४६,१५,०००
१६	चालू लाइनों पर काम—परिवर्धन	३३,००,१८,०००
१७	चालू लाइनों पर काम—प्रतिस्थापन	९,०९,२४,०००
१८	चालू लाइनों पर काम—विकास निधि	४,१०,१२,०००

सभा का कार्य

†**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ सदस्यों ने इच्छा प्रकट की थी कि सभा पहले स्थगित की जाय। अतएव ४ बजे सभा स्थगित कर दी जायगी ।

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में २५ फरवरी, १९६१ को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।"

मैं विशेष परिस्थितियों में ये संकल्प रख रहा हूं । दुख की बात है कि उड़ीसा में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि राष्ट्रपति को वहां का प्रशासन अपने हाथों में लेकर अपने प्रतिनिधि के हाथों द्वारा उसे चलाना पड़ रहा है । मैं आपकी अनुमति से यह बताना चाहता हूं कि वहां पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्र पाड़ा) : राज्यपाल का प्रतिवेदन भी हमें दिया जाये ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इसमें सन्देह नहीं कि केरल का प्रशासन अपने हाथ में लेते समय राज्यपाल के प्रतिवेदन का संक्षेप रखा गया था । मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि ऐसा करना सदैव

†मूल अंग्रेजी में

आवश्यक नहीं है। निस्संदेह केरल की स्थिति विचित्र थी। भारत सरकार ने राज्यपाल से विस्तृत प्रतिवेदन मांगा है। यदि यह नियम बना दिया जाय कि राज्यपाल का प्रतिवेदन पटल पर रखा जायेगा, तो सरकार या राज्यपाल के लिये भी सही सूचना देना कठिन हो जायेगा। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में बहुत दिलचस्पी रखते हों तो प्रतिवेदन का संक्षेप पटल पर रखा जा सकता है। तथापि मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य प्रतिवेदन में जो कुछ है उससे कहीं अधिक जानते हैं। मेरी इस मान्यता का कारण यह है कि अभी कुछ दिन पूर्व माननीय सदस्य ने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था और उन विषयों पर अपनी राय प्रकट की थी जो प्रत्यक्षतः राज्यपाल की जिम्मेदारी के अधीन आते हैं। तथापि उनका विचार था कि राज्यपाल ने गलती की है। यद्यपि राज्यपाल ने एक संक्षिप्त प्रतिवेदन दिया है तथापि उसका संक्षेप सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

अब मैं वहां की राजनैतिक स्थिति के सम्बन्ध में संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं। वस्तुतः १९५७ के सामान्य चुनावों के पश्चात् कांग्रेस दल का वहां की विधान सभा में सब से अधिक बहुमत था, विधान सभा में विभिन्न दलों की संख्या इस प्रकार थी। कांग्रेस ५६, गणतंत्र परिषद ५१, साम्यवादी दल ९, झाड़खंडदल ५, समाजवादी दल १, स्वतंत्र ७। इस प्रकार कुल १४० स्थानों में ५६ स्थान कांग्रेस को और ५१ स्थान गणतंत्र दल को प्राप्त हुए। अप्रैल १९५७ में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनायी उन्हें दूसरे दलों का भी सहयोग मिला। स्वतंत्र तथा झाड़खंड पार्टी के कुछ सदस्यों ने कांग्रेस का समर्थन किया।

सरकार ने कुछ समय तक ठीक प्रकार कार्य किया तथापि विधान सभा में गणतंत्र दल की अच्छी स्थिति के कारण स्थिति कुछ अस्थिर रही। एक दल के सदस्य दूसरे दल में सम्मिलित होते रहे। इसका यह फल हुआ कि कांग्रेस ने बड़ी कठिनाई से वहां का प्रशासन चलाया।

निस्संदेह ऐसी स्थिति को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि हमें अपने सार्वजनिक जीवन में भी एक स्तर कायम रखना चाहिये। इसके परिणामस्वरूप सरकार के लिये स्थिरता से प्रशासन चलाना कठिन हो गया। और कभी कभी तो स्थिति बहुत कठिन हो गयी क्योंकि सभा में एक या दो का ही बहुमत कांग्रेस की ओर रह गया। एक बार अकस्मात मतदान में तो कांग्रेस सरकार पराजित भी हो गयी। डा० मेहताब वहां के मुख्य मंत्री ने, अपना इस्तीफा भी दे दिया था। तथापि जब राज्यपाल ने इस मामले पर विचार किया और इस सम्बन्ध में परामर्श किया तो पता चला कि कांग्रेस सरकार का अब भी बहुमत है, इस पर डा० मेहताब ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया और पुनः सरकार चलाने लगे। तथापि स्थिति अस्थिर ही रही और इससे कांग्रेस और प्रशासन के लिये कठिनाई पैदा होती रही। अप्रैल में डा० मेहताब ने यह अनुभव किया कि यदि उन्हें विकास कार्य करना है और द्वितीय पंच वर्षीय योजना को क्रियान्वित करना है तो उन्हें विरोधी पक्षों का सहयोग प्राप्त करना होगा।

उन्होंने मिली जुली सरकार बनाने का सुझाव दिया और विरोधी पक्षों के नाम इस आशय की अपील की। गणतन्त्र परिषद् ने यह अपील स्वीकार कर ली, तत्पश्चात् कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने स्तीफा दिया और २२ मई, १९५९ को वहां मिली जुली सरकार बनायी गयी। मिलीजुली सरकार ने अच्छा कार्य किया और दोनों पक्षों के बीच सहयोग रहा, इस सरकार के अन्तर्गत एक वर्ष और नौ महीने तो प्रशासन किया गया। तत्पश्चात् दोनों दलों के बीच पुनः मतभेद होने लगा। क्योंकि दोनों दलों में चरम पंथी लोग भी होते हैं। कांग्रेस तथा गणतन्त्र परिषद् के लोग यह सोचने लगे कि यह मिली जुली सरकार कायम नहीं रहनी चाहिये। जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कांग्रेस में धीरे धीरे ऐसे सदस्यों का बहुमत हो गया जो कि यह चाहते थे कि मिली जुली

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

सरकार नहीं रहनी चाहिये। गणतन्त्र परिषद् में भी इस सम्बन्ध में मतभेद था। तथापि यह बात मैं समाचार पत्रों तथा गैर सरकारी स्रोतों के आधार पर ही कह सकता हूं। भले ही गणतन्त्र परिषद् का कुछ भी विचार रहा हो तथापि कांग्रेस दल इस विषय में एकमत थी कि यह सरकार कायम नहीं रहनी चाहिए।

इस सम्बन्ध में दो विशेष बातें थीं। पहली यह कि इस प्रकार की मिली जुली सरकार वर्तमान स्थितियों में नयी चीज थी। १९४७ के पश्चात् से देश में बहुत कम मिली जुली सरकारें बनी हैं केवल केरल में एक मिली जुली सरकार काम कर रही है। निस्सन्देह कुछ मतभेद हो जाते हों तथापि सामान्य रूप से केरल में यह मिली जुली सरकार पूर्ण सहयोग से काम कर रही है। निस्सन्देह कुछ मामलों में मतभेद भी होता है। कभी कभी एक दल के भीतर भी मतभेद हो जाता है, तथापि यह अच्छे भविष्य का चिह्न नहीं है। तथापि दल में अनुशासन बनाये रखना आवश्यक है। कभी कभी जनता के समक्ष ये बातें प्रगट भी हो जाती हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है यद्यपि वहां की स्थिति बहुत खराब है तथापि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव के समय सभी सदस्य उपस्थित थे और उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान दिया।

तथापि जहां तक मिली जुली सरकार का सम्बन्ध है वह केवल चुनावों तक ही कायम रह सकती है। उन दोनों दलों को जो मिली हुई सरकार बनाती हैं चुनाव के समय स्वतन्त्रता से पृथक पृथक् चुनाव लड़ने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये, क्योंकि चुनाव के सम्बन्ध में अपने अपने दलों की नीति स्पष्ट करनी होती है। केरल में भी प्रजा समाजवादी दल और कांग्रेस संयुक्त घोषणापत्र नहीं निकाल सकते हैं।

मैं मिली जुली सरकार के विरुद्ध नहीं हूं क्योंकि लोकतन्त्रात्मक गठन में सभी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। तथापि मिली जुली सरकार होने के बावजूद भी दोनों दलों को चुनाव लड़ने की पूरी पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। यदि चुनाव के बाद भी वे इसे व्यावहारिक समझें तो इसे जारी रख सकते हैं।

अतः जब कांग्रेस ने स्वतन्त्र रूप से चुनाव लड़ने का निश्चय किया तो उन्होंने मिली जुली सरकार को समाप्त करने का निश्चय किया।

†**श्री अशोक मेहता** (मुजफ्फरपुर) : मेरे विचार से माननीय मन्त्री एक भयावह सिद्धान्त प्रतिपादित कर रहे हैं। विश्व में अनेक देशों यथा, बैल्जियम या आस्ट्रेलिया में भी मिली जुली सरकारें हैं तथापि वे चुनावों के पहिले तक एक काम करती हैं, आस्ट्रिया और बैल्जियम में यही हुआ है कि दलों ने चुनावों के पहिले तक काम किया है, यदि कांग्रेस दल का यह रवैया है कि सुविधा होने पर वे अपने सहयोगी दल को पृथक् कर सकते हैं तब कोई भी दल कांग्रेस से सहयोग नहीं करना चाहेगा।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं श्री अशोक मेहता से सहमत नहीं हूं। मैं नहीं कहता हूं कि एक मिली जुली सरकार को चुनावों के पहले तक काम नहीं करना चाहिये तथापि यह बात समय और स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। मैं कोई सामान्य सिद्धान्त प्रतिपादित नहीं कर रहा हूं। तथापि स्थिति के अनुसार यह भी हो सकता है।

२० फरवरी, १९६० को कांग्रेस दल ने यह निश्चय किया कि मिली जुली सरकार समाप्त हो जानी चाहिये तदनुसार २१ फरवरी को वहां के मुख्य मन्त्री ने इस्तीफा दे दिया, उनके स्तीफा

---

†मूल अंग्रेजी में

देने के पश्चात् गणतन्त्र परिषद् ने भी यह कहा कि वे सरकार नहीं चला सकते हैं। वस्तुतः वहां के राज्यपाल ने सभी दलों से परामर्श किया तथापि उन्हें पता लगा कि डा० मेहताब इस बात में दृढ़ हैं कि वे सरकार नहीं चलायेंगे। केवल श्री नित्यानन्द महापत्र ने यह कहा कि विभिन्न दलों की मिल कर एक सरकार बनानी चाहिये। तथापि राज्यपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब तक दो बड़े दल परस्पर सहयोग न करें वहां सरकार बनाना सम्भव नहीं है, इस स्थिति में राज्यपाल के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वह राष्ट्रपति से राज्य सरकार का प्रशासन अपने हाथों में लेने की सिफारिश करें। भारत सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया।

†**श्री मा० श्री० अणे** (नागपुर) : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार के निश्चय करने से पूर्व इस सम्बन्ध में कांग्रेस हाई कमाण्ड ने क्या निश्चय किया ? उन्होंने उड़ीसा कांग्रेस समिति को इस सम्बन्ध में क्या सलाह दी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री:** मेरे विचार से यह प्रश्न इस विषय पर संगत नहीं है, यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं इस विषय पर उनसे सभा के बहर जानकारी दे सकता हूं। भारत सरकार ने राज्यपाल की सिफारिश पर विचार किया। अन्ततोगत्वा वे इस निश्चय पर पहुंचे कि उनके लिये उड़ीसा राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि संविधान के अधीन और कोई दूसरी सरकार वहां नहीं बनायी जा सकती है। सरकार को संविधान के उपबन्धों के अधीन काम करना होता है। अतः संविधानों के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार राष्ट्रपति ने उड़ीसा का प्रशासन अपने हाथों में लेने का निश्चय किया।

अब मैं राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेश के सम्बन्ध में एक दो बातें कहना चाहता हूं। वस्तुतः जब उड़ीसा की सरकार ने अपना स्तीफा दिया तब भी राज्यपाल ने उनसे वहां का प्रशासन कुछ समय तक चलाने को कहा था। उन्होंने कहा था कि राज्य विधान सभा द्वारा बजट पारित कर दिया जाये। उन्होंने कहा कि कम से कम उन्हें सभा द्वारा पारित लेखानुदानों को पारित कर देना चाहिये। तथापि डा० मेहताब ने २१ फरवरी को अपना स्तीफा दे दिया था, अन्य कोई मार्ग नहीं था। क्योंकि डा० मेहताब अपनी जिद पर अड़े रहे। अतः उनका स्तीफा मंजूर कर देना पड़ा। इस प्रकार लेखानुदान पारित नहीं हुए। राज्यपाल बड़ी कठिनाई में पड़ गये क्योंकि वे एक पाई भी व्यय नहीं कर सकते थे। यहां तक कि विधान सभा के सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाने के लिये यात्रा भत्ता तक नहीं दिया जा सका।

विकास सम्बन्धी कुछ आवश्यकीय और महत्वपूर्ण व्यय भी करने थे। अतः राज्यपाल ने मुख्य सचिव और विधि अधिकारियों से परामर्श किया। उन सबने उन्हें यही सलाह दी कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये वे एक अध्यादेश निकाल देंगे। अतः सरकार ने उनके परामर्श के उपरान्त एक अध्यादेश जारी कर दिया। जब हमें यह बात ज्ञात हुई तो हमने राज्यपाल को लिखा कि यह अध्यादेश यहां वैध नहीं समझा जायेगा। जैसा कि प्रधान मन्त्री ने भी स्वीकार किया था कि कई मामलों में, विधि सम्बन्धी सलाहों में न्यायाधीशों तक में मतभेद हो जाता है।

तथापि उस अध्यादेश को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है वह स्वयं ही व्यपगत हो जायेगा। उस अध्यादेश के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अतः इस अध्यादेश के द्वारा शक्तियों के अतिक्रमण करने का कोई इच्छित प्रयत्न नहीं किया गया। उड़ीसा के राज्यपाल एक बहुत योग्य और अनुभवी प्रशासक हैं। तथापि अब वहां के राज्यपाल एक प्रकार से संसद् के हाथों में हैं क्योंकि वहां का बजट, अनुपूरक मांगें और विधान संसद् को ही पारित करना है। अतः अब वहां के राज्यपाल इस सर्वप्रभुत्व सम्पन्न संस्था से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मैं अनुभव करता हूं कि ऐसी स्थिति में भारत सरकार के पास इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था। निस्सन्देह हमें कोई खुशी नहीं है क्योंकि हम चाहते थे कि राज्य सरकार पूरी अवधि तक काम करते रहें। तथापि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई कि हमारे पास सिवाय इसके और कोई दूसरा मार्ग न रहा। अतः मैं सभा से इस संकल्प पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में २५ फरवरी, १९६१ को जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी और श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने अपना संशोधन संख्या १ और २ प्रस्तुत किया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव और संशोधन सदन के समक्ष है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता–केन्द्रीय): सब से पूर्व मैं श्री गोविन्द बल्लभ पन्त की स्मृति को ताजा करता हुआ उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रस्तुत संकल्प के सम्बन्ध में मेरा मत यह है कि यह बड़ा महत्वपूर्ण संकल्प है। मेरा निवेदन है कि जिन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप यह उद्घोषणा जारी की गयी है उनका अध्ययन करना बड़ा आवश्यक है। गत आम चुनाव के समय से ही उड़ीसा में कांग्रेस दल का रंग ढंग कुछ ऐसा था कि जिनसे इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गयी थी कि हमारे देश की संसदीय व्यवस्था का भविष्य अन्धकारमय हो जाय। स्वयं उड़ीसा के मुख्य मन्त्री श्री हरेकृष्ण मेहताब ने स्वयं एक लेख में इस स्थिति पर प्रकाश डाला है। यह लेख कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका के ४ मार्च १९६१ के अंक में प्रकाशित हुआ है। कांग्रेस दल जो इस समय सारे देश की सत्ता सम्भाले है के लिए यह कोई गौरव की बात नहीं।

उड़ीसा में कांग्रेस और गणतन्त्र परिषद् की सम्मिलित सरकार का बनाया जाना केवल एक सुविधाजनक समझौता ही नहीं था। उसने उड़ीसा में इस प्रकार की स्थिति निर्माण कर दी जिस पर काबू पाना सरलता से सम्भव नहीं था। इसके अतिरिक्त इस सम्मिलित सरकार का निर्माण किसी सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया था। परन्तु एक प्रश्न का तो उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि यदि यह सम्मिलित सरकार २१ मास तक काम करती रही तो आने वाले कुछ और महीनों में वह काम क्यों न चला सकी? मुझे तो इसका एक मात्र कारण यही दिखाई देता है कि वे इस बात से भयभीत थे कि आने वाले आम चुनावों में वे जनता के सामने किस मुंह से जायेंगे। दोनों दल एक दूसरे से अलग हो लिये हैं। अब वे अलग अलग अपना प्रचार जनता में करेंगे। मेरा मत तो, इस दिशा में यह है कि उड़ीसा में जो कुछ हुआ, उससे पता लगता है कि संवैधानिक सिद्धान्तों तथा जनता के अधिकारों के प्रति नैतिक सम्मान की अवहेलना की गयी है। वहां की जनता को उन समस्त अवसरों से वंचित कर दिया गया है जो सामान्यतः उन्हें संसदीय सरकार में उपलब्ध होने चाहियें। मेरा सुझाव है कि एक संसदीय समिति बनाई जानी चाहिए, जिसमें उड़ीसा के संसद् सदस्यों को लिया जाना चाहिए। यह समिति उड़ीसा सम्बन्धी मामलों में राष्ट्रपति को समुचित परामर्श दे।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जैसा कि केरल में किया गया था उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के संसद सदस्यों की समिति बनाने के लिए सरकार शीघ्र

---

†मूल अंग्रेजी में

ही एक विधेयक प्रस्तुत करने वाली है। वैसे संविधान के अनुच्छेद ३५७ के अन्तर्गत राष्ट्रपति क किसी राज्य के लिए विधान निर्माण करने के अधिकार प्राप्त है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : संसदीय लोकतंत्र में विश्वासारखने वाला कोई व्यक्ति भी इससे प्रसन्न नहीं होगा कि उड़ीसा की जनता अपने इस अधिकार से वंचित हो जाय कि उनका अपना निर्वाचित विधान मंडल हो।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुए]

राज्यपाल ने उद्घोषणा जा ी कर दी परन्तु अब उसे अवैध घोषित कर दिया गया है। वहां की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इस प्रकार की कार्यवाही की जाती। यह बात समझ में नहीं आ रही कि वहां धन किस प्रकार व्यय किया जा रहा है। मुझे यह भी बताया गया है कि अधिकारियों को उनके वेतन भी नहीं मिल रहे और कई आवश्यक योजनाओं का कार्यान्वित किया जाना स्थगित कर दिया गया है। वास्तव में स्थिति यह है कि संवैधानिक संकट तो वहां उद्घोषणा जारी करने के बाद पैदा हुआ है। अब उन कुछ मुट्ठी भर अधिकारियों का उड़ीसा पर राज होगा जो कि राज्य के बारे में समुचित जानकारी भी नहीं रखते। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार सभा को बताये कि वहां जब गम्भीर स्थिति का निर्माण हो रहा था तो सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की? क्या सरकार द्वारा उड़ीसा राज्य को कोई चेतावनी दी थी? मेरा निवेदन है कि इस उद्घोषणा का कोई भी औचित्य नहीं है। उड़ीसा का प्रशासन बहुत ही सराहनीय ढंग से चल रहा था और दोनों दलों में कोई मतभेद अथवा फूट नहीं थी। यह बात तो स्वयं गृह कार्य मंत्री ने भी स्वीकार की है। श्री लाल बहादुर शास्त्री के भाषण से यह भी पता चलता है कि संवैधानिक विफलता के कारण नहीं बल्कि कांग्रेस दल की विफलता के कारण अनुच्छेद ३५६ का सहारा लिया जा रहा है। यह सारी साजिश केन्द्र में रची गयी ताकि उड़ीसा को राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत ले आया जाय। और १२०० मील की दूरी पर बैठ कर कांग्रेस दल राष्ट्रपति के नाम पर उड़ीसा में अपनी हकूमत चलाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि १९५७ में जब उड़ीसा में कांग्रेस ने सरकार बनायी थी तो उस समय क्या केन्द्रीय सरकार ने यह जानने की भी कि संवैधानिक शर्तों को पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं। अप्रैल-मई १९५८ में जब कांग्रेस का मंत्रिमंडल पराजित हो गया और विरोधी दल सरकार बनाने में प्रत्येक प्रकार से समर्थ था, तो उसे इसका अवसर नहीं दिया गया। देखते देखते अप्रैल १९५९ में वहां गम्भीर संकट पैदा हो गये और सारा काम लगभग ठप्प पड़ गया। यह ऐसा अवसर था जब कि केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए था। उसे चेतावनी देनी चाहिए अथवा नये चुनावों की घोषणा करनी चाहिए थी। परन्तु उसमें कठिनाई यह थी कि दोनों ही दलों को यह आशा नहीं थी कि वे नये चुनावों में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लेंगे।

नवम्बर १९६० में कांग्रेस दल वहां संवैधानिक संकट पैदा करने के लिए षड़यन्त्र करने लगी। उसने एक प्रस्ताव पास किया कि वहां की मिली-जुली सरकार को आम चुनाव से कम से कम ८ से १० मास पूर्व भंग कर दिया जाये ताकि दोनों दल अगले चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए तैयारी कर सके। सभा को बताया जाना चाहिए कि क्या राज्यपाल ने इन बातों की सूचना राष्ट्रपति को दी थी। क्या केन्द्रीय सरकार ने इन बातों पर विचार किया था। उद्घोषणा जारी करके सरकार ने लोकतंत्र को खतरे में डाल दिया है। मेरा निवेदन है कि यह सब बहुत शीघ्रता से किया गया है। इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि यह सब संवैधानिक दृष्टि से समुचित है अथवा नहीं। आगामी आम चुनावों से पूर्व ही उड़ीसा में चुनाव करने की बात भी सुनने में आई है। इस दिशा में सरकार को स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। ऐसा न हो कि अचानक नये चुनावों की

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

घोषणा सुनकर जनता आश्चर्य में ही पड़ जाये। मेरा यह भी निवेदन है कि यदि चुनाव होने ही हैं तो वे वर्षा ऋतु के बाद ही होनी चाहिए। यह बड़ा गम्भीर मामला है और इस पर गम्भीरता से ही विचार किया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वह उद्घोषणा का समर्थन न करें।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई—देखिये संख्या एल० टी० २७०९/६१]**

†**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां प्रकाशन काऊंटर से प्राप्त कर सकते हैं।

†**श्री प्र० के० देब** (कालाहाड़ी) : आज जब सारा संसार लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, उस समय इस पर लोकतंत्र का पद्दलित किया जाना उचित नहीं कहा जा सकता। यह भी खेद की बात है कि उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का सारांश सभा को बहुत विलम्ब से दिया गया है; अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी करते समय इसे सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए था।

यह ठीक है कि आम चुनाव के बाद उड़ीसा की स्थिति यह थी कि कोई भी दल वहां अपनी सरकार नहीं बना सकता था। इस लिए मिलीजुली सरकार बनाई गयी। मेरा निवेदन है कि उड़ीसा में मिलीजुली सरकार किसी भी समय स्वार्थ का गठबन्धन नहीं रहा जैसा कि आरोप लगाया गया है। इस दिशा में एक निश्चित कार्यक्रम निर्धारित था जो २१ मास तक चला। इस संयुक्त सरकार की अवधि में बहुत ही शानदार सफलतायें भी प्राप्त की गयीं। इन सफलताओं का उल्लेख राज्यपाल ने स्वयं भी अपने राज्य विधान सभा में दिये अभिभाषण में किया है। इस संयुक्त सरकार ने हमेशा राज्य के हित का ध्यान रखा; उसके समक्ष दल के हित कभी भी नहीं रहे। जो कुछ गड़बड़ हुई उसका भी कारण यही था कि शासन काफी कठोर रहा और सारा काम बिना किसी लाभ, भय अथवा लोभ के होता रहा। कुछ अवसरवादी तत्व जो इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते थे, इसके खिलाफ थे। उनका काम नहीं बन सका। इसके अतिरिक्त एक और कारण यह भी है कि रायल्टी न देने और श्रमिकों सम्बन्धी कानुनों का पालन न करने के परिणामस्वरूप कुछ लोगों के खनन पट्टे रद्द कर दिये गये थे।

म यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि राज्य के मुख्य मन्त्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है वह इस बात का द्योतक है कि उद्योगों की स्थापना को लेकर संगठन के कतिपय गुटों द्वारा मुख्य मन्त्री पर दबाव डाला जा रहा था। और इस दबाव के परिणामस्वरूप ही यह सब कुछ हुआ है। कांग्रेस और कम्यूनिस्टों के बीच गठबन्धन हुआ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संयुक्त सरकार को भंग करके कांग्रेस ने न तो देश की ही सेवा की है और न संस्था को ही कुछ लाभ पहुंचा है। स्थिति यह है कि उन्होंने व्यक्तिगत हितों के लिये राज्य के हितों की उपेक्षा करने का अपराध किया है। गणतन्त्र परिषद् की यह उत्कट इच्छा है कि राज्य

†मूल अंग्रेजी में

में प्रजातन्त्र का पुनर्जन्म हो और यदि चुनाव शीघ्र हों तो हमें इस बात की बड़ी प्रसन्नता होगी और हम इसका स्वागत करेंगे ।

†**डा० सामन्त सिंहार** : मेरे माननीय मित्र श्री सुरेन्द्र द्विवेदी ने जो कुछ कहा है वह निराधार है । तथ्य यह है कि कांग्रेस हाई कमांड ने राज्य के प्रशासन में कभी हस्तक्षेप नहीं किया । उसने हमेशा इस बात का प्रयत्न किया कि वहां प्रजातन्त्र शासन व्यवस्था कायम रहे । अतः यह बड़े खेद का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातन्त्र देश के एक राज्य का शासन अधिकारियों द्वारा चलाया जाय ।

राष्ट्रपति के लिये राज्य के शासन को अपने हाथ में ले लेने के अतिरिक्त और कोई चारा ही नहीं था । इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि उड़ीसा में कांग्रेस ने मुख्य मन्त्री से कहा था कि वह त्याग पत्र दे दें । साथ ही उन्हें यह भी आदेश दिया गया कि वह वैकल्पिक सरकार भी न बनायें । कोई अन्य दल सरकार बनाने के लिये तैयार नहीं था इसलिये राज्यपाल ने विवश होकर राष्ट्रपति को इस प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और अन्ततोगत्वा राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की गयी । मुझे पूर्ण आशा है कि केन्द्रीय सरकार इस बात का पूरा ध्यान करेगी और इस बात का प्रयत्न करेगी कि राज्य का शासन प्रजातान्त्रिक ढंग से चलाया जाय ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकनाल) : इस बात का मुझे अत्यन्त खेद है कि उड़ीसा में संयुक्त सरकार को भंग करना पड़ा । इस बात को देखते हुए कि राजनीतिक दल राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को कायम रखने में असमर्थ है, राज्यपाल को राष्ट्रपति को यह सिफारिश करनी पड़ी कि संविधान के अनुच्छेद ३५६ के आधीन उद्घोषणा जारी कर दी जाय । इसके अतिरिक्त, इस स्थिति में और कोई रास्ता ही न था ।

इस सम्मिलित सरकार के भंग हो जाने का एक मुख्य कारण यह भी था कि उड़ीसा की प्रदेश कांग्रेस और उड़ीसा विधान सभा के कांग्रेस दल में गम्भीर मतभेद हो गये थे । प्रदेश कांग्रेस विधायक दल पर हावी हो गया । उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मैसूर में भी यही हुआ है । इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने के कारण जो लोग अवसर का लाभ उठा कर सत्तारूढ़ हो जाते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि वे किस प्रकार सत्तारूढ़ हुये हैं । इसका परिणाम यह होता है जिस संस्था अथवा संगठन से उनका सम्बन्ध होता है उसके उद्देश्यों के प्रति जनता में काफी निराशा की भावना उत्पन्न हुई है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त सरकार को अवसरवादी गठबन्धन का परिणाम नहीं कहा जा सकता । कांग्रेस और गणतन्त्र परिषद् दोनों दलों ने राज्य के सर्वोत्तम हित को दृष्टि में रखते हुए एक साथ काम करने का निश्चय किया था और इस उद्देश्य के लिये एक सामान्य कार्यक्रम निर्माण कर लिया गया था । संयुक्त सरकार में जो मंत्री दोनों दलों के प्रतिनिधि थे, वे किसी भी समय अपने अपने सम्बद्ध दल के आदेश का पालन करने को तत्पर थे । परन्तु जब हमने देखा कि इस प्रकार निर्मित कार्यक्रम को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा तो हमें काफी निराशा हुई । लेकिन इतना जरूर याद रहेगा कि उड़ीसा में जो कुछ हुआ है वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में एक नया और निराला अनुभव है । भारत के इतिहास में यह पहिला ही अवसर है जबकि कांग्रेस और गणतन्त्र परिषद् में पहली बार मेल हुआ और यह मेल भी सत्ता में भाग लेने की दृष्टि से नहीं बल्कि समान कार्यक्रम होने के कारण ही हुआ है । केरल में भी मिलीजुली सरकार है और वहां किसी न किसी रूप में सरकार का कार्य चल रहा है । मिलीजुली सरकार का अभिप्राय अवसर से लाभ उठाने के लिये सरकार बनाना नहीं है । मिलीजुली सरकार कभी अवसरवादी गठबन्धन नहीं रही कांग्रेस और गणतन्त्र परिषद् इन दोनों ने राज्य के सर्वोत्तम हित में एक साथ काम करने का निश्चय किया था । लेकिन

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री महन्ती]

मिलीजुली सरकार इसलिये असफल रही कि उनके नेता सही ढंग से नेतृत्व नहीं कर सके। मिलीजुली सरकार की असफलता के लिये दोनों दल उत्तरदायी हैं। भविष्य में लगभग दस साल तक राज्य में मिलीजुली सरकार रहने की आशा है इसलिये सभी राजनैतिक दलों को मिलीजुली सरकार की असफलता से नसीहत लेनी चाहिये। अतः यह आवश्यक है कि छोटी मोटी दलगत बातों को भूल कर राजनीतिज्ञता से काम किया जाये।

राज्यपाल राज्य में संविधान के अनुच्छेद ३५६ के आधार पर कार्य करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि राज्यपाल के उस अध्यादेश का क्या होगा जो भारत सरकार ने अवैध घोषित कर दिया है। मेरा निवेदन है कि उड़ीसा के राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है वह संवैधानिक नहीं है और उसे वापस ले लेना चाहिये। जिस समय संसद् का अधिवेशन हो रहा हो उस समय अध्यादेश का प्रश्रय नहीं लेना चाहिये। क्योंकि संसद् के परामर्श के बिना राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। लेकिन शर्त यह है कि उन दिनों संसद् का अधिवेशन हो रहा हो। धन का विनियोग अनुदानों की अनूपूरक मांगों के स्वीकार किये जाने के बाद ही स्वीकार किया जा सकता है, राज्य का विधान मण्डल तक साढ़े चार रुपये का विनियोग नहीं कर सकता तो राज्यपाल द्वारा विनियोग का सवाल ही नहीं उठता। मेरा निवेदन बस इतना ही है कि यह सभी कार्य असंवैधानिक हैं और संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अनुकूल नहीं हैं। यह बात ठीक है कि उस समय वहां कोई ऐसा दूसरा दल नहीं था जो कि सरकार बना सकती।

राज्यपाल के लिये ये घटनाएं अपेक्षित नहीं थीं जिस स्थिति के फलस्वरूप मिलीजुली सरकार भंग हुई वह कुछ समय से चली आ रही थी। "लेखानुदान" आय व्ययक प्रस्तुत न करने का दायित्व भी राज्य के मुख्य मन्त्री पर है।

†**श्री अन्सार हरवानी :** संसद् में मिलीजुली सरकार की अपनी कुछ कठिनाताएं हैं। उड़ीसा की मिलीजुली सरकार एक अनुचित गठबन्धन था, अतः उसके भंग होने पर शायद कोई भी आंसू नहीं बहायेगा। यह कांग्रेस की बड़ी भारी गलती थी कि उसने उड़ीसा में गणतन्त्र परिषद् के साथ मिलीजुली सरकार बनायी।

आशा है कि सरकार यह जांच करायेगी कि उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के बीच हुए जिस पत्र व्यवहार का उल्लेख किया गया है, क्या वास्तव में वे पत्र लिखे गये थे या नहीं। अन्त में मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

†**श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** माननीय गृहमंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि गणतंत्र तथा कांग्रेस के आपसी झगड़ों के कारण ही उड़ीसा में यह स्थिति हुई है। श्री अशोक मेहता ने ठीक ही कहा है कि इस असफलता का दायित्व दोनों पर ही है। यहां तक कि इन दोनों के आपसी झगड़ों के परिणामस्वरूप उड़ीसा की जनता को पिछले २१ महीनों से कष्ट का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि राज्य विधान सभा में लेखानुदान आय व्ययक पेश करने के मामले में सहमत न होकर दोनों दलों ने गैर जिम्मेदारी प्रदर्शित की है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, ९ मार्च, १६६१/१८ फाल्गुन, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, ८ मार्च, १९६१
१७ फाल्गुन, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१७४५–६९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६५९	नये उद्योगों के कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान . .	१७४५–४८
६६०	ग्यान्त्से में भारतीय व्यापार एजेंसी . . .	१७४८
६६१	तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें .	१७४९–५०
६६२	घड़ियों के निर्माण के लिये प्रविधिज्ञ . . .	१७५०–५१
६६४	टेपिओका के आटे की कीमत	१६५२
६६५	संयूक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि . . .	१७५२–५४
६६६	तिब्बत में भारतीय व्यापारी	१४५४–५६
६६८	बिजली से चलने वाले अनधिकृत करघे . . .	१७५६–५७
६६९	सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक एककों में लागत लेखापालन .	१७५७–५९
६७०	प्रोफेसर गालब्रेथ की रिपोर्ट	१७५९–६१
६७१	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से आये शरणार्थियों का पुनर्वास .	१७६१–६४
६७२	उर्वरकों का उत्पादन	१७६४–६५
६७४	बर्मा के साथ स्थल मार्ग द्वारा व्यापार . . .	१७६५–६६
६७५	ओरियन्ट पेपर मिल्स लिमिटेड, कलकत्ता को संयूक्त राज्य अमरीका से ऋण	१७६५–६८
६७८	पांडिचेरी के कपड़ा कारखानों में वस्त्र-उद्योग मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का लागू किया जाना . . .	१७६८–६९
६७९	फिल्मों का निर्यात	१७६९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१७७०–१८८३
	तारांकित प्रश्न संख्या	
६०५	सहकार अनुसंधान संस्था योजना .	१७७०
६०६	आसाम के शरणार्थियों का पुनर्वास .	१७७०–७१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः		
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
६०७	नई दिल्ली में पृथक विश्वविद्यालय	१७७१
६०८	राष्ट्रीय अनुशासन योजना . .	१७७१–७२
६०९	बरौनी से दिल्ली तक तेल की पाइपलाइन	१७७२
६१०	तांबा खनन के विकास के लिये पोलैंड की सहायता .	१७७२
६११	राष्ट्रीय महिला शिक्षा संस्था .	१७७२–७३
६१२	छात्र निकेतन, क्लब और स्वास्थ्य केन्द्र .	१७७३
६१३	आसाम में तेल पाइप लाइन . . .	१७७३–७४
६१४	भारत और चीन की सरकारों को छात्र विनिमय योजना	१७७४
६१५	पांडिचेरी में स्मारक .	१७७४
६१६	एवरो–७४८ विमान	१७७५
६१७	तेल निक्षेप	१७७५–७६
६१८	लोह अयस्क खानों का विकास .	१७७६
६१९	भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड .	१७७६–७७
६२०	केन्द्र के लिये राज्य सरकारों के कर्मचारी .	१७७७
६२१	माध्यम स्कूलों के लिये विज्ञान के अध्यापक	१७७७
६२२	ब्रिटेन से सस्ती पुस्तकें	१७७८
६२३	संविहित पुनर्बीमा निगम	१७७८
६२४	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	१७७८–७९
६२५	न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति होने की आयु .	१७७९
६२६	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम	१७७९–८०
६२७	तेल का विपणन . .	१७८०
६२८	अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन . .	१७८०
६२९	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त	१७८१
६३०	त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् की आय और व्यय	१७८१
६३१	अल्प बचत योजना . . .	१७८१–८२
६३२	खनन की मंजूरी के प्रमाणपत्र सम्बन्धी नियम . .	१७८२–८३
६३३	भारतीय वायुसेना के पदाधिकारियों को संयुक्त अरब गणराज्य द्वारा पुरस्कार . . .	१७८३
६३४	अहमदाबाद को कोयले के सम्भरण में कमी . .	१७८४
६३५	लक्ष्मी बैंक में रुपया जमा कराने वालों को भगतान . .	१७८५

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :	
तारांकित प्रश्न संख्या	
६३६ पब्लिक स्कूलों में योग्यता छात्रवृत्तियां .	१७८५
६३७ पंचायत राज . .	१७८५
६३८ 'वन्दे मातरम्' की लय	१७८५
६३९ संयुक्त स्कन्ध समवाय	१७८५–८६
६४० मैसूर में अनुसूचित जातियों तथा अनूसूचित आदिम जातियों के लिये शिक्षा सुविधायें	१७८६–८७
६४१ जैसलमेर क्षेत्र में पानी का सर्वेक्षण	१७८७
६४२ राष्ट्रीय प्राणिकीय अनुसंधान संस्था	१७८७
६४३ भूतपूर्व पेंशनयाफ्ता सैनिक .	१७८८
६४४ नागा क्षेत्र में स्थल-सेना का दुर्व्यवहार .	१७८८
६४५ दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 'स्लीपरों' का उत्पादन . .	१७८८
६४६ तेल सम्बन्धी सरकारी उपक्रमों का एकीकरण . .	१७८९
६४७ राज्यों में कोयले के भंडार . .	१७८९
६४८ बस्तर में तांबा निक्षेप . .	१७८९
६४९ करारोपण सलाहकार समिति . .	१७९०
६५१ भिलाई इस्पात कारखाना	१७९०
६५२ अन्तर्राष्ट्रीय बैंक	१७९०–९१
६५३ मनीपुर में नागा विद्रोहियों द्वारा छापा .	१७९१
६५४ बोइंग-७०७ विमानों की खरीद .	१७९१–९२
६५५ मैट्रिक आदि परीक्षाओं में अनुतीर्ण छात्र .	१७९१–९३
६५६ हेलीकाप्टर विमानों का निर्माण	१७९३
६५७ तेल छिद्रण यंत्र	१७९३–९४
६५८ गणतंत्र दिवस की 'रिहर्सल' के दौरान विमान दुर्घटना .	१७९४
६६३ उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में तिब्बती शरणार्थियों का बसाया जाना	१७९४–९५
६६७ नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात .	१७९५
६७३ पंखा उद्योग . . .	१७९५–९६
६७६ मध्य प्रदेश में कास्टिक सोडा और क्लोरीन का संयंत्र .	१७९६
६७७ जापानी मिशन	१७९६
६८० संयुक्त राज्य अमरीका की मंडियों में भारतीय जूट का सामान .	१७९७
६८१ नारियल जटा के सामान के विपणन के लिये विदेशों को प्रतिनिधि मंडल . . .	१७९७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

६८२	ब्रिटेन में कार्मिक-संघवाद का प्रशिक्षण . . .	१७६८
६८३	पंजाब का औद्योगिक विकास . .	१७६८—१८००
६८४	उद्योगों का संकेन्द्रण	१८००–०१
६८५	बाल बीयरिंग आदि का निर्माण . . .	१८०१
६८६	कारों का आयात	१८०१–०२
६८७	भारतीय सांख्यकीय संस्था	१८०२–०३
६८८	निर्यात नीति	१८०३
६८९	होजरी के सामान पर केन्द्रीय बिक्री कर . . .	१८०३–०४
६९०	जम्मू तथा काश्मीर में उर्वरक संयंत्र . . .	१८०४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११०७	पंजाब में युवक होस्टल . . .	१८०४
११०८	संघ राज्य-क्षेत्रों में बाल विवाह के मामले . .	१८०४–०५
११०९	बहु प्रयोजनीय आदिम जाति खण्डों सम्बन्धी प्रतिवेदन .	१८०५
१११०	दरियागंज, दिल्ली, में अज्ञात माता-पिता के निराश्रय बच्चों के लिये सदन . . .	१८०५–०६
११११	केन्द्रीय भूभौतिकी संस्था . . .	१८०६
१११२	मनीपुर में नलकूप	१८०६
१११३	पिछड़ी श्रेणियों का मापदण्ड	१८०७
१११४	केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला . .	१८०७
१११५	आमकर की बकाया राशि . .	१८०७
१११६	आयकर निर्धारण	१८०७
१११७	केन्द्र में पंजाब सरकार के अफसर . .	१८०८
१११८	पंजाब को कच्चे लोहे का आवंटन . .	१८०८
१११९	अल्प बचत योजना	१८०८
११२०	मैंगनीज़ के अभिशोधन के लिये कस्टम मिल . .	१८०९
११२१	भारत में विदेशी	१८०९
११२२	टायरों की चोर बाजारी . . .	१८०९
११२३	विद्यार्थियों की क्षय तथा कुष्ठ रोग से रक्षा .	१८१०
११२४	उत्तर प्रदेश में 'बाद की देखभाल' गृह . .	१८१०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या		
११२५	पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण	१८१०–११
११२६	उत्तर प्रदेश में कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतन-क्रम	१८११–१२
११२७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का प्रतिवदन	१८१२
११२८	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर कार्यवाही	१८१२
११२९	इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के लिये परीक्षा पूर्व-अध्ययन	१८१२–१३
११३०	केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये परीक्षा-पूर्व अध्ययन केन्द्र	१८१३
११३१	मैसूर उच्च न्यायालय में लेख याचिकायें	१८१३
११३२	प्रतिरक्षा उत्पादन संगठन का कार्यक्रम	१८१३–१४
११३३	केन्द्रीय सरकार का पुलिस विभाग	१८१४
११३४	सैनिक प्रशिक्षण	१८१५
११३५	राजस्थान में बकाया आय-कर	१८१५
११३६	राजस्थान में करों की बकाया रकम	१८१५
११३७	राजस्थान में लड़कियों की शिक्षा	१८१६
११३८	भारतीय नृत्य का प्रशिक्षण	१८१६
११३९	दिल्ली में अपराध रोकने के लिये निवारक नजरबन्दी अधिनियम लागू करना	१८१६–१७
११४०	आन्ध्र प्रदेश में कोयले की कमी	१८१७
११४१	इनामी बांडों की लौटरी	१८१७
११४२	दिल्ली में कोयले की कमी	१८१८
११४३	नेवेली में उर्वरक संयंत्र	१८१८
११४४	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिये साजसामान	१८१८–१९
११४५	जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के वैज्ञानिक आविष्कार	१८१९
११४६	बैंकों का वैज्ञानिकन	१८१९
११४७	एरन (मध्य प्रदेश) में पुरातत्व सम्बन्धी वस्तुयें	१८१९–२०
११४८	संघ राज्य-क्षेत्रों में अपराध	१८२०

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या		
११४९	फोनेटोग्राफ	१८२०
११५०	इस्पात उद्योग के लिये बिजली सप्लाई	१८२०-२१
११५१	वाइकाउन्ट विमान	१८२१
११५२	त्रिपुरा में सरकार द्वारा प्राप्त की गई जमीन	१८२१
११५३	भारतीय खान ब्यूरो	१८२१-२२
११५४	आस्वान बांध क्षेत्र में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयां	१८२३
११५५	आस्वान बांध क्षेत्र में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयां	१८२३
११५६	सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां	१८२४
११५७	गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के लिये जापानी ऋण की मंजूरी	१८२४-२५
११५८	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड	१८२५
११५९	दिल्ली में अपराधों की स्थिति	१८२५-२६
११६०	जनगणना	१८२६
११६१	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	१८२६-२७
११६२	इस्पात संयंत्रों में प्रशिक्षणार्थी	१८२७
११६३	ग्रामों के पुलिस थानों में टेलीफोन	१८२७
११६४	दिल्ली विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को भोजन देने की योजना	१८२७-२८
११६५	विदेशों को दी जाने वाली पेंशनें	१८२८
११६६	अल्प बचत प्रतिभूतियां	१८२८-२९
११६७	जनता को पूंजी का निर्गमन	१८२९
११६८	अधिकार अंशों का निर्गमन	१८२९
११६९	फिल्म वित्त निगम	१८३०
११७०	कोयला धोने के कारखाने	१८३०-३१
११७१	हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग	१८३१
११७२	पटना में कोयला सम्बन्धी अन्तर्राज्यीय कान्फ्रेंस	१८३१
११७३	अलीगढ़ में सर सैयद अहमद का मकान	१८३२
११७४	सर्वोदय केन्द्रों को सहायता	१८३२
११७५	अन्दमान में जेलों का ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षण	१८३२
११७६	दक्षिण भारत में तेल का सर्वेक्षण	१८३३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

११७७	अधिक समय तक रहने के लिये एक चीनी दम्पत्ति की गिरफ्तारी	१८३३
११७८	कोलम्बो योजना देशों की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय	१८३३–३४
११७९	सिक्कों की धातुयें . . .	१८३४–३५
११८०	प्रोफेसर हॉल्डन के लिये भारतीय नागरिकता	१८३५
११८१	ब्रिगेडियर रिखी .	१८३६
११८२	१९६१ के गणराज्य दिवस पर यातायात व्यवस्था .	१८३६
११८३	निवृत्ति वेतन नियमों का पुनरीक्षण	१८३६–३७
११८४	समुद्र सीमा शुल्क एक्ट का संशोधन	१८३७
११८५	मनीपुर में खोरडाक नदी में अवरोध .	१८३७
११८६	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अवकाश पेशगियां	१८३७
११८७	असम में शरणार्थी .	१८३८
११८८	अदालतों में बकाया मामले . .	१८३८
११८९	मुद्रा (करेन्सी) का विस्तार . .	१८३९
११९०	दार्जिलिंग में नेपाली बोलने वालों की जनगणना .	१८३९–४०
११९१	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त .	१८४०–४१
११९२	त्रिपुरा में अपराध . .	१८४२
११९३	भारत में सहकारी आवास समितियां .	१८४२
११९४	कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय के कर्मचारी	१८४२
११९५	एशियाटिक सोसाइटी .	१८४२–४३
११९६	तीसरी पंचवर्षीय योजना में कोयले की खुदाई	१८४३
११९७	कोयला खुदाई कार्यक्रम	१८४३
११९८	भारतीय बन्दरों का सर्वेक्षण . .	१८४३–४४
११९९	पंजाब में राजनैतिक पीड़ित . . .	१८४४
१२००	दिल्ली में अदालतों में हिन्दी के फार्म . .	१८४४
१२०१	दिल्ली प्रशासन के पदाधिकारियों का सम्मेलनों में भाग लेना .	१८४५
१२०२	दिल्ली प्रकाशन के कर्मचारियों के दौरे	१८४५
१२०३	दिल्ली में सोफ्ट कोक का मूल्य	१८४५
१२०४	उत्तर प्रदेश में पोस्त की खेती .	१८४५–४६
१२०५	मध्य प्रदेश में डिग्री कालेज .	१८४६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२०६	शिवसागर में ऐतिहासिक अवशेष . . .	१८४६–४७
१२०७	उड़ीसा में प्राथमिक अध्यापक . . .	१८४७
१२०८	हिमाचल प्रदेश के छात्र	१८४७
१२०९	उड़ीसा में बाढ़ों से प्रभावित अनुसूचित जाति लोगों को सहायता .	१८४७–४८
१२१०	सरकारी कर्मचारियों की परिवार पेंशन निधि . .	१८४८
१२११	सैनिक इंजीनियरी सेवा कर्मचारियों को चिकित्सा की सुविधायें	१८४८–४९
१२१२	हिमाचल प्रदेश प्रशासन	१८४९
१२१३	भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तानी और भारतीय विद्यार्थी .	१८४९
१२१४	मण्डी में बाढ़ पीड़ितों को सहायता . . .	१८४९
१२१५	मण्डी में बाढ़ पीड़ितों द्वारा बनाये गये मकान .	१८४९–५०
१२१६	हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित "घराट" . .	१८५०
१२१७	उड़ीसा में पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता .	१८५०
१२१८	हिन्दू उतराधिकार अधिनियम में संशोधन . .	१८५०
१२२०	महात्मा विदुर की कुटिया . . .	१८५०–५१
१२२१	मनीपुर राज्य पोलो टीम . . .	१८५१
१२२२	पंजाब में पीतल के बर्तनों का उद्योग . . .	१८५१
१२२३	औद्योगिक मजदूरों के लिये समाज सुरक्षा योजना	१८५१–५२
१२२४	हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक सर्वेक्षण .	१८५२
१२२५	औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ . . .	१८५२
१२२६	त्रिपुनीथुरा में तार फक्टरी	१८५२
१२२७	दण्डकारण्य विकास पंचवर्षीय योजना . . .	१८५३
१२२८	रतलाम और भोपाल के लिये गन्दी बस्ती सफाई परियोजनायें	१८५३
१२२९	सरकारी या सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थाओं द्वारा गैर-सरकारी वास्तुशास्त्रियों को काम पर लगाया जाना . .	१८५३–५४
१२३०	सरकारी मकानों में सब्जियां बोने के लिये स्थान . .	१८५४
१२३१	महाराष्ट्र में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी.	१८५४
१२३२	दमुआ कोयला खान जांच . .	१८५५
१२३३	भारतीय चलचित्रों का निर्यात . . .	१८५५
१२३४	रेडियो के पुर्जों का आयात . .	१८५५–५६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२३५	वनस्पति का निर्यात . .	१८५६
१२३६	जम्मू तथा काश्मीर में खादी का उत्पादन . .	१८५६–५७
१२३७	उत्तर प्रदेश में निष्क्रान्त व्यक्तियों की इमारतें .	१८५७
१२३८	काफी का निर्यात . . .	१८५७
१२३९	दिल्ली की गन्दी बस्तियों की सफाई की योजनायें . .	१८५७–५८
१२४०	हिमाचल प्रदेश में लोहे और लोहे की चादरों का वितरण	१८५८
१२४१	पंजाब में उद्योगों के विकास के लिये सहायता . .	१८५८
१२४२	दिल्ली में असैनिक निर्माण-कार्य . . .	१८५८–५९
१२४३	पंजाब में युवक नियोजन तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन योजना .	१८५९
१२४४	क्रोम का निर्यात	१८५९
१२४५	अहमदाबाद में कपड़ा मिलें .	१८५९
१२४६	कलकत्ता से आकाशवाणी के कार्यक्रम . .	१८६०
१२४७	कांगो में भारतीय कर्मचारी .	१८६०
१२४८	आसाम में रासायनिक उर्वरक कारखाना .	१८६१
१२४९	हज यात्री . . .	१८६१
१२५०	भारतीयों का विदेशों से भारत वापस आना .	१८६१–६२
१२५१	अल्युमीनियम संयंत्र, रिहाण्ड .	१८६२
१२५२	डालमिया सार्थ	१८६२–६३
१२५३	उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१	१८६३
१२५४	हथकरघे का कपड़ा .	१८६३
१२५५	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बकाया ऋण .	१८६३–६४
१२५६	कांच उद्योग को हैवी सोडा ऐश की सप्लाई	१८६४–६५
१२५७	रबड़ बगान योजना के लिये सहायता .	१८६५
१२५८	पुनर्वास मंत्रालय में छंटनी में आये कर्मचारी . .	१८६५
१२५९	जोरबाग व गोल्फ लिंक (नई दिल्ली) में तीन मंजिले मकान .	१८६६
१२६०	नागा क्षेत्र में बाहर वालों की गतिविधियां .	१८६६
१२६१	सीमा पर उत्तरपूर्वी सीमान्त अभिकरण आदिम जाति आंदोलन .	१८६६
१२६२	अश्रु गैस के गोले . . .	१८६६–६७
१२६३	उड़ीसा में गुड़िया बनाने का उद्योग	१८६७

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२६४	इस्पात उद्योग के श्रमिकों के संघों द्वारा बाहर से धन की प्राप्ति .	१८६७
१२६५	संभरण तथा उत्सर्जन निदेशालय में धोके का मामला	१८६८
१२६६	साइकल बनाने के कारखाने . .	१८६८–६९
१२६७	कम्पनी बनाने में विलम्ब .	१८६९
१२६८	पंखे . .	१८६९ ७०
१२६९	उद्योगों का केन्द्रीकरण . . .	१८७०
१२७०	भारत और भूटान के बीच सम्पर्क मार्ग (लिंक रोड)	१८७०
१२७१	भूटान में रेडियो स्टेशन	१८७१
१२७२	कास्टिक सोडा और सोडा ऐश .	१८७१
१२७३	कांच उद्योग के लिये हेवी सोडा ऐश की कमी .	१८७१
१२७४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मभारित कर्मचारी	१८७१–७२
१२७५	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के 'ई' डिवीजन के कर्मभारित कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	१८७२
१२७६	उर्वरक	१८७२–७३
१२७७	मर्सेडीज़-बैंज कारों के लिये आयात लायसेंस	१८७३
१२७८	छोटी टरबाइनों का उत्पादन . .	१८७४
१२७९	रानी एलिजाबेथ के आगमन पर आकाशवाणी द्वारा आंखों देखा हाल . . .	१८७४
१२८०	एक जहाज के भारतीय कैप्टन का कराची में मुकदमा.	१८७५
१२८१	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक परियोजनायें .	१८७५
१२८२	गणतंत्र दिवस के संबंध में प्रधान मंत्री का सन्देश .	१८७५–७६
१२८३	चेकोस्लावेकिया के सहयोग से मोटर साइकिलों का निर्माण .	१८७६
१२८४	रानी एलिजाबेथ के संवाददाता सम्मेलन से भारतीय पत्रकारों को अलग रखना . . .	१८७६–७७
१२८५	त्रिपुरा प्रशासन द्वारा विज्ञापन पर व्यय . . .	१८७७
१२८६	श्रम और रोजगार मंत्रालय में एसिस्टेंटों के लिये समान कार्य में प्रशिक्षण	१८७७
१२८७	श्रम और रोजगार मंत्रालय में एसिस्टेंटों के लिये समान क्षेत्र में अल्प सेवा पाठ्यक्रम	१८७७–७८
१२८८	पटसन के बोरों की खरीद	१८७८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१२८९ डीजल ट्रक इंजिनों का निर्माण . १८७८–७९
१२९० दिल्ली में अध्यापकों के लिये मकान १८७९
१२९१ औद्योगिक उत्पादन १८७९
१२९२ पानीपत में कागज मिल १८७९–८०
१२९३ आसाम में उर्वरक कारखाना . १८८०
१२९४ हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर . . १८८०
१२९५ जापान में भारतीय दूतावास भवन १८८१
१२९६ नीलाम खरीदारों को विक्रय प्रमाण-पत्र . १८८१
१२९७ भारतीय विदेश सेवा (ख) . . . १८८१–८२
१२९८ काफी हाउसों के बन्द होने के कारण बेरोजगारी . १८८२
१२९९ पूना में आसवनशाला १८८२
१३०० मनीपुर का औद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण . . १८८३
१३०१ दण्डकारण्य विकास प्राधिकार . १८८३

स्थगन प्रस्ताव १८८३--८६

अध्यक्ष महोदय ने ५ मार्च, १९६१ को झरिया के निकट वद्रचक कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव को जिस की सूचना श्री स० मो० बनर्जी ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य . . . . . .

(१) वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने पूर्वी पाकिस्तान में खुलना और अन्य स्थानों पर अभी हाल में अल्पसंख्यकों पर किये गये आक्रमणों के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया ।

(२) रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के टेल्टा स्टेशन पर (कटिहार के निकट) 'न० २४ डाउन पैसिंजर गाड़ी की दुर्घटना के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८७

(१) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २१ जनवरी, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६ में प्रकाशित डाक-घर बचत प्रमाण पत्र (दूसरा संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(२) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६३९ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष १९५९-६० का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित १८८८

अठहत्तरवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक--पुरःस्थापित . . . . . .

औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक, १९६१ ।

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६०-६१ . . . १८९०—९६

वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक (रेलवे) सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर और आगे चर्चा समाप्त हुई और स्वीकृत हुई ।

राष्ट्रपति को उड़ीसा के राज्यपाल के प्रतिवेदन का सारांश सभा पटल पर रखा गया . . . . . .

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) ने राष्ट्रपति को उड़ीसा के राज्यपाल के प्रतिवेदन का सारांश सभा पटल पर रखा ।

उड़ीसा के बारे में उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प--विचाराधीन . . १८९६--१९०४

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने उड़ीसा के बारे में घोषणा सम्बन्धी संकल्प प्रस्तुत किया । इस के बारे में सर्वश्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी तथा चिंतामणि पाणिग्रही द्वारा दो संशोधन प्रस्तुत किये गये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, ९ मार्च १९६१/१८ फाल्गुन १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

उड़ीसा के बारे में घोषणा सम्बन्धी संकल्प पर और आगे चर्चा और अनुदानों की अनुपूरक मांगों (उड़ीसा), १९६०-६१ पर विचार तथा वर्ष १९६१-६२ के लिये अनदानों की मांगों पर भी विचार ।

GMGIPND—LS III—2225 (Ai) LSD—6-4-61—125.